

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2012 सत्र

**बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

समर्थन मूल्य पर क्रय धान एवं वितरित धान बोनस

1. (\*क्र. 102) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों का धान कितने समर्थन मूल्य पर खरीदा गया तथा धान खरीदी में कुल कितना बोनस दिया गया ? प्रतिवर्ष बोनस राशि में कितनी वृद्धि की गई ? वर्षवार जानकारी दें ?

**खाद्य मंत्री** ( श्री पुनूलाल मोहले ) : खरीफ वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक केन्द्र सरकार द्वारा घोषित धान का समर्थन मूल्य तथा किसानों को भुगतान किये गये बोनस की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

सरगुजा संभाग में धान की खरीदी एवं उठाव

2. (\*क्र. 336) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दिनांक 31-05-2012 की स्थिति में सरगुजा संभाग में कितनी-कितनी मात्रा में धान खरीदी की गई ? (ख) प्रश्नांश "क" अवधि में खरीदे गये धान में से कितना-कितना धान राईस मिलों के लिये दिया गया, कितने धान का उठाव हुआ, कितना शेष है ? (ग) प्रश्नांश "क" अवधि में संग्रहित धान में से कितना धान बेमौसम बारिश से खराब हुआ ?

**खाद्य मंत्री** ( श्री पुनूलाल मोहले ) : (क) सरगुजा संभाग में खरीफ वर्ष 2009-10 में 1,66,068 टन. 2010-11 में 1,90,586 टन तथा वर्तमान खरीफ वर्ष 2011-12 में 4,14,285 टन धान की खरीदी की गई है. (ख) खरीफ वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में खरीदे गये धान का निराकरण किया जा चुका है. सरगुजा संभाग में अब तक 3,31,720 टन धान कस्टम मिलिंग के अंतर्गत राईस मिलों द्वारा उठाव किया जा चुका है तथा 60,348 टन धान मिलिंग हेतु शेष है. 19,999 टन धान रायगढ़ जिले को मिलिंग हेतु अंतरित किया गया है. (ग) प्रश्नांकित अवधि में संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित धान खराब नहीं हुआ है.

लैंको पावर प्लांट लिमिटेड को पर्यावरण विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र

3. (\*क्र. 586) **श्री भोलाराम साहू** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजनांदगांव जिला अंतर्गत स्थित लैंको पावर प्लांट लिमिटेड द्वारा पावर प्लांट स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया है ? यदि हां तो, कब ? यदि नहीं तो, लैंको प्रबंधन के विरुद्ध संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** ( श्री राजेश मूणत ) : जी नहीं, वस्तुतः मेसर्स लैंको सोलर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चवरढाल, मेहरूमखुर्द एवं मेहरूमकला, जिला-राजनांदगांव को कोल आधारित केप्टिव पावर प्लांट हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति ( एस.ई.ए.सी. ) छत्तीसगढ़ द्वारा इन्व्हायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ( ई.आई.ए.रिपोर्ट ) बनाने हेतु टर्मस आफ रिफरेन्स दिनांक 30-09-2010 को जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा इस उद्योग को उक्त पावर प्लांट स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है. इस उद्योग द्वारा कोल आधारित केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कार्डधारियों को खाद्यान्न का प्रदाय

4. (\*क्र. 405) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में बी.पी.एल. कार्डधारियों एवं ए.पी.एल. कार्डधारियों की संख्या कितनी है ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) उन्हें किस दर पर कौन-कौन से खाद्यान्न प्रदाय किये जा रहे हैं ? (ग) केन्द्र सरकार से वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्न वितरण करने हेतु कितनी राशि एवं खाद्यान्न प्रदाय किया गया ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में गरीब राशनकार्डधारियों की संख्या 34.14 लाख एवं एपीएल कार्डधारियों की संख्या 23.39 लाख है, इसकी जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में अन्त्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल तथा शेष गरीब राशनकार्डधारियों को 2 रुपये प्रति किलो की दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। एपीएल कार्डधारियों को 9.30 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल तथा 7.50 रुपये प्रति किलो की दर पर गेहूं प्रदाय किया जा रहा है। (ग) वर्ष 2010-11 में बीपीएल कार्डधारियों हेतु 6,29,472 टन खाद्यान्न तथा एपीएल कार्डधारियों हेतु 5,35,794 टन खाद्यान्न, वर्ष 2011-12 में बीपीएल कार्डधारियों हेतु 7,27,995 टन खाद्यान्न तथा एपीएल कार्डधारियों हेतु 5,81,120 टन खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ। खाद्य सब्सिडी क्लेम के रूप में वर्ष 2010-11 में बीपीएल चावल हेतु 729.58 करोड़ रुपये तथा एपीएल चावल हेतु 227.31 करोड़ रुपये, वर्ष 2011-12 में बीपीएल चावल हेतु 828.98 करोड़ रुपये तथा एपीएल चावल हेतु 194.03 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई।

जिला महासमुन्द में माडा क्र. 1 तथा 2 से कराये गये कार्य/प्रशिक्षण

5. (\*क्र. 614) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुन्द अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग द्वारा माडा क्र. 1 एवं 2 से वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में कार्य/प्रशिक्षण किन संस्थाओं से करवाया गया तथा उन संस्थाओं के चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” में उल्लेखित योजना के कार्यों की शिकायत की गई है ? यदि हां तो, माडा क्र. 1-2 के द्वारा कराये गये कार्यों कि जांच एवं सत्यापन किसके द्वारा कब-कब किया गया ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं से प्रशिक्षण कार्य करवाया गया :-

1. जन सहारा शोसल वेलफेयर सोसायटी, महासमुन्द.
2. सीडो ग्रामीण विकास संस्थान, महावीर नगर, रायपुर.
3. भोपाल युवा पर्यावरण शिक्षण एवं सामाजिक संस्था इन्द्रावती कालोनी, रायपुर.
4. संगवारी समाज सेवी संस्था, गुलशन चौक पारा, महासमुन्द.

उपरोक्त संस्थाओं का चयन संबंधित संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों के आधार पर कलेक्टर (आदिवासी विकास) से प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद अंतिम किया गया। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक इकाईयों से एमओयू की अद्यतन स्थिति

6. (\*क्र. 625) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15-06-2012 की स्थिति में किन-किन औद्योगिक इकाईयों से उद्योगों की स्थापना हेतु किए गये एम.ओ.यू. की अवधि कब-कब समाप्त हो गई है ? (ख) इन औद्योगिक इकाईयों को उद्योगवार क्या-क्या सुविधाएं राज्य शासन की ओर से प्रदान की जा चुकी है ? (ग) खदानों के संबंध में एम.ओ.यू. के आधार पर किनके-किनके पक्ष में कहां-कहां की खदान कितने-कितने क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई है ? (घ) एम.ओ.यू. समाप्ति दिनांक से उद्योगवार क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ङ) दी गई सुविधाएं/खदानें किनसे-किनसे वापस ली गई है/जा रही है ? उद्योगवार अद्यतन स्थिति क्या है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) दिनांक 15-06-2012 की स्थिति में उद्योग विभाग के साथ निष्पादित किसी भी एम.ओ.यू. की अवधि समाप्त नहीं हुई है। (ख) कंडिका “क” के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिर्फ एम.ओ.यू. के आधार पर खनिपट्टे अनुशंसित/स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम 1957 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत

राज्य में स्थापित/प्रस्तावित उद्योगों को खनिज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खनिज रियायतें अनुशंसित की जाती हैं। (घ) कंडिका “क” के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) कंडिका “क” के संदर्भ में दी गई सुविधाएं वापस लेने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथा कंडिका “ग” के संदर्भ में खनिज रियायतों संबंधी अनुशंसाएं भी वापस नहीं ली गई हैं।

#### सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिला में धान खरीदी

7. (\*क्र. 346) **श्री लखमा कवासी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 में सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिलों में सहकारी समितियों के माध्यम से कितना धान खरीदा गया ? (ख) खरीदी की गई धान की कस्टम मिलिंग किन-किन मिलरों से करायी गयी ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2011-12 में सुकमा जिले में 7465 मेट्रिक टन एवं दंतेवाड़ा जिले में 4244 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

#### जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित ग्रेन बैंक

8. (\*क्र. 235) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में कुल कितने ग्रेन बैंक खोले गये हैं ? (ख) कितने ग्रेन बैंकों में चावल संग्रहण साईलो स्थापित किये गये हैं ? (ग) वर्तमान में किस-किस साईलो में कितना-कितना चावल भंडारित है ? (घ) ग्रेन बैंकों के माध्यम से कितने जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 19 ग्रेन बैंक खोले गये हैं। (ख) किसी भी ग्रेन बैंक में साईलो स्थापित नहीं है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) ग्रेन बैंक के माध्यम से 826 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

#### रायपुर एवं बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी

9. (\*क्र. 626) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर एवं बलौदाबाजार जिला अंतर्गत वर्ष 2012-13 में दिनांक 25-06-2012 की स्थिति तक शासन द्वारा कुल कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है, कितना धान कस्टम मिलिंग के लिए भेजा जा चुका है, एवं कितना धान शेष है ? कस्टम मिलिंग हेतु शेष कितना-कितना धान कौन-कौन से संग्रहण केन्द्र में रखा हुआ है ? संग्रहण केन्द्रों में रखे धान की कीमत कितनी-कितनी है, और बारिश से धान की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं ? (ख) प्रश्नांक “क” में वर्णित संग्रहण केन्द्रों में रखा हुआ धान में से कितनी मात्रा में धान दिनांक 25-06-2012 की स्थिति तक बारिश में भीगने के कारण खराब हो गया है ? संग्रहण केन्द्रवार जानकारी दें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2012-13 में प्रश्नांकित अवधि तक राज्य शासन द्वारा रायपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 149 टन किसानों के रिजेक्ट किये गये बीज के धान की खरीदी की गई है तथा इसकी मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। खरीफ वर्ष 2012-13 में धान खरीदी का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में बारिश से धान खराब नहीं हुआ है।

#### उद्योगों द्वारा उत्सर्जित फ्लाई ऐश का निस्तार

10. (\*क्र. 606) **श्री बनाई जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहरों रायगढ़, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के फ्लाई ऐश के निस्तार के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ? (ख) प्रश्नांकित जिलों में प्रतिवर्ष फ्लाई ऐश का कितनी मात्रा में उत्सर्जन होता है ? (ग) इसकी कितनी मात्रा प्रतिवर्ष जल एवं वायु में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं ? (घ) इस प्रदूषण से कितने नदियों का जल कितनी मात्रा में दूषित हो चुका है और उसकी सफाई के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहरों रायगढ़, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने जैसी स्थिति नहीं है, अपितु प्रश्नाधीन जिलों में संचालित सभी ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर की स्थापना की गई है। साथ ही उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग विभिन्न कार्यों यथा राख आधारित ईट/ब्लॉक निर्माण, सीमेंट संयंत्रों को सीमेंट उत्पादन हेतु प्रदाय, भू-भरण, निष्क्रिय खदान में भराव आदि कार्यों में किये जाने के उपाय किये गये हैं। वृहद् ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उपरोक्त कार्यों में उपयोग उपरांत शेष फ्लाई ऐश का निपटान राखड़ बांध में करने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें वातावरण में फ्लाई ऐश के उड़ने की रोकथाम हेतु राख की सतह को गीला रखने/जल छिड़काव की व्यवस्था है। (ख) रायगढ़, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर जिले में संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से प्रतिवर्ष क्रमशः लगभग 52,80,000 टन, 12,46,500 टन, 1,63,95,400 टन एवं 39,56,700 टन फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। (ग) ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश का सीधे नदी में निस्सारण नहीं करने के कारण जल प्रदूषण फैलाने जैसी स्थिति नहीं है। विभिन्न कार्यों में फ्लाई ऐश के उपयोग के समय जल छिड़काव करने, फ्लाई ऐश का परिवहन ढककर करने, भू-भरण में उपयोग किये गये फ्लाई ऐश को उड़ने से रोकने के लिए इस पर मिट्टी की परत बिछाये जाने एवं राखड़ बांध से वातावरण में फ्लाई ऐश के उड़ने की रोकथाम हेतु राख की सतह को गीला रखने के कारण, फ्लाई ऐश के जल एवं वायु में मिलकर प्रदूषण फैलाने जैसी स्थिति नहीं है। अतः इस परिपेक्ष्य में फ्लाई ऐश की मात्रा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) फ्लाई ऐश के कारण किसी नदी का जल प्रदूषित होने जैसी स्थिति नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

#### खरीफ वर्ष 2013 हेतु धान का समर्थन मूल्य

11. (\*क्र. 160) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2013 के लिये धान के समर्थन मूल्य में राज्य शासन द्वारा वृद्धि हेतु कब-कब, क्या-क्या प्रयास किया गया ? तिथिवार जानकारी प्रदान करें। (ख) राज्य शासन की गणना अनुसार धान का मूल्य क्या है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) धान के समर्थन मूल्य निर्धारण की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है। खरीफ वर्ष 2013 के लिए समर्थन मूल्य निर्धारण के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

#### धान संग्रहण केन्द्रों की बारिश से सुरक्षा हेतु व्यय राशि

12. (\*क्र. 166) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में बारिश से सुरक्षा हेतु क्या-क्या उपाय किये हैं ? उक्त कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? (ख) क्या यह सत्य है कि अनेक संग्रहण केन्द्रों में नाली निर्माण व कैप ढांकने का कार्य नहीं किया गया है, यदि हां तो, क्या कारण है ? (ग) 20 जून, 2012 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में कितने धान की क्षति हुई ? जिलेवार बतायें।

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में धान की बारिश से सुरक्षा हेतु खरीफ वर्ष 2011-12 में 14,996 नग कैप कव्हर खरीदे गये हैं एवं धान को डनेज के ऊपर स्टेक लगाकर कैप कव्हर से ढककर सुरक्षित रखा गया है। संग्रहण केन्द्रों में बारिश के पानी की निकासी हेतु नालियां बनाई गई हैं। कैप कव्हर खरीदी हेतु 11.17 करोड़ रुपए, डनेज के लिये प्लास्टिक बोरी की खरीदी के लिए 1.96 करोड़ रुपये एवं डनेज हेतु धान भूसा खरीदी के लिए 7.76 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) 20 जून, 2012 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में धान की क्षति नहीं हुई है।

#### अहिवारा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत अटल नगर विकास योजना के तहत आवासों का निर्माण

13. (\*क्र. 583) **श्री डोमनलाल कोसैवाड़ा** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत अटल नगर विकास योजना के तहत किन-किन स्थानों पर आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? (ख) प्रस्तावित कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? विकासखंडवार जानकारी दें ? (ग) उक्त निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जावेगा ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में अटल विहार योजना के अंतर्गत तहसील धमधा में ग्राम मोहदी, ग्राम मुरमुंदा, ग्राम बोरसी एवं ग्राम अछोटी में आवास निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (ख) एवं (ग) भूमि प्राप्त करने की प्रक्रियागत कार्यवाही प्रचलित है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में बी.पी.एल. कार्डधारियों की संख्या

14. (\*क्र. 60) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने बी.पी.एल. हितग्राही कार्डधारी हैं ? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) प्रदेश के उक्त बी.पी.एल. कार्डधारियों को प्रत्येक माह क्या-क्या सामग्री कितने-कितने मूल्य में प्रदान की जाती है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में कुल 32,26,516 बीपीएल/अन्त्योदय राशनकार्डधारी हैं. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) अन्त्योदय कार्डधारियों को प्रतिमाह 1 रुपए किलो की दर पर 35 किलो चावल, निःशुल्क 2 किलो अमृत नमक, 13.50 रुपए की दर पर 1.30 किलो शक्कर तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर मिट्टी तेल प्रदाय किया जाता है. शेष बीपीएल परिवारों को 2 रुपए किलो की दर पर 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क 2 किलो अमृत नमक, शक्कर 1.30 किलो 13.50 रुपए की दर पर तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर मिट्टी तेल प्रदाय किया जाता है. बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सभी बीपीएल/अन्त्योदय राशनकार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह 5 रुपए प्रति किलो की दर पर 1 किलो चना प्रदाय किया जाता है.

कोरबा जिले में स्थापित उद्योगों सामुदायिक विकास मद में व्यय राशि

15. (\*क्र. 522) **श्री बोधराम कंवर** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में स्थापित विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में कितनी-कितनी राशि प्रत्येक उद्योगों द्वारा सामुदायिक विकास मद में कहां-कहां व्यय की गई ? (ख) सामुदायिक विकास मद हेतु राशि तय करने का क्या मापदण्ड है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) कोरबा जिले में स्थापित उद्योगों द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में सामुदायिक विकास मद में व्यय की गयी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सामुदायिक विकास मद हेतु मापदण्ड यथाशीघ्र तय किये जा रहे हैं.

नई राजधानी के लिये अधिग्रहित भू-स्वामियों का पुनर्वास

16. (\*क्र. 306) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नई राजधानी के लिये जिन ग्रामों के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है, उन किसानों को पुनर्वास पैकेज के तहत क्या-क्या लाभ दिया गया है ? (ख) क्या नई राजधानी के लिये अधिग्रहित क्षेत्रों में उद्योग अथवा व्यवसाय प्रायोजन हेतु जमीन की खरीद बिक्री की गई है ? यदि हां तो, जमीन की मात्रा कितनी है एवं किन-किन प्रायोजन के लिये खरीदी अथवा अधिग्रहित की गई है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) नया रायपुर में जिन ग्रामों के किसानों की जमीन आपसी सहमति से एन.आर. डी.ए. द्वारा खरीदी गई है, उन किसानों को भूमि के मूल्य व अनुग्रह राशि के अलावा पुनर्वास पैकेज के तहत दिये गये लाभ का विवरण परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ख) नया रायपुर में एन.आर.डी.ए. द्वारा जमीन की बिक्री नहीं की गई है. नया रायपुर में “नया रायपुर विकास योजना 2031” के तहत शहर विकास के प्रयोजनों से जमीन क्रय/अधिग्रहित की जा रही है जिसमें आवासीय, पब्लिक एवं सेमी पब्लिक, रिक्रियेशनल, ट्रांसपोर्ट, कम्पोजिट, भू-उपयोग के अलावा व्यवसायिक-रिटेल, व्यवसायिक-थोक, विशिष्ट उद्योग, औद्योगिक एवं यातायात के भू-उपयोग सम्मिलित है. नया रायपुर लेयर-I के अंतर्गत कुल 8013 हेक्टेयर भूमि में व्यवसायिक-रिटेल भू-उपयोग 1.81 प्रतिशत, व्यवसायिक-थोक 1.63 प्रतिशत, औद्योगिक भू-उपयोग 2.42 प्रतिशत एवं विशिष्ट उद्योग 3.28 प्रतिशत है. प्रयोजन विशेष हेतु भूमि क्रय नहीं होने से पृथक से मात्रा बताया जाना संभव नहीं है.

कोटा तथा मरवाही वि. स. क्षेत्र में धान का संग्रहण/संरक्षण

17. (\*क्र. 646) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोटा व मरवाही विधान सभा में धान खरीदी के बाद उसका संग्रहण एवं संरक्षण किस स्थान पर किया जाता है और इस वर्ष कितने लाख टन कुल धान खरीदी हुई है ? (ख) वर्तमान में कितना टन धान बिना संरक्षण के खुले में रखा हुआ है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) कोटा व मरवाही विधान सभा क्षेत्र में धान खरीदी के बाद संग्रहण भरनीभाठा एवं पेण्ड्रा धान संग्रहण केन्द्र में किया जाता है। इस वर्ष कोटा विधान सभा क्षेत्र में 57.602 मेट्रिक टन तथा मरवाही विधान सभा क्षेत्र में 15.576 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। (ख) धान बिना संरक्षण के खुले में नहीं रखा गया है। भरनीभाठा संग्रहण केन्द्र में 31298 मेट्रिक टन एवं पेण्ड्रा धान संग्रहण केन्द्र में 3853 मेट्रिक टन धान केप कव्हर से ढककर सुरक्षित रखा गया है।

बस्तर जिले में क्रशर प्लांटों से फैलने वाले प्रदूषण की जांच

18. (\*क्र. 355) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में कहां-कहां कितने क्रशर प्लांट नियमानुसार लायसेंसशुदा स्थापित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) क्या क्रशर प्लांटों से फैलने वाले प्रदूषण की जांच विभाग द्वारा की गई है ? यदि हां तो, वर्ष 2011 में कितने क्रशर प्लांटों की जांच की गई ? जांच के दौरान क्या पाया गया ? क्या अनियमितता की स्थिति में किसी प्रकार की कार्यवाही की गई ? (ग) किन-किन क्रशर प्लांटों में प्रदूषण रोकथाम हेतु ई.एस.पी.एन. लगाया गया है ? जांच के दौरान प्रदूषण रोकथाम मशीन का उपयोग नहीं किए जाने वाले क्रशर प्लांटों पर क्या कार्यवाही की गई ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त 80 क्रशर उद्योग स्थापित है। विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। (ख) जी हां। वर्ष 2011 में बस्तर जिले में कुल 80 क्रशर उद्योगों की जांच की गई। उपरोक्त जांच के दौरान पाई गई स्थिति बाबत जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” के कॉलम-04 पर है। जी हां, उपरोक्त जांच के दौरान कमियां पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही की गई है। (ग) क्रशर उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तुतः इन इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के तहत मुख्य रूप से कवर्ड स्क्रीनिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। जिन क्रशर उद्योगों में जांच के दौरान समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन नहीं पाया गया है, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र के कॉलम 05 पर है।

अकलतरा तहसील में लाफार्ज सीमेंट संयंत्र को आवंटित भूमि

19. (\*क्र. 43) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चाम्पा जिले में अकलतरा तहसील के अन्तर्गत लाफार्ज सीमेंट संयंत्र को ग्राम सोनसरी, आरसमेटा और अमोरा में उद्योग विभाग द्वारा कितनी भूमि कब और कितने वर्षों के लिए किस प्रयोजन हेतु दी गयी है ? इनमें से कितनी भूमि का दिनांक 20-06-2012 की स्थिति में उपयोग नहीं हुआ है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा तहसील के अन्तर्गत मेसर्स रेमण्ड सीमेंट वर्क्स, गोपालनगर को सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु उद्योग विभाग द्वारा सीमेंट उत्पादन की परियोजना हेतु एवं विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (पूर्व नाम मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड-रायपुर), द्वारा रेल्वे साईडिंग हेतु भूमि का आवंटन, आवंटन दिनांक से 99 वर्षों के लिये लीज पर किया गया है जिसका हस्तांतरण वर्ष 2001 में मेसर्स लाफार्ज सीमेंट संयंत्र को किया गया है, आवंटित भूमि की ग्रामवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम	उद्योग विभाग द्वारा आवंटित भूमि (रकबा हे. में)	उद्योग विभाग द्वारा आवंटित भूमि के लीज डीड निष्पादन की तिथि	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्ह. कार्पोरेशन लि. द्वारा आवंटित भूमि (रकबा हे. में)	डेव्हलपमेंट कार्पो. लि. द्वारा आवंटित भूमि के लीज डीड निष्पादन की तिथि	कुल आवंटित भूमि (रकबा हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सोनसरी	—	—	—	—	—
2.	आरसमेटा	—	—	5.404	14-02-1984	—
3.	अमोरा	17.765 46.012	16-05-1979 29-04-1979	8.618 —	14-02-1984 —	— —
<b>योग</b>		<b>63.777</b>		<b>14.022</b>		<b>77.799</b>

उपरोक्त भूमि में से दिनांक 20-06-2012 की स्थिति में ग्राम आरसमेटा में लीज पर दी गई 5.404 हेक्टे. भूमि में से 0.672 हेक्टे. भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

कुरुद विधान सभा क्षेत्र में संचालित गोदाम विहीन सहकारी संस्था/समिति

20. (\*क्र. 502) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं विपणन सहकारी संस्थायें संचालित हैं ? उक्त में से कितने के खाद्य गोदाम निर्मित हैं तथा कितने में गोदाम नहीं हैं ? नाम सहित बतायें. (ख) गोदाम विहीन संस्थाओं में सामग्री रखने की क्या व्यवस्था है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र में 24 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां एवं 01 विपणन सहकारी संस्था संचालित है. उक्त समितियों में से 4 दुकानों में खाद्य गोदाम नहीं है. इनके नाम क्रमशः रामपुर, तरागोदी, मन्दरौद एवं परसट्टी है. (ख) गोदाम विहीन संस्थाओं में किराये के भवन में खाद्यान्न भण्डारण किया जा रहा है.

बेमेतरा वि.स. क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालित वितरण केन्द्र

21. (\*क्र. 529) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कहां-कहां वितरण केन्द्र है एवं किनके-किनके द्वारा संचालित हैं ? केन्द्र का नाम व पता सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है ? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें ? (ग) कंडिका “क” के अंतर्गत संचालित सार्वजनिक वितरण केन्द्र में किन-किन केन्द्रों से वितरण संबंधी व्यवस्था अनियमितता किये जाने की शिकायतें मार्च 2011 से 26 जून, 2012 तक प्राप्त हुई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है.

तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम रायखेड़ा में जी.एम.आर. कंपनी द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण

22. (\*क्र. 512) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम रायखेड़ा, गौरवेड़ा, चिचोली, जंजगीरा, खपरी एवं अन्य गांवों की शासकीय भूमि, जी.एम.आर., पॉवर प्लांट को उद्योग लगाने हेतु सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से आवंटित की गई है ? यदि हां तो, किस-किस मद (निस्तारी पत्रक के अनुसार) के, कितनी-कितनी भूमि, खसरा नं. हल्का नं. सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के निस्तार के अनुसार कंपनी को आवंटित भूमि के बदले ग्रामीणजनों के लिए सार्वजनिक उपयोग, चारागाह एवं अन्य उपयोग हेतु वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया गया है, यदि हां तो कहां, यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या कंडिका “क” की कंपनी द्वारा क्या आवंटित भूमि के अतिरिक्त सिंचाई के नहर-नाली, आम रास्ता, श्मशान घाट एवं अन्य भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां तो, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा जी.एम.आर. पॉवर प्लांट को तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम रायखेड़ा की 171.08 हेक्टेयर घास मद में दर्ज शासकीय भूमि का आवंटन किया गया है. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. ग्राम गौरवेड़ा, चिचोली, जंजगीरा एवं खपरी की भूमि आवंटित नहीं की गई है. (ख) कंडिका “क” के अनुसार कंपनी को उपलब्ध करायी गई निस्तार भूमि के बदले में कोई अन्य भूमि ग्रामवासियों को उपलब्ध नहीं करायी गयी है. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत कुल कृषि भूमि की 2 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखते हुए ही भूमि उद्योग विभाग को हस्तान्तरित की गई है. (ग) राजस्व अभिलेख (नक्शा) में दर्शित आम रास्ता जिसे आवंटन से पृथक रखा गया है, जिसे कंपनी द्वारा आवागमन हेतु बंद कर दिया गया है. बंद किये गए आम रास्ते की वैकल्पिक व्यवस्था कंपनी द्वारा स्वयं की भूमि पर की गई है, जिसके संबंध में कम्पनी को नोटिस जारी किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. श्मशान घाट पर कम्पनी द्वारा कब्जा नहीं किया गया है. कम्पनी द्वारा सिंचाई नहर नाली को अपने परिसर में लेकर वाउण्ड्री वाल बनायी गयी है, परंतु नहर चालू है. कंपनी के विरुद्ध शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने/अतिक्रमण के संबंध में थाना प्रभारी खरोरा जिला रायपुर को अपराध दर्ज करने हेतु लिखा गया है.

रायपुर स्थित सिलतरा के उद्योगों में प्रदूषण निवारण संयंत्रों के उपयोग की जांच

23. (\*क्र. 468) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण की मात्रा कितनी है ? (ख) क्या वर्ष 2010 व 2011 में औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में

स्थापित उद्योगों में प्रदूषण निवारण संयंत्रों के इस्तेमाल की जांच की गई है ? यदि हां तो, जांचकर्ता का नाम एवं तिथि सहित जानकारी देवें ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में परिवेशीय वायु की औसत गुणवत्ता पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 तथा सिलतरा के समीप नदी जल की गुणवत्ता पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. सिलतरा में ध्वनि स्तर मापन कार्य नहीं किया गया है. (ख) जी हां. औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा एवं आसपास स्थापित उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के जांचकर्ताओं के नाम एवं तिथियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है.

#### प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

24. (\*क्र. 637) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवंबर, 2011 से फरवरी, 2012 के मध्य छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा खरीदे गये धान में से कौन-कौन से जिले में कितने-कितने धान की खरीदी की गई ? इन जिलों में खरीदे गये धान की मात्रा में मिलान करने पर कितनी मात्रा में धान की शॉर्टेज (कमी) पाई गई है, जिलेवार बतावें ? (ख) प्रश्न “क” में पूछे गये धान खरीदी केन्द्रों पर क्या धान की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये थे एवं क्या शासन की नीति के अनुसार धान खरीदी केन्द्रों से प्रमुख संग्रहण केन्द्रों तक धान परिवहन का कार्य निर्धारित समय में किया गया है ? (ग) प्रश्न “क” में पूछे गये धान खरीदी में आकस्मिक वर्षा से कितना धान सड़ गया या खराब हो गया है ? (घ) प्रश्न “क” में पूछे गये धान शॉर्टेज (कमी) का कारण क्या है ? क्या धान शॉर्टेज के कारण किसी कर्मचारी अधिकारी पर कार्यवाही हुई है, बतायें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां. धान खरीदी केन्द्रों में धान की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये थे तथा खरीदी केन्द्रों से संग्रहण केन्द्रों तक धान का परिवहन यथासंभव निर्धारित समय में किया गया. (ग) आकस्मिक वर्षा से कांकेर जिले के उंकारी खरीदी केन्द्र में 1.88 टन धान खराब हुआ है. (घ) धान की मात्रा में शॉर्टेज सामान्यतः सूखत एवं परिवहन के दौरान हुई कमी के कारण प्रथम दृष्टतया परिलक्षित हुई है. धान मिलान पश्चात् जिन खरीदी केन्द्रों में धान में असामान्य कमी परिलक्षित हुई है, में भौतिक सत्यापन व जांच कर शॉर्टेज हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये गये हैं. दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. सरगुजा जिले में 5 उपार्जन केन्द्रों में धान की मात्रा में अत्याधिक कमी होने के कारण समिति प्रबंधकों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है.

#### आरंग विधान सभा क्षेत्र में धान संग्रहण केन्द्रों हेतु स्वीकृत राशि

25. (\*क्र. 124) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने धान संग्रहण केन्द्र हैं एवं कितने उपसंग्रहण केन्द्र हैं ? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त उपधान संग्रहण केन्द्रों में ऑफिस भवन, विद्युत एवं बाउन्ड्री वॉल बनाने के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लखौली में धान संग्रहण केन्द्र है. उपसंग्रहण केन्द्र स्थापित नहीं है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

-----

## नियम 46 ( 2 ) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

### जिला रायगढ़ में उद्योगों के सी.एस.आर. मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों

1. (क्र. 19) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में विभिन्न उद्योगों से सी.एस.आर. मद से 2011-12 में कितनी-कितनी राशि, किस-किस उद्योग से जमा करायी गयी ? (ख) सी.एस.आर. मद की राशि से वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में किस-किस उद्योग से कौन-कौन से कार्य की स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं ? लागत राशि के साथ उद्योग एवं कार्यवार जानकारी दें।

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** ( श्री राजेश मूणत ) : (क) रायगढ़ जिले में विभिन्न उद्योगों से सी.एस.आर. मद से वर्ष 2011-12 में जमा करायी गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	उद्योग का नाम	राशि रुपये में
1.	एस.ई.सी.एल. रायगढ़	26,13,390.00
2.	डी.बी.पावर लिमि. धरमजयगढ़, रायगढ़	50,00,000.00
3.	मे. जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज रायगढ़	24,00,000.00
4.	मे. मेक्को स्टील पावर लिमिटेड	1,00,000.00
5.	मे. मां शाकम्बरी स्टील लिमि. संबलपुरी	4,00,000.00
6.	मे. महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि.	21,00,000.00

**कुल राशि रु. 1,26,13,390.00**

(एक करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार तीन सौ नब्बे रुपये)

(ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 में सी.एस.आर. मद में से उद्योगों को सौंपे गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” में दर्शित है, जिसमें लागत की राशि निर्धारित नहीं की गयी थी. वित्तीय वर्ष 2011-12 में रायगढ़ जिले के विभिन्न उद्योगों को सौंपे गये कार्यों की लागत राशि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” में दर्शित है.

### बलौदा नगर पंचायत क्षेत्र में कोलवासरी संयंत्र स्थापित करने की प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति

2. (क्र. 44) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चाम्पा जिले के बलौदा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस कोलवासरी को संयंत्र लगाने की पर्यावरण अनुमति कब दी गयी है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** ( श्री राजेश मूणत ) : जांजगीर-चाम्पा जिले के बलौदा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत केवल एक उद्योग मेसर्स क्लीन कोल इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड को कोल वॉशरी संयंत्र लगाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 20-10-2009 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है.

### महासमुन्द जिले में पहुंच विहीन ग्रामों के राशन भण्डारण की व्यवस्था

3. (क्र. 175) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में बारिश में पहुंच विहीन ग्रामों की संख्या विकासखण्डवार कितनी है ? (ख) जिले के पहुंच विहीन ग्रामों में बरसात के लिये उचित मूल्य के राशन सामग्री के भण्डारण की क्या व्यवस्था की गई है ?

**खाद्य मंत्री** ( श्री पुनूलाल मोहल ) : (क) महासमुन्द जिले में पहुंचविहीन ग्राम नहीं है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

विभिन्न जिलों में ग्रीष्मकालीन धान की फसल का समर्थन मूल्य पर क्रय

4. (क्र. 177) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में दिनांक 20-06-2012 तक शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल कितनी मात्रा में कौन-कौन सी किस्म की ग्रीष्मकालीन धान की फसल का समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया है एवं कुल कितनी राशि प्रत्येक जिले में धान खरीदी के एवज में किसानों को वितरित की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में ग्रीष्मकालीन धान समर्थन मूल्य पर क्रय नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

समर्थन मूल्य पर खरीफ/रबी फसल के धान की खरीदी

5. (क्र. 236) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में समर्थन मूल्य पर खरीफ एवं रबी फसल (क्रमशः वर्ष) की धान खरीदी 30 मार्च, 2012 की स्थिति में खरीफ फसल तथा 31 मई, 2012 की स्थिति में रबी फसल में कितनी की गई ? (ख) उन्नावधि में बारिश के कारण कितना धान खराब हुआ ? विकासखण्डवार बतायें। (ग) बारिश से धान खराब होने से बचाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए व उपाय हेतु केन्द्रवार कितना-कितना व्यय किया गया ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में खरीफ वर्ष 2011-12 में समर्थन मूल्य पर 7,80,140 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। रबी फसल के धान की खरीदी नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश "क" की अवधि में बारिश से धान खराब नहीं हुआ है। (ग) बारिश से धान खराब होने से बचाने के लिए तालपत्री/पॉलिथीन कव्हर, प्लास्टिक बोरी, भूसा आदि की व्यवस्था की गई थी। उपरोक्त व्यवस्था हेतु व्यय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

एन. एम. डी. सी. द्वारा स्थापित नगरनार इस्पात संयंत्र में प्रभावितों के पुनर्वास पैकेज की जानकारी

6. (क्र. 257) **श्री संतोष बाफना** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एन. एम. डी. सी. द्वारा स्थापित किये जा रहे नगरनार इस्पात संयंत्र में प्रभावितों के लिए क्या पुनर्वास पैकेज घोषित किया गया है ? यदि हां तो, पुनर्वास पैकेज में प्रभावितों के लिए क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं ? (ख) नगरनार इस्पात संयंत्र में वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं इनमें से कितने कर्मचारी स्थानीय एवं कितने अन्य प्रान्तों से संबंधित हैं ? क्या कर्मचारियों की नियुक्ति में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नगरनार में स्थापित किये जा रहे इस्पात संयंत्र हेतु एन.एम.डी.सी. द्वारा पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है। पुनर्वास समिति के समक्ष विचाराधीन होने के कारण घोषित नहीं किया गया है। (ख) पुनर्वास पैकेज में मुख्य प्रावधानों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, नगरनार में 290 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 288 स्थानीय व्यक्ति हैं। शेष 02 कर्मचारी अन्य प्रान्त से संबंधित हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

बस्तर जिले में बुनकर समितियों को प्रदायित राशि

7. (क्र. 258) **श्री संतोष बाफना** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में कितनी बुनकर समितियां हैं ? नाम एवं स्थान सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) इनमें से कितनी और कौन-कौन सी समितियां वर्तमान में कार्यशील हैं एवं इन समितियों द्वारा विगत तीन वर्षों में कितने कपड़े की बुनाई का कार्य किया गया एवं इन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया बुनकर समितिवार वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) राज्य में हाथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन और रोजगार देने के लिये क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं ? इन योजनाओं के तहत बस्तर जिले में संचालित बुनकर समितियों को दिये लाभ की जानकारी समितियों के नाम सहित वर्षवार बताएं ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) बस्तर जिले में 15 बुनकर समितियां हैं। नाम एवं स्थान सहित विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है। (ख) 09 समितियां कार्यशील हैं, जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है। इन समितियों द्वारा विगत तीन वर्षों में 2,50,480.65 मी. कपड़े का बुनाई कार्य किया गया तथा राशि रु. 41,10,662.66 बुनाई मजदूरी का भुगतान बुनकरों को किया गया। समितिवार वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है। (ग) राज्य में हाथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन और रोजगार देने के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" में दर्शित है। इन योजनाओं के तहत बस्तर जिले में संचालित समितियों को दिये गये लाभ की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "द" पर दर्शित है।

वर्ष 2011-12 में धान शॉर्टेज की जानकारी

8. (क्र. 308) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2011-12 के दौरान सहकारी समितियों से खरीदी गई धान में किन-किन जिलों में कितनी-कितनी मात्रा में धान शॉर्टेज के मामले प्रकाश में आये हैं ? जिलेवार सहकारी समितियों की शॉर्टेज मात्रा एवं मूल्य बतावें ? (ख) जिन स्थानों में निर्धारित प्रतिशत से अधिक मात्रा से धान की शॉर्टेज पायी गई है वहां किसे जिम्मेदार माना गया है एवं क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) सहकारी समिति स्तर पर खरीदे गये धान में शॉर्टेज मान्य नहीं है. जिलेवार सहकारी समितियों में धान की शॉर्टेज मात्रा एवं मूल्य की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) धान मिलान पश्चात् जिन खरीदी केन्द्रों में धान में असामान्य कमी परिलक्षित हुई है, में भौतिक सत्यापन व जांच कर शॉर्टेज हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये गये हैं. दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. सरगुजा जिले में 5 उपार्जन केन्द्रों में धान की मात्रा में अत्याधिक कमी होने के कारण समिति प्रबंधकों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है.

रायगढ़ औद्योगिक इकाईयों के राखड़ डम्पिंग की प्रदत्त अनुमति

9. (क्र. 309) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में किन-किन औद्योगिक इकाईयों को अपने उत्पाद अवशेष (राखड़) डम्प करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ? अनुमति की तिथि एवं संबंधित औद्योगिक संस्थान के लिये डम्पिंग हेतु निर्धारित स्थल की जानकारी देवें. (ख) रायगढ़ जिले में प्रतिदिन कितनी मात्रा में विभिन्न उद्योगों से राखड़ अवशेष के रूप में निकल रहा है ? इन राखड़ों से ईंट बनाने की कुल कितनी इकाईयां किन-किन स्थानों पर है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाईयों को अपने उत्पाद अवशेष (राखड़) डम्प करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई है. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ द्वारा जिला रायगढ़ में जिन उद्योगों को टोस/अपशिष्ट/राखड़ के भण्डारण/भू-भरण/खदान भराव हेतु अनुमति प्रदान की गई है, उसकी जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) रायगढ़ जिले में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाईयों से लगभग 16000 टन/दिन राखड़ निकलता है. जिला रायगढ़ में राखड़ से ईंट बनाने के कुल 24 ईंट निर्माण संयंत्र स्थापित है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन

10. (क्र. 321) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें किनके-किनके द्वारा संचालित की जा रही हैं ? उक्त संचालित उचित मूल्य दुकानों में से, कुल कितनी दुकान किस-किस महिला स्व सहायता समूह को दी गई है ? (ख) उक्त उचित मूल्य की दुकानों हेतु कितने स्व सहायता समूहों के आवेदन लंबित हैं ? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा 85, ग्राम पंचायत द्वारा 77, वन सुरक्षा समिति द्वारा 02 तथा सेवा सहकारी समिति द्वारा 01 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है. महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु महिला स्व-सहायता समूह का आवेदन लंबित नहीं है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राईस मिलों का निरीक्षण

11. (क्र. 322) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किन-किन राईस मिलों का वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया एवं किन-किन को पर्यावरण कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया ? (ख) यदि हां तो दोषी राईस मिलों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) दिनांक 01-04-2010 से 31-03-2012 की अवधि में सारंगढ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उसना राईस मिलों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण संबंधी जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. उक्त अवधि में किये गये निरीक्षण के दौरान किसी उसना राईस मिल में उल्लंघन होना नहीं पाया गया है. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

सुकमा, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

12. (क्र. 347) **श्री लखमा कवासी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुकमा, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में कितनी सरकारी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? स्थलवार, ग्रामवार जानकारी प्रदान करें. (ख) उक्त संचालित उचित मूल्य की दुकानों में कौन-कौन सी खाद्य सामग्रियां प्रदान की जाती हैं ? (ग) वर्ष 2011-12 में उक्त जिलों में कितनी-कितनी मात्रा में राशन प्रदान किया गया है?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) सुकमा में 143 दंतेवाड़ा में 132 तथा बीजापुर में 158 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार है. (ख) प्रश्नांश “क” में संचालित उचित मूल्य दुकानों में चावल, गेहूं, शक्कर, नमक एवं चना प्रदाय किया जाता है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” अनुसार है.

चित्रकोट वि. स. क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

13. (क्र. 356) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत 30 जून, 2012 की स्थिति में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत संचालित उचित मूल्य की दुकानों में विगत 01 वर्ष में किन-किन दुकानों के संचालक/समिति/समूहों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? विकासखण्डवार, पंचायतवार विस्तृत ब्यौरा पृथक-पृथक उपलब्ध करावें.

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 30 जून, 2012 की स्थिति में 111 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. (ख) प्रश्नांश “क” के उचित मूल्य दुकानों में विगत 1 वर्ष में विकासखण्ड दरभा एवं विकासखण्ड बास्तानार के उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है. विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायगढ़ जिले में संचालित अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों की जानकारी

14. (क्र. 438) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में अन्नपूर्णा दालभात योजना का प्रारंभ किस वर्ष एवं कुल कितने दालभात केन्द्रों के साथ कहां-कहां प्रारंभ किया गया ? विकासखण्डवार, स्थानवार जानकारी दें ? (ख) वर्णित दालभात केन्द्रों में से कितने केन्द्र दिनांक 15-06-2012 की स्थिति में संचालित किए जा रहे हैं ? कितने नवीन दालभात केन्द्र किन-किन स्थानों पर प्रारंभ किए गए हैं ? विकासखण्डवार, स्थानवार एवं संस्थावार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश “ख” में वर्णित इन दालभात केन्द्रों में प्रतिदिन औसतन कितने लोग भोजन करते हैं ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र वर्ष 2004 में 12 केन्द्रों में प्रारंभ किया गया. विकासखण्डवार, स्थानवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) दिनांक 15-06-2012 की स्थिति में 08 दालभात केन्द्र संचालित हैं. प्रश्नांश “क” में उल्लेखित दाल भात केन्द्रों के अतिरिक्त 01 नवीन दाल भात केन्द्र प्रारंभ किया गया है. विकासखण्डवार, स्थानवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

खरीफ विपणन वर्ष 2012 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

15. (क्र. 439) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ विपणन वर्ष 2012 में समर्थन मूल्य पर जिलेवार कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई ? (ख) उल्लेखित धान की मात्रा में से जिलेवार कितने मीट्रिक टन धान का

उठाव संग्रहण केन्द्रों से किया गया है ? कितने मीट्रिक टन धान शॉर्टेज अनुमानित किया गया है ? (ग) उपरोक्त में से कितने मीट्रिक टन धान 15-06-2012 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में ही रखा गया है ? उसमें से कितना धान खराब हो चुका है ? जिलेवार बतावें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान का निराकरण होने के बाद शॉर्टेज धान की जानकारी ज्ञात हो सकेगी. (ग) दिनांक 15-06-2012 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में 8,07,654 मेट्रिक टन धान रखा गया है. संग्रहण केन्द्रों में धान खराब नहीं हुआ है.

#### रायपुर जिले में बी.पी.एल. कार्डधारी की जानकारी

16. (क्र. 474) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में कितने बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार हैं तथा कितने अन्य कार्डधारी परिवार हैं ? (ख) वर्ष 2010 एवं 2011 में कितने बी.पी.एल. कार्ड सत्यापन के उपरान्त निरस्त किये गये हैं ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायपुर जिले में 1,92,365 बीपीएल/अन्त्योदय/मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारी परिवार, 2,30,319 एपीएल राशनकार्डधारी परिवार एवं 907 अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारी हैं. (ख) वर्ष 2010 एवं 2011 में राशनकार्ड सत्यापन उपरांत 54,452 बीपीएल राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं.

#### जिला दुर्ग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की संचालित दुकानें

17. (क्र. 494) **श्री डोमनलाल कोसेवाड़ा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी दुकानें संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार दुर्ग जिले में कितनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें ग्राम पंचायतों एवं कितनी स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित है ? विकासखंडवार पृथक-पृथक जानकारी दें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) दुर्ग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 577 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

#### बेमेतरा विधान सभा में स्थापित उद्योग

18. (क्र. 530) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित हैं ? (ख) क्या इन उद्योगों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय किये गये हैं ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में 66 उद्योग स्थापित हैं जिनमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के तहत सम्मति प्राप्त 19 उद्योग हैं. (ख) जी हां.

#### प्रदेश में धान का उत्पादन एवं क्रय

19. (क्र. 538) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 में प्रदेश में कितना धान उत्पादन हुआ और समर्थन मूल्य पर कितना धान, कितनी कीमत पर खरीदा गया ? जिलेवार धान खरीदी एवं उत्पादन का विस्तृत विवरण दें ? (ख) इस वर्ष बेमौसम बारिश एवं अन्य कारणों से कितना धान तथा कितनी कीमत का खराब हुआ ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का आवंटन

20. (क्र. 624) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड धारियों को माहवार वितरित करने के लिए खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल का आवंटन योजनावार किस-किस प्रकार के राशनकार्ड धारियों को कितना-कितना, किस-किस दर में करने के लिए दिया है ? (ख) उक्त प्राप्त आवंटन के आधार पर जिला रायपुर, बलौदाबाजार एवं कबीरधाम में माह अप्रैल, मई एवं जून में माहवार कार्ड वितरण हेतु प्रति कार्ड के मान से कितना-कितना आवंटन राशन दुकानों को दिया गया है ? (ग) क्या भारत सरकार के आदेश दिनांक 12 मार्च 2012 के अनुसार खाद्यान्न का आवंटन जिस योजना के लिए दिया गया है उसी योजना में वितरित करना है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2012-13 हेतु अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों के लिए प्रतिमाह 35 किलो चावल, बीपीएल हितग्राहियों के लिए प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न एवं एपीएल हितग्राहियों हेतु प्रतिमाह 15 किलो खाद्यान्न के मान से आवंटन दिया गया है. भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय चावल की उपभोक्ता दर 3 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है. बीपीएल एवं एपीएल योजना के हितग्राहियों हेतु भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता दर का निर्धारण नहीं किया जाता है. अन्त्योदय, बीपीएल एवं एपीएल हितग्राहियों हेतु जारी मिट्टी तेल की उपभोक्ता दर एवं प्रति कार्ड वितरण मात्रा का निर्धारण भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता है. (ख) प्रश्नांकित अवधि में रायपुर, बलौदाबाजार एवं कबीरधाम जिले के अन्त्योदय योजना, बीपीएल एवं एपीएल योजना के अंतर्गत वितरण हेतु आवंटित राशन सामग्री की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी हां.

जिला बलौदाबाजार में खाद्य सामग्री की जमाखोरी के दर्ज प्रकरण

21. (क्र. 627) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलौदाबाजार अंतर्गत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में दिनांक 25-06-2012 की स्थिति तक खाद्य सामग्री की जमाखोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं ? जमाखोरी करने वाले किन-किन लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या-क्या खाद्य सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में जप्त की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : प्रश्नांकित अवधि में जिला बलौदाबाजार में खाद्य सामग्री की जमाखोरी के प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एवं कस्टम मिलिंग

22. (क्र. 633) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलेन्डर वर्ष 2011 एवं 2012 में प्रदेश के किसानों से कितनी-कितनी मात्रा में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई ? जिलेवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” की खरीदी किए धान की कितनी-कितनी मात्रा में 20 जून, 2012 की स्थिति में कस्टम मिलिंग कराया गया ? जिलेवार ब्यौरा दें ? और कितना-कितना धान कस्टम मिलिंग के लिए शेष है ? (ग) शेष धान में से कितनी-कितनी मात्रा में धान गोदाम में, और संग्रहण केन्द्रों में खुले में रखा गया है, खुले में रखे धान को वर्षा से बचाने के क्या उपाय किए गए हैं ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) कैलेन्डर वर्ष 2011 में 65,53,806 मेट्रिक टन तथा वर्ष 2012 में (20 जून, 2012 तक) 23,05,215 मेट्रिक टन धान खरीदी की गई है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) कस्टम मिलिंग हेतु शेष धान संग्रहण केंद्र में खुले में 7,44,397 मेट्रिक टन एवं गोदाम में 11,500 मेट्रिक टन धान भंडारित है. खुले में भंडारित धान को डनेज के ऊपर केप कव्हर से ढग कर रखा गया है तथा वर्षा के पानी निकासी हेतु नाली निर्माण कराया गया है.

औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, रायपुर राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की जांच

23. (क्र. 634) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा एवं रायपुर राजधानी सीमा क्षेत्र में वायु, प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की जांच कैलेन्डर वर्ष 2011 एवं 12 में कब-कब, कहां-कहां की गई ? जांच में मिले निष्कर्ष का ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा एवं रायपुर राजधानी सीमा क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं जल गुणवत्ता की जांच प्रश्नाधीन अवधि में जिन-जिन स्थलों एवं तिथियों में की गई हैं, उनका परिणाम सहित विवरण क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं पुस्तकालय में रखे 2 पर है. (ख) प्रदूषण की रोकथाम के लिये निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. रायपुर शहर से लगे औद्योगिक क्षेत्रों एवं अन्य इकाईयों में स्थापित वायु एवं जल प्रदूषण उपकरणों के सतत् संचालन/संधारण तथा उन्नयन के संबंध में नियमित निरीक्षण एवं उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना.
2. चिमनियों से डस्ट के उत्सर्जन के मानक को और अधिक सख्त किया जाना.
3. औद्योगिक इकाईयों के आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाना.
4. औद्योगिक इकाईयों के परिसर एवं आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाना.
5. ठोस अपशिष्टों यथा फ्लाई ऐश, स्लैग आदि का लाभकारी कार्यों जैसे ईट निर्माण, सीमेंट निर्माण एवं भू-भरण आदि में उपयोग किया जाना.

#### मंत्रालय भवन पूर्ण होने की जानकारी

24. (क्र. 638) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नया रायपुर (नई राजधानी) में मंत्रालय भवन, विभागाध्यक्ष भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है यदि हां तो किस तिथि को पूर्ण हो गया है यदि नहीं तो कब तक पूर्ण हो जायेगा ? (ख) प्रश्न “क” में पूछे गये भवनों में कार्यालय कब तक शिफ्ट हो जायेंगे ? (ग) प्रश्न “क” में पूछे गये भवनों में क्या अग्निरोधक यंत्र लगाये गये हैं ? यदि हां तो क्या-क्या व्यवस्था है ? (घ) प्रश्न “क” में पूछे गये भवनों में आग से बचने हेतु क्या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं लगाया गया है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) जी नहीं. मंत्रालय भवन अगस्त 2012 तक तथा विभागाध्यक्ष भवन अक्टूबर 2012 तक पूर्ण होने की संभावना है. (ख) समस्त निर्माण कार्य एवं आंतरिक साज सजा कार्य पूर्ण होने के पश्चात्. (ग) जी हां. मंत्रालय भवन एवं विभागाध्यक्ष भवन दोनों में फायर एलार्म सिस्टम लगाया गया है, दोनों भवनों के प्रत्येक कमरे एवं बरांडा में स्प्रिंकलर लगाया गया है, जिसके फौव्हारे 68 डिग्री तापमान पहुंचते ही स्वतः चालू हो जायेंगे. दोनों भवनों के प्रत्येक फ्लोर में फायर हाइड्रेंट एवं वेट राइजर्स की व्यवस्था की गई है. दोनों भवनों के सर्वर कक्ष में गैस आधारित एफ. एम. 200 उपकरण लगाया गया है, जो गैस के द्वारा आग बुझाने का कार्य करती है. दोनों भवनों में 4.00 लाख लीटर जल भण्डारण क्षमता की टंकी की व्यवस्था मात्र फायर फाइटिंग कार्य हेतु ही किया गया है. (घ) जी हां. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

-----

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### जिला रायगढ़ में जल एवं वायु प्रदूषण की जांच

1. (क्र. 31) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वायु एवं जल प्रदूषण की माप करने के लिये क्या-क्या व्यवस्था है ? (ख) रायगढ़ जिले के विभिन्न उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिये किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच वायु एवं जल प्रदूषण की जांच की गई तथा जांच के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु हाई वैल्यूम सेम्पलर की व्यवस्था है एवं जल गुणवत्ता मापन के लिये जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की प्रयोगशाला में करने की व्यवस्था है. (ख) जिला रायगढ़ के अन्तर्गत 01-04-2010 से 31-03-2012 तक की अवधि में विभिन्न उद्योगों में किये गये प्रदूषण की जांच एवं कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

### जिला रायगढ़ में धान की खरीदी, भंडारण एवं उठाव

2. (क्र. 32) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समितिवार वर्ष 2011-12 में कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई और कहां-कहां पर उसका भंडारण कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ? समितिवार वर्ष 2010-11 व 2011-12 में सुखती एवं घटती की मात्रा क्या-क्या है ? कितने मात्रा की छूट दी गई है ? (ख) धान भंडारण केंद्रवार कितने-कितने मात्रा में धान का उठाव विभिन्न राईस मिलों द्वारा किया गया ? राईसमिलवार जानकारी दें ? शेष बचत धान को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या उपाय किये हैं ? जून 2012 की बारिश में किस-किस केन्द्र में कितना-कितना धान बारिश से भीगने के कारण नुकसान हुआ है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले में खरीफ वर्ष 2011-12 में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कुल 4,30,283 टन धान की खरीदी की गई है, जिसकी समितिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार है. खरीदे गये धान में से मार्कफेड के धान संग्रहण केन्द्र लोहरसिंग में 38,108 टन, खरसिया में 7,101 टन एवं बरमकेला में 11,395 टन धान का संग्रहण किया गया. खरीफ वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में धान मिलान के बाद अब तक प्राप्त धान में कमी की जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" एवं पुस्तकालय में रखे "3" अनुसार है. राज्य शासन द्वारा उपार्जन केन्द्रों में खरीदे गये संग्रहित धान की मात्रा में सूखत अथवा घटती मान्य नहीं है, अतः छूट का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) रायगढ़ जिले के धान संग्रहण केन्द्र लोहरसिंग, हरदी, खरसिया एवं बरमकेला से कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलर्स को प्रदाय धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "4" अनुसार है. संग्रहण केन्द्रों में शेष धान स्टेक में कैप कव्हर से ढककर रखा गया है तथा संग्रहण केन्द्र से वर्षा के जल के त्वरित निकासी हेतु आवश्यकतानुसार कच्ची नालियां बनाई गई हैं. जून 2012 की बारिश में संग्रहण केन्द्र में धान बारिश से भीगने के कारण नुकसान नहीं हुआ है.

### मड़वा ताप विद्युत परियोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण

3. (क्र. 55) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्र मड़वा ताप विद्युत परियोजना में कितने क्षेत्रफल में किस-किस प्रजाति के कितने पौधे लगाकर ग्रीन बेल्ट स्थापना की अनुमति प्रदान की गयी है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा ग्राम मड़वा में प्रस्तावित 2×500 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 05-05-2008 को जारी स्थापना सम्मति में परिसर के चारों तरफ कम से कम 100 मीटर चौड़े हरित पट्टिका का विकास करने की शर्त निर्दिष्ट की गई है, जिसमें स्थानीय प्रजाति के पौधे रोपित किये जाने हैं. साथ ही परिसर में उपलब्ध खुली भूमि एवं एश डार्क क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने की शर्त भी निर्दिष्ट की गई है.

अकलतरा धान संग्रहण केन्द्र में धान के नुकसान की मात्रा

4. (क्र. 56) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा धान संग्रहण केन्द्र में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा में कितने मूल्य की धान का नुकसान बारिश और अन्य कारणों से हुआ है ? वर्षवार जानकारी दें.

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा धान संग्रहण केन्द्र में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में बारिश एवं अन्य कारणों से धान का नुकसान नहीं हुआ है.

प्रदेश में हितग्राहियों को अटल आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत आवास

5. (क्र. 69) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन नगरीय निकायों में अटल आवास योजना के तहत गरीबों के लिये आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है ? नगरीय निकायों के नाम एवं स्वीकृत राशि जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) प्रदेश के कितने आवासहीन गरीब परिवारों को इस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया गया है ? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ? (ग) क्या जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर नगर पंचायत में अटल आवास योजना स्वीकृत करने की योजना है ? यदि हां तो कब तक ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ग) जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर नगर पंचायत में अटल आवास योजना प्रस्तावित नहीं है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

6. (क्र. 70) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कुल कितने मैट्रिक टन धान चालू वित्तीय वर्ष में खरीदा गया ? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का लक्ष्य कितना था एवं कितना खरीदा गया ? पृथक-पृथक बतायें ? (ग) क्या प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान का संग्रहण एवं मीलिंग का कार्य करा लिया गया है ? यदि नहीं तो शेष कितने बचे हैं ? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 2305 टन धान की खरीदी की गई है, जिसकी जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है. कृषकों के बीज निगम द्वारा रिजेक्ट किये गये 2,305 टन धान के बीज की खरीदी समर्थन मूल्य पर योजानांतर्गत की गई है. (ग) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित धान की कस्टम मीलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जिले में धान शेष नहीं है. खरीफ वर्ष 2011-12 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 59.73 लाख टन धान में से मीलिंग के पश्चात् शेष धान की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

वर्षा से धान के बचाव हेतु कैप कव्हर क्रय संबंधी

7. (क्र. 142) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 में बारिश से भीगने से कितना धान खराब हुआ ? जिलेवार धान की मात्रा तथा उसकी अनुमानित लागत बतावें ? (ख) बारिश से धान को बचाने हेतु वर्ष 2012 में कितना कैप कव्हर खरीदा गया है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) वर्तमान में कहां-कहां पर कितना धान खुले में संग्रहित है ? जिलेवार जानकारी दें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2012 में बारिश से धान खराब नहीं हुआ है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है. (ख) वर्ष 2012 में धान की सुरक्षा हेतु मार्कफेड द्वारा 14,996 नग कैप कव्हर खरीदे गये हैं, जिसकी जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

प्रदेश में स्थापित चेक पोस्ट तथा प्राप्त राजस्व

8. (क्र. 244) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में कितने स्थान पर चेक पोस्ट (वाहनों की चेकिंग) स्थापित है ? जिलेवार, स्थानवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत राज्य शासन को वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 तथा 31 मई, 2012 तक कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 15 परिवहन चेकपोस्ट (जांच चौकी) एवं 02 उप-जांच चौकी इस प्रकार कुल 17 स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित है। जिलेवार, स्थानवार जानकारी का विवरण प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है। (ख) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत राज्य शासन को वर्ष 2009-10 में रुपये 55,33,55,705/- वर्ष 2010-11 में रुपये 62,83,36,238/- वर्ष 2011-12 में रुपये 72,08,37,171/- तथा वर्ष 2012-13 (31 मई, 2012 तक) रुपये 13,69,95,464/- का राजस्व प्राप्त हुआ है। विस्तृत विवरण प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है।

उद्योगों में बेरोजगारों को नौकरी का प्रदाय

9. (क्र. 245) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ जिला में स्थापित विभिन्न उद्योगों में कितने स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी प्रदाय किया गया है ? उद्योगवार जानकारी प्रदान करें ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ जिला में स्थापित मध्यम-वृहद उद्योगों में कुल 20243 स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी प्रदाय की गई है। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

जांजगीर-चांपा	2217
कोरबा	4264
रायगढ़	13762
<b>योग</b>	<b>20243</b>

जिलेवार उद्योगवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

नगरनार संयंत्र द्वारा जल स्रोतों के उपयोग हेतु ली गई अनुमति

10. (क्र. 259) **श्री संतोष बाफना** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित हो रहे नगरनार इस्पात संयंत्र में कितने कृषकों की कितनी भूमि अस्थाई तौर पर ली गई है ? (ख) इन कम्पनियों द्वारा कार्य सम्पादन हेतु किन-किन जल स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है ? क्या जल स्रोतों के उपयोग हेतु विधिवत अनुमति ली गई है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापित किये जा रहे नगरनार इस्पात संयंत्र में किसी भी कृषक की भूमि अस्थायी तौर पर नहीं ली गई है। (ख) नगरनार इस्पात संयंत्र के लिये शबरी नदी से 53.69 मि.घ.मी. वार्षिक एवं प्लांट निर्माण हेतु इन्द्रावती नदी से 2.15 मि.घ.मी. वार्षिक जल आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगरनार इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य के संपादन हेतु अनुबंध के अन्तर्गत जो कम्पनी/ठेकेदार हैं उन्हें संयंत्र क्षेत्र से बाहर अपनी व्यवस्था (Establishment) स्थल पर जल एवं पेयजल के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करना है।

समर्थन मूल्य से उपार्जित धान का रखरखाव/कस्टम मिलिंग

11. (क्र. 282) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर कितना-कितना धान खरीदा गया, खरीदी के लिए कितने संग्रहण केन्द्र बनाए गए ? स्थान सहित ब्यौरा

दें ? (ख) कंडिका “क” के खरीदी किए गए धान में से कितना-कितना धान संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग के लिए उठाव किया गया, कितना-कितना धान संग्रहण केन्द्रों में शेष है ? (ग) कंडिका “ख” के शेष धान के रखरखाव और बारिश से सुरक्षा देने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं, नहीं तो क्यों ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : वर्ष 2011-12 में 5972956 मेट्रिक टन धान खरीदा गया है. वर्ष 2012-13 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ नहीं किया गया है. वर्ष 2011-12 में 65 संग्रहण केन्द्र बनाए गए हैं. स्थान सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) दिनांक 01-07-2012 की स्थिति में 1875779 मेट्रिक टन धान का उठाव कस्टम मिलिंग के लिए किया गया है तथा 608832 मेट्रिक टन धान संग्रहण केन्द्रों में शेष है. (ग) संग्रहण केन्द्रों में शेष धान का भण्डारण डनेज बिछाकर धान के स्टैक को केप कव्हर से ढककर रखा गया है एवं पानी निकासी हेतु नालियां बनाई गई हैं.

### प्रदेश में खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग

12. (क्र. 314) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 में प्रदेश में खरीदे गये धान में 22-06-2012 तक कुल कितनी मात्रा की मिलिंग कराई गई है एवं कितनी मात्रा शेष है ? जिलेवार मिलिंग व शेष धान की मात्रा बतावें. (ख) शेष धान के भण्डारण एवं बारिश से सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं ? (ग) पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में 01 जून, 2012 से 22-06-2012 तक कुल कितनी मात्रा में धान के भीगने से खराब होने की जानकारी है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2011-12 में प्रश्नांकित अवधि तक 5148279 मेट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग कराई गई है, 735425 मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु शेष है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) बारिश से सुरक्षा हेतु भण्डारित धान को कैप कवर से ढककर रखा गया है तथा पानी निकासी हेतु नालियां बनाई गई हैं. (ग) बारिश में भीगने से धान खराब नहीं हुआ है.

### औद्योगिक संस्थानों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निष्पादित कार्य

13. (क्र. 315) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 22-06-2012 तक रायगढ़ जिले में संचालित औद्योगिक इकाईयों द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कुल कितनी-कितनी राशि के कार्य कराये गये हैं ? उद्योगवार जानकारी दें. (ख) क्या जिला प्रशासन द्वारा इन औद्योगिक इकाईयों के लिये सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कार्य कराने हेतु लक्ष्य तय किये गये थे ? यदि हां तो कितनी इकाईयों द्वारा अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य कराया गया एवं कितने द्वारा नहीं ? (ग) जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कार्य नहीं कराये गये, उन पर कार्यवाही की गई है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 22-06-2012 तक रायगढ़ जिले में संचालित औद्योगिक इकाईयों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत राशि रु. 154,73,92,354.00 (रुपये एक सौ चौवन करोड़ तिहत्तर लाख ब्यानबे हजार तीन सौ चौवन मात्र) के कार्य कराये गये हैं, उद्योगवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जिला प्रशासन, रायगढ़ द्वारा औद्योगिक इकाईयों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कार्य कराने हेतु लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं, तथापि 29 वृहद उद्योगों को सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कार्य सौंपे गये हैं. (ग) चूंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं. अतः कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

### सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में धान की खरीदी

14. (क्र. 331) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन संग्रहण केन्द्रों में वर्ष 2011-12 में कितनी मात्रा में धान का संग्रहण किया गया है ? (ख) उक्त संग्रहण केन्द्रों में वर्ष 2011-12 के लिए कितने-कितने बारदाना प्रत्येक केन्द्रों को प्रदाय किये गये ? (ग) बारदानों की कमी तथा फड़ में जगह अभाव के कारण कहां-कहां कितने दिन धान खरीदी बंद रही ? अलग-अलग बतावें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2011-12 के दौरान सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हरदी संग्रहण केन्द्र में 8,581 टन तथा बरमकेला संग्रहण केन्द्र में 3,577 टन धान का संग्रहण किया गया. (ख) हरदी संग्रहण केन्द्र में 2,560 गठान तथा बरमकेला संग्रहण केन्द्र में 2,638 गठान बारदाने प्रदाय किया गया. (ग) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बारदानों की कमी तथा फड़ में जगह के अभाव के कारण धान खरीदी बंद नहीं हुई.

सरगुजा संभाग में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयां/पावर प्लांटों को दी गई पर्यावरण अनुमति

15. (क्र. 341) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-04-2007 से 31-03-2012 के मध्य सरगुजा संभाग में स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं पावर प्लांट की स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा किन-किन शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है ? (ख) उक्त औद्योगिक इकाईयां/पावर प्लांटों द्वारा दिनांक 01-04-2007 से 21-06-2012 तक वर्षवार सी.एस.आर. के अंतर्गत कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी थी तथा कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु कहां-कहां व्यय की गई ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सरगुजा संभाग में स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं पावर प्लांट की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के साथ सम्मति जारी की गई :-

1. सक्षम एवं प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना.
2. जल एवं वायु प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाना.
3. सघन वृक्षारोपण किया जाना.
4. ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन एवं अपवहन किया जाना.
5. जल का पुनर्चक्रण एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना.

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में स्थापित उद्योगों में से जिन उद्योगों को प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.एस.आर. संबंधी शर्त निहित की गई है, उन उद्योगों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में किये गये सी.एस.आर. कार्यों में व्यय बाबत जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

सरगुजा संभाग में कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलों से किया गया अनुबंध

16. (क्र. 342) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में 31 मई, 2012 की स्थिति में सरगुजा संभाग में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग हेतु कुल कितनी राईस मिलों से कितने-कितने धान की मिलिंग का अनुबंध किया गया ? क्या मिलों से अभी तक चावल लेना शेष है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) क्या उक्त अवधि में निर्धारित मात्रा से अधिक कनकी होने के फलस्वरूप निरस्त किये गये राईस मिलों में से पुनः अनुबंध किया गया है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) सरगुजा संभाग में खरीफ वर्ष 2009-10 में 94 राईस मिलों से 2,14,811 टन, खरीफ वर्ष 2010-11 में 89 राईस मिलों से 2,45,740 टन तथा खरीफ वर्ष 2011-12 में 106 राईस मिलों से 3,93,404 टन धान की मिलिंग हेतु अनुबंध किया गया है. खरीफ वर्ष 2009-10 हेतु 4 राईस मिलों से चावल लेना शेष था, जिनमें से 2 राईस मिलों से चावल की राशि वसूल की जा चुकी है तथा 2 राईस मिलों का आरबीट्रेशन प्रकरण विचाराधीन है. खरीफ वर्ष 2010-11 हेतु राईस मिलों से चावल लेना शेष नहीं है. वर्तमान खरीफ वर्ष 2011-12 में क्रय धान की मिलिंग का कार्य प्रचलित है तथा मिलर्स द्वारा जमा प्रतिभूति एवं चावल के आधार पर धान प्रदाय किया जा रहा है. (ख) वर्ष 2009-10 में जिन 8 राईस मिलों के विरुद्ध प्रकरण निर्मित हुआ था, उनके प्रकरण खात्मा होने के कारण मिलिंग हेतु पुनः अनुबंध किया गया है.

असमय बारिश से धान की हुई हानि

17. (क्र. 378) **श्री चैतराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया कितना धान असमय बारिश में भीगने के कारण खराब हुआ ? विकासखण्डवार

जानकारी दें। (ख) क्या वर्ष 2010-11, 2011-12 में केप कव्हर खरीदा गया ? यदि हां तो, कितना ? विकासखण्डवार सोसायटियों को कितना-कितना केप कवर दिया गया ? (ग) धान भीगने से कुल कितने रुपयों की क्षति का अनुमान किया गया ? वर्षवार दें।

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में समर्थन मूल्य पर वर्ष 2010-11 में सिमगा विकासखण्ड के 4 समितियों में असमय बारिश से भीगने के कारण 156 क्विंटल धान खराब हुआ। वर्ष 2011-12 में असमय बारिश से भीगने के कारण धान खराब नहीं हुआ है। (ख) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा वर्ष 2010-11 में केप कव्हर की खरीदी नहीं की गई है। वर्ष 2011-12 में संग्रहण केन्द्र बलौदाबाजार में 300 नग, भटागांव में 120 नग एवं कसडोल में 180 नग केप कव्हर की खरीदी की गई है। सहकारी समिति द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में केप कव्हर खरीदी नहीं की गई है। वर्षों से धान को बचाने के लिये तालपत्री एवं पॉलिथीन खरीदी की गई है। समितिवार प्रदाय किये गये तालपत्री एवं पॉलिथीन की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2010-11 में धान भीगने से 1.56 लाख रुपए की क्षति हुई है।

#### स्थापित उद्योगों द्वारा भूमि क्रय संबंधी

18. (क्र. 407) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक रायगढ़, कोरबा, सरगुजा एवं जांजगीर-चांपा जिले में कितने उद्योग स्थापित किये गये ? नाम सहित जिलेवार जानकारी दें। (ख) स्थापित उद्योगों के द्वारा कितनी भूमि खरीदी गई है तथा उसमें से कृषि भूमि कितनी है ? (ग) उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी शासकीय भूमि आवंटित की गई है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक रायगढ़, कोरबा, सरगुजा एवं जांजगीर-चांपा जिले में निम्नानुसार उद्योग स्थापित किये गये हैं —

क्र.	जिले का नाम	स्थापित उद्योगों की संख्या
1.	रायगढ़	518
2.	कोरबा	202
3.	सरगुजा	270
4.	जांजगीर-चांपा	379
<b>योग</b>		<b>1369</b>

जिलेवार नाम की सूची क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 पर है। (ख) स्थापित उद्योगों के द्वारा 2239.169 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई है जिसमें से कृषि भूमि 2229.516 हेक्टेयर है। (ग) उद्योगों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा 1354.282 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की गई है।

#### प्रदेश में फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन के दर्ज प्रकरण

19. (क्र. 409) **श्री रविन्द्र चौबे** (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011 एवं 2012 में (20-06-2012) तक प्रदेश में फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन से वाहन चलाने के कितने मामले प्रकाश में आये ? रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग जिले की जानकारी वाहन मालिकों के नाम सहित दें। (ख) वाहन मालिकों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) (1) वर्ष, 2011 एवं 2012 में (20-06-2012) तक की अवधि में प्रदेश के परिवहन विभाग के समक्ष वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (2) वर्ष, 2011 एवं 2012 में (20-06-2012) तक की अवधि में जिले के पुलिस अधीक्षकों द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट के रायपुर में 05, दुर्ग में 01 तथा बिलासपुर के 09 प्रकरण प्रकाश में आये हैं। रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग जिले की जानकारी वाहन मालिकों सहित विवरण परिशिष्ट पर †† संलग्न है। (ख) वाहन मालिकों के विरुद्ध 04 प्रकरण में कार्यवाही माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तथा शेष प्रकरणों पर विवेचना की कार्यवाही की जा रही है।

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में संचालित राशन दुकानें

20. (क्र. 446) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी राशन दुकानें किन-किन फर्म/संस्था/एजेन्सियों द्वारा कब से संचालित हैं ? (ख) वर्ष 2011 से दिनांक 15-06-2012 तक कितनी राशन दुकानों के विरुद्ध अनियमितता/काला बाजारी की शिकायतें प्राप्त हुईं एवं इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) 8 दुकानों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई. की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अन्त्योदय योजना के तहत पंजीकृत हितग्राही

21. (क्र. 447) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अन्त्योदय योजना के कितने हितग्राही दिनांक 15-06-2012 की स्थिति में पंजीकृत हैं ? (ख) कितने कार्डों को अपात्र घोषित किया गया है ? (ग) वर्तमान स्थिति में कुल कितने गरीबी रेखा के राशन कार्ड हैं ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांकित दिनांक तक 26,753 बीपीएल/मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना एवं 12,088 अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड पंजीकृत हैं. (ख) राशनकार्ड सत्यापन पश्चात् 2,084 राशनकार्डों को अपात्र घोषित किया गया. (ग) वर्तमान में 26,753 बीपीएल/मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना एवं 12,088 अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड हैं.

सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा स्लूस/स्लाईड गेट की खरीदी

22. (क्र. 476) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2012 में सीएसआईडीसी द्वारा स्लूस/स्लाईड गेट की खरीदी हेतु दर अनुबंध हेतु निविदा बुलाई गई थी ? यदि हां तो, कब ? (ख) क्या स्लूस/स्लाईड गेट की निविदा के तहत आटोमेटिक गेट की दरें बुलाई गई थी ? यदि हां तो क्या आटोमेटिक गेट भण्डार क्रय नियम की आरक्षित वस्तुओं की सूची में आता है ? यदि नहीं तो किस आधार पर स्लूस/स्लाईड गेट के नाम पर आटोमेटिक गेट की दरें बुलाई गई ? (ग) क्या निविदाओं में पेटेंट लायसेंस की शर्त की बाध्यता रखी गई थी ? कुल कितनी फर्मों की निविदा पेटेंट लायसेंस की शर्त होने के कारण अमान्य की गई ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) वर्ष 2012 में सीएसआईडीसी द्वारा स्लूस/स्लाईड गेट की खरीदी हेतु दर अनुबंध हेतु निविदा नहीं बुलाई गई है. (ख) एवं (ग) उत्तरांश “क” के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

धमतरी जिले के बी.पी.एल. तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के राशन कार्डों का सत्यापन

23. (क्र. 508) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले के बी.पी.एल. तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सत्यापन के पश्चात् कितने कार्ड निरस्त किये गये एवं कितने सही पाये गये ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) सत्यापन पश्चात् विकासखण्डवार कितना-कितना राशन आवंटन किया जा रहा है एवं कितने राशन की कटौती की गई है ? (ग) सत्यापन के बाद कितने पात्र हितग्राहियों का नया राशन कार्ड बनाया गया है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) सत्यापन के बाद विकासखण्ड धमतरी में 1,500 कुरूद में 1,234 मगरलोड में 1,400 तथा नगरी में 1,966 नया राशनकार्ड बनाया गया है.

कुरुद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत धान खरीदी में गड़बड़ी की प्राप्त शिकायतें

24. (क्र. 509) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र में, धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत वर्ष 2012 में किन-किन खरीदी केन्द्रों से प्राप्त हुई है ? (ख) किन-किन खरीदी केन्द्रों में शिकायत सही पायी गयी है ? (ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2011-12 में कुरुद विधान सभा क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्र मड़ेली में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी. (ख) प्राप्त शिकायत सही नहीं पाई गयी. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत केरोसीन तेल का आवंटन

25. (क्र. 535) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा जिले में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कितने लीटर केरोसीन तेल का आवंटन किया गया है ? (ख) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्डों के लिए आवंटित केरोसीन का कितना उठाव हुआ तथा कितना लेप्स हुआ ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) बेमेतरा जिले को वर्ष 2011-12 में 4,896 किलोलीटर एवं वर्ष 2012-13 में जून, 2012 तक 1,284 किलोलीटर केरोसीन का आवंटन दिया गया है. (ख) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्डों के लिये वर्ष 2011-12 में आवंटित 2,579 किलोलीटर केरोसीन का शत-प्रतिशत उठाव हुआ. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह जून, 2012 तक आवंटित 696.10 किलोलीटर केरोसीन में से 694.90 किलोलीटर केरोसीन का उठाव हुआ तथा 1.2 किलोलीटर केरोसीन लेप्स हुआ.

राजनांदगांव जिला अंतर्गत कस्टम मिलिंग हेतु भेजा गया धान

26. (क्र. 590) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2012-13 में दिनांक 25-06-12 की स्थिति तक शासन द्वारा कुल कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है ? कितना धान कस्टम मिलिंग के लिये भेजा जा चुका है एवं कितना धान शेष है ? कस्टम मिलिंग हेतु शेष कितना-कितना धान, कौन-कौन से संग्रहण केन्द्रों में रखा हुआ है ? संग्रहण केन्द्रों में रखे धान की कीमत कितनी-कितनी है और बारिश से धान की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किया गया है ? (ख) वर्णित संग्रहण केन्द्रों में रखे हुए धान में से कितना धान दिनांक 25-06-2012 की स्थिति में बारिश के कारण खराब हो चुका है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रश्नांकित अवधि के दौरान राजनांदगांव जिले में राज्य शासन द्वारा धान की खरीदी नहीं की गई है. खरीफ वर्ष 2011-12 के दौरान राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से 3,93,167 टन धान की खरीदी की गई है. इसमें से प्रश्नांकित अवधि तक 3,00,157 टन धान का कस्टम मिलिंग के जरिये निराकरण हो चुका है. धान की त्वरित मिलिंग हेतु अन्य जिले को 21,372 टन धान प्रदाय किया गया है. वर्तमान में संग्रहण केन्द्रों में 71,017 टन धान शेष है, जिसका मूल्य 79.56 करोड़ रुपये है तथा इसकी संग्रहण केन्द्रवार भंडारित मात्रा † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. बारिश से धान की सुरक्षा हेतु धान के स्टैक को कैप कव्हर से ढंककर सुरक्षित रखा गया है तथा संग्रहण केन्द्रों में पानी के त्वरित निकासी हेतु स्टैक के चारों ओर कच्ची नालियां बनाई गई है. (ख) धान की सुरक्षा हेतु उपरोक्त उपाय किये जाने के कारण बारिश से धान खराब नहीं हुआ है.

राजनांदगांव जिला में खाद्य सामग्री की जमाखोरी के दर्ज प्रकरण

27. (क्र. 591) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में दिनांक 25-06-12 की स्थिति तक खाद्य सामग्री की जमाखोरी के कितने प्रकरण उजागर हुए हैं ? जमाखोरी करने वाले किन-किन लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या-क्या खाद्य सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में जब्त की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : राजनांदगांव जिले में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में दिनांक 25-06-2012 तक खाद्य सामग्री की जमाखोरी के प्रकरण निर्मित नहीं हुए हैं. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

जिला जशपुर एवं जांजगीर-चांपा में दाल-भात केन्द्रों का संचालन

28. (क्र. 598) **श्री जगेश्वर राम भगत** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जशपुर एवं जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में कितने दालभात केन्द्र किन स्थानों पर संचालित हैं ? (ख) इनमें से प्रत्येक के लिए कितनी मात्रा में चावल जारी किए गए हैं ? (ग) दोनों जिलों में 30 जून, 2012 की स्थिति में किन केन्द्रों की बंद पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जशपुर जिले में 5 तथा जांजगीर जिले में 7 दालभात केन्द्र संचालित हैं. स्थानवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है. (ग) जशपुर जिले में अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र जनपद पंचायत कार्यालय के पास खुंटोटोली, दुलदुला के संचालक श्री नंदकिशोर सिंह के द्वारा माह अक्टूबर, 2010 से कार्य करना बंद करने के कारण उक्त दालभात केन्द्र बंद है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश के खाद्यान्न गोदामों में नष्ट खाद्यान्न

29. (क्र. 612) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता है ? (ख) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उक्त गोदामों में कितनी मात्रा में खाद्यान्न भंडारण किया गया था ? (ग) इनमें से कितनी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हुआ ? (घ) नष्ट हुए खाद्यान्न की कीमत कितनी है और इसके लिए जिम्मेदार किन्हें पाया गया है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) नागरिक आपूर्ति निगम के स्वयं के प्रदेश में गोदाम नहीं है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) राज्य भण्डार गृह निगम एवं केन्द्रीय भंडार गृह निगम के गोदामों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में 22.33 लाख टन तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में 24.53 लाख टन खाद्यान्न का भंडारण कराया गया था. (ग) उपरोक्त भंडारित खाद्यान्न में से नष्ट मात्रा निरंक है. (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

जिला महासमुंद में जारी ए.पी.एल. कार्ड की संख्या

30. (क्र. 619) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुंद में ए.पी.एल. परिवार के लिए कितने राशन कार्ड जारी किये गये हैं विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) ए.पी.एल. कार्डधारियों को कौन-कौन सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में किस दर से दी जाती है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जिला महासमुंद में कुल 1,02,410 ए.पी.एल. राशन कार्ड जारी किये गये हैं. महासमुंद विधान सभा क्षेत्र में 18,642 खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में 23,248 बसना विधान सभा क्षेत्र में 32,044 तथा सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में 28,476 एपीएल राशनकार्ड जारी किये गये हैं. (ख) एपीएल राशनकार्डधारियों को चावल 15 किलो 9.30 रुपये प्रति किलो की दर से, गेहूं 5 किलो 7.50 रुपये प्रति किलो की दर से तथा केरोसिन शहरी क्षेत्र में 2 लीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 3 लीटर न्यूनतम 15 रुपए से अधिकतम 15.87 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रदाय किया जा रहा है.

बलौदाबाजार जिले में स्थापित उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण मापक यंत्रों की स्थापना

31. (क्र. 628) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलौदाबाजार अंतर्गत दिनांक 25-06-2012 की स्थिति में कौन-कौन से उद्योग संचालित हैं एवं किन-किन उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मापक यंत्र लगाए गए हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित उद्योगों का निरीक्षण विगत दो वर्षों में कब-कब किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया गया व क्या-क्या अनियमितता पाई गई एवं उद्योगों में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” एवं पुस्तकालय में रखे “दो” पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“तीन” पर है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नवीन धान खरीदी केन्द्र संचालन/आरंभ करने संबंधी

32. (क्र. 632) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खल्लारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत खरीफ 2012 के लिये धान खरीदी हेतु किन-किन स्थानों पर नवीन धान खरीदी केन्द्र संचालन/आरंभ किया जाना विचाराधीन/प्रस्तावित है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री पुनूलाल मोहले) : खल्लारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत खरीफ वर्ष 2012-13 के लिये ग्राम कमरौद में नवीन धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ किया जाना विचाराधीन है.

प्रदेश में नवीन उद्योग समूहों द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु आवंटित भूमि

33. (क्र. 636) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलेण्डर वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 में किन-किन उद्योग समूह ने प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया है ? उद्योग समूह के नाम, स्थान सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के किन-किन उद्योग समूह को उद्योग लगाने के अनुमति कब-कब दी गई ? (ग) क्या कंडिका “ख” के उद्योग समूह द्वारा शासकीय भूमि की भी मांग की गई है ? यदि हां तो, किन-किन उद्योग को भूमि का आवंटन किया गया ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) कंडिका “क” के जिन उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग लगाने की अनुमति दी गई है उनकी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 4 पर दी गई है. (ग) कंडिका “ख” के जिस उद्योग समूह द्वारा शासकीय भूमि की मांग की गई है, उनकी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 5 व 6 पर दी गई है, भूमि आवंटित नहीं की गई है.

बिल्डरों द्वारा आवासीय/व्यावसायिक परिसर निर्माण कराने की प्रदत्त अनुमति

34. (क्र. 641) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिलासपुर, जिला रायपुर, जिला मुंगेली, जिला कबीरधाम में किन-किन बिल्डर को कहां-कहां पर आवासीय, व्यावसायिक प्रोजेक्ट हेतु टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग से वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में अनुमति प्रदान की गई है ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री राजेश मूणत) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-I, II, III एवं IV पर है.

उद्योगों द्वारा पर्यावरण नियमों का पालन न करने के कारण की गई कार्यवाही

35. (क्र. 642) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में छ.ग. प्रदेश में स्थापित एवं कार्यरत विभिन्न उद्योगों में पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं करने के कारण किस-किस उद्योग पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है विवरण दें ? (ख) प्रश्न “क” में पूछे गये वर्षों में कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर शहर की हवा में प्रदूषण की मात्रा की जांच कब-कब की गई एवं उस जांच में कौन-कौन से तत्व निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में मिले विस्तृत जानकारी दें ?

**आवास एवं पर्यावरण मंत्री** ( श्री राजेश मूणत ) : (क) दिनांक 01-04-2010 से 31-03-2012 की अवधि में प्रदेश में स्थापित एवं कार्यरत विभिन्न उद्योगों में पर्यावरण संबंधी अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन बाबत की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है. (ख) उपरोक्त अवधि में कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर शहर में किये गये परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है. इन सभी शहरों के परिवेशीय वायु में रेस्पाइरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर एवं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (धूल कणों) की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है.

-----

## तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क. 102) की जानकारी ]

### वर्ष 2008 से 2012 तक धान का समर्थन मूल्य एवं बोनस राशि की जानकारी

क.	खरीफ वर्ष	समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल (रूपये में)		राज्य शासन द्वारा दिये गये बोनस भुगतान की दर प्रति क्विंटल (रूपये में)	केन्द्र शासन द्वारा दिये गये बोनस भुगतान की दर प्रति क्विंटल (रूपये में)	बोनस भुगतान राशि (करोड़ रूपये में)
		कॉमन	ग्रेड ए			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2008-09	850	880	220	50	1011.69
2.	2009-10	950	980	50	50	440.86
3.	2010-11	1000	1030	50	0	253.66
4.	2011-12	1080	1110	50	0	298.52

## परिशिष्ट “दो”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क. 405) के भाग (क) की जानकारी ]

क्र.	जिला	राशनकार्डों की संख्या	
		गरीबों को जारी राशनकार्ड	एपीएल कार्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	192549	209439
2.	बलौदाबाजार	162000	112271
3.	गरियाबंद	91363	44378
4.	धमतरी	99121	58863
5.	महासमुंद	157805	95534
6.	दुर्ग	196973	251281
7.	बालोद	95442	65188
8.	बेमेतरा	98635	66907
9.	राजनांदगांव	183501	149748
10.	कवर्धा	112582	56484
11.	बिलासपुर	289314	204437
12.	मुंगेली	103390	53470
13.	जांजगीर	210224	204546
14.	कोरबा	145334	109619
15.	रायगढ़	221717	159337
16.	सरगुजा	129882	50934
17.	सुरजपुर	115480	54054
18.	बलरामपुर	109436	52920
19.	कोरिया	90096	75262
20.	जशपुर	102858	86989
21.	बस्तर	138044	50275
22.	कोंडागांव	88583	24071
23.	नारायणपुर	25411	6664
24.	कांकेर	104128	71352
25.	दन्तेवाड़ा	49519	11879
26.	सुकमा	50719	3597
27.	बीजापुर	49923	9792
<b>योग</b>		<b>3414029</b>	<b>2339291</b>

## परिशिष्ट “तीन”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क. 346) के भाग (ख) की जानकारी ]

**खरीफ वर्ष 2011-12 में दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिले में मिलरवार मिलिंग**

क्र.	दंतेवाड़ा जिला के धान की मिलिंग करने वाली मिलों के नाम (1) (2)	सुकमा जिले के धान की मिलिंग करने वाली मिलों के नाम (3)
1.	रिजवी राईस मिल, गीदम	कुनाल राईस मिल, सुकमा
2.	रावलराजा राईस मिल, सुकमा	पूजा राईस मिल, सुकमा
3.	अरिहंत राईस मिल, तोंगपाल	दधीच राईस मिल, सुकमा
4.	राठौर राईस मिल, छिन्दगढ़	महेश राईस मिल, सुकमा
5.	श्री दुर्गा राईस मिल, जगदलपुर	रावलराजा राईस मिल, सुकमा
6.	लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, जगदलपुर	अरिहंत राईस मिल, तोंगपाल
7.	श्यामा ट्रेडर्स, जगदलपुर	राठौर राईस मिल, छिन्दगढ़
8.	श्री गणपति ट्रेडर्स, जगदलपुर	
9.	कृष्णा चावल उद्योग, जगदलपुर	
10.	बशी चावल उद्योग, जगदलपुर	
11.	माता इंडस्ट्रीज, जगदलपुर	
12.	मां हिंगलाजिन राईस मिल, जगदलपुर	
13.	ए. के. राईस मिल, जगदलपुर	
14.	रहमत राईस मिल, जगदलपुर	
15.	सरस्वती पेडी परबाईलिंग इंडस्ट्रीज, जग.	
16.	अनुज राईस मिल, जगदलपुर	
17.	श्री उमिया पेडी परबाईलिंग प्रा. लि. जग.	
18.	भानुप्रकाश चावल उद्योग, जगदलपुर	
19.	बाबा चावल उद्योग, जगदलपुर	
20.	नारायण राईस मिल, जगदलपुर	
21.	नीलकंठ इंडस्ट्रीज, जगदलपुर	
22.	महावीर पेडी प्रोसेसर प्रा. लि. जगदलपुर	

## परिशिष्ट “चार”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क. 60) के भाग (क) की जानकारी ]

## प्रदेश में बीपीएल राशनकार्डधारियों की जिलेवार जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	बी पी एल राशनकार्डों की संख्या (3)
1.	रायपुर	185091
2.	बलौदा बाजार	151835
3.	गरियाबंद	88105
4.	धमतरी	95290
5.	महासमुंद	151396
6.	दुर्ग	182893
7.	बालोद	89546
8.	बेमेतरा	86970
9.	राजनांदगांव	173625
10.	कवर्धा	105294
11.	बिलासपुर	271030
12.	मुंगेली	99398
13.	जांजगीर	198809
14.	कोरबा	141524
15.	रायगढ़	210686
16.	सरगुजा	118236
17.	सुरजपूर	106711
18.	बलरामपुर	103471
19.	कोरिया	83418
20.	जशपुर	99043
21.	बस्तर	134203
22.	कोंडागांव	85535
23.	नारायणपुर	24826
24.	कांकेर	99155
25.	दन्तेवाड़ा	47435
26.	सुकमा	47012
27.	बीजापुर	45979
<b>योग</b>		<b>3226516</b>

## परिशिष्ट “पांच”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क. 306) के भाग (क) की जानकारी ]

**नया रायपुर हेतु अधिग्रहित जमीन के किसानों को दिये गये पुनर्वास पैकेज की जानकारी**

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नया रायपुर हेतु किसानों को आपसी सहमति के आधार पर जमीनें क्रय की गई हैं उन्हें निम्नानुसार पुनर्वास पैकेज का लाभ दिया गया है :-

1. पुनर्वास योजना के कण्डिका 3.5 के अनुसार दिए जाने वाले उद्यानिकी/आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड के बदले यदि प्रभावित व्यक्ति राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो विकल्प प्रस्तुत करने पर रूपए 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान कृषकों को नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है.
2. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय किये गये कृषकों को पंजीयन दिनांक से प्राप्त मुआवजा/प्रतिकर राशि के समतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि/मकान क्रय करने पर अंतरण की लिखितों पर 3 वर्ष तक दस्तावेज निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क से छूट दी जाती है.
3. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी की किसी परियोजना में मकान प्रभावित होने पर पुनर्वास योजना के तहत प्रभावित मकान का मुआवजा एवं उन्हें पात्रता अनुसार भूखण्डों में मकान दिए गए हैं.
4. नया रायपुर के प्रभावित ग्रामों के 1056 बेरोजगार युवक/युवतियों को क्षमता विकास हेतु विभिन्न संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. प्रशिक्षणार्थियों को रूपये 1000/- प्रतिमाह अधिकतम 03 माह तक प्रशिक्षण वृत्ति दिया जाता है.
5. नया रायपुर के आपसी सहमति से भूमि क्रय वाले कृषकों को भूमि में स्थित वृक्षों, कुओं, ट्यूबवेल, फेंसिंग आदि परिसम्पत्तियों के लिए मुआवजा का भुगतान पृथक से किया गया है.
6. नया रायपुर के ग्रामों के विलेज डेव्हलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन के साथ निम्नांकित “विशिष्ट पुनर्वास कार्यक्रम” लागू किया गया है :-
  - (i) ऐसे खातेदार जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि एन. आर. डी. ए. द्वारा परियोजना के लिए आपसी सहमति से क्रय की गई है या की जावेगी या भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की गई है या की जावेगी उन्हें प्रभावित भूमि के अनुपात में, जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में दिया गया है, संबंधित ग्राम की आबादी के समीप आवासीय भू-खण्ड का आवंटन लीज पर दिया जावेगा-

क्र.	क्रय/अधिनियम के अंतर्गत अर्जित भूमि	आवासीय भू-खण्ड जिसका आवंटन किया जावेगा का क्षेत्रफल
1.	0.4 हे. या उससे अधिक किन्तु 0.8 हे. से कम	1200 वर्गफुट
2.	0.8 हे. या उससे अधिक किन्तु 1.2 हे. से कम	1500 वर्गफुट
3.	1.2 हे. या उससे अधिक किन्तु 1.6 हे. से कम	2000 वर्गफुट
4.	1.6 हे. या उससे अधिक किन्तु 2 हे. से कम	2400 वर्गफुट
5.	2 हे. से अधिक	2500 वर्गफुट तथा प्रत्येक अतिरिक्त हेक्टेयर कृषि भूमि के एवज में 200 वर्गफुट आवासीय भूमि अतिरिक्त.

उपरोक्तानुसार भूमि का आवंटन तीस वर्षीय लीज पर किया जावेगा जिसे तीस वर्ष की दो समान अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा. भू-खण्ड के लिए रूपये 50 प्रति वर्गफुट प्रीमियम तथा 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से भू-भाटक देय होगा.

- (ii) ऐसे खातेदार जिनकी 0.4 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्रय/भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गई है, को 400 वर्गफीट का आवास या 120 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र की दुकान का आवंटन निर्माण लागत का 20 प्रतिशत प्रीमियम तथा 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से भू-भाटक पर दिया जावेगा.

7. नया रायपुर के लेयर-I के अन्तर्गत परियोजना प्रभावित लोगों के स्वरोजगार हेतु दुकानों/चबुतरों के आवंटन में निम्नानुसार प्राथमिकता निश्चित किया गया है :-

(अ)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए	—	बीस प्रतिशत
(ब)	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए	—	दस प्रतिशत
(स)	विधवाओं एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए	—	दो प्रतिशत
(द)	दृष्टीहीन विकलांगों को	—	एक प्रतिशत
(ई)	अन्य विकलांगों के लिए	—	तीन प्रतिशत

---

## परिशिष्ट "छः"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क. 355) के भाग (क) से (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

बस्तर जिले में स्थापित कशर प्लांट की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	स्थापित स्टोन कशर	स्थापित आयरन ओर कशर
01.	बस्तर	25	निरंक
02.	लोहण्डीगुड़ा	12	निरंक
03.	तोकापाल	11	03
04.	जगदलपुर	10	11
05.	केशकाल	निरंक	निरंक
06.	कोण्डागांव	निरंक	निरंक
07.	बड़ेराजपुर	निरंक	निरंक
08.	फरसगांव	निरंक	निरंक
09.	माकड़ी	निरंक	निरंक
10.	बकावण्ड	निरंक	निरंक
11.	बास्तानार	निरंक	निरंक
12.	दरभा	08	निरंक
	<b>कुल</b>	<b>66</b>	<b>14</b>

## प्रपत्र-“ब”

वर्ष 2011 में बस्तर जिले में स्थापित कशर उद्योगों की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जांच के दौरान पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

## विकासखण्ड बस्तर

क्र.	कशर उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण दौरान पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मे. सुखदेवसिंग गिल स्टोन कशर, टिकनपाल	17.03.2011	उद्योग में उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 970 दिनांक 17.03.2011 को सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
2.	मे. राजकुमार बाफना स्टोन कशर ग्राम-टिकनपाल जिला-बस्तर	25.02.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
3.	मे. बस्तर स्टोन चिप्स ग्राम-टिकनपाल, जिला-बस्तर	25.02.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
4.	मे. हिंगलाजिन स्टोन कशर ग्राम-टिकनपाल	25.02.2011 17.03.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्सर्जन होना पाया गया।	- उद्योग को पत्र क्रमांक 971 दिनांक 17.03.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
5.	मे. खुशबू स्टोन कशर ग्राम-टिकनपाल, जिला-बस्तर	25.02.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
6.	मे. करन मेटल ग्राम टिकनपाल जिला-बस्तर	25.02.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
7.	मे. गायत्री स्टोन कशर, ग्राम-बालेंगा जिला-बस्तर	01.02.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 02.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
8.	मे. काजीवा स्टोन्स ग्राम-बालेंगा जिला-बस्तर	01.02.2011	उद्योग में अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 02.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
9.	मे. संहिता नेताम स्टोन कशर, ग्राम- बालेंगा	01.02.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 02.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।

10.	मेसर्स बसंती देवी पारेख स्टोन कशर (मे. आकाश स्टोन कशर), ग्राम - बालेंगा,	01.02.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 02.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
11.	मे. दंतेश्वरी कशिंग इण्डस्ट्रीज ग्राम-बालेंगा	01.02.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 02.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
12.	मे. राज स्टोन कशर ग्राम बालेंगा जिला बस्तर	15.06.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
13.	मे. किसान स्टोन कशर, ग्राम-नंदपुरा	17.03.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 969 दिनांक 17.03.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
14.	मे. उत्तम स्टोन कशर, ग्राम - नंदपुरा	17.03.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 968 दिनांक 17.03.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
15.	मे. साईं कन्सट्रक्शन स्टोन कशर ग्राम-नंदपुरा	17.03.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 975 दिनांक 17.03.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
16.	मे. जे.एम.डी. कशर ग्राम नंदपुरा जिला-बस्तर	05.04.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन नहीं होने के कारण उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 141 दिनांक 11.05.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
17.	मे. बालाजी मेटल कशर ग्राम-पिपलावंड जिला-बस्तर	25.02.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
18.	मे. गोल्डन मिनरल्स ग्राम-पिपलावंड जिला-बस्तर	17.03.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 973 दिनांक 17.03.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
19.	मे. बस्तर स्टोन कशर ग्राम पिपलावंड जिला-बस्तर	25.02.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
20.	मे. त्रिमूर्ति कशर ग्राम पिपलावंड जिला बस्तर	13.12.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 16.12.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
21.	मे. बालाजी स्टोन कशर ग्राम पिपलावंड जिला-बस्तर	25.02.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
22.	मे. श्रीसाईं स्टोन ग्राम-मधोता जिला-बस्तर	17.03.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 974 दिनांक 17.03.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
23.	मे. रामगोपाल स्टोन कशर ग्राम-मधोता जिला-बस्तर	17.03.2011	निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-

24.	मे. हरिओम स्टोन कशर ग्राम-रेटावड जिला-बस्तर	05.04.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित नहीं होने के कारण उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 165 दिनांक 05.05.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
25.	मे. रघुनाथ मेटल ग्राम दुबेउमरगांव जिला-बस्तर	01.02.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 02.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		14.02.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई है।	-
<b>विकासखण्ड-लोहण्डीगुड़ा</b>				
26	मे. संदीप मेटल्स, टाकरागुड़ा	17.03.2011	उद्योग में अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
27	मे. शिवशक्ति मेटल्स, ग्राम - टाकरागुड़ा	05.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 07.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		24.01.2011	उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था कोई सुधार नहीं किये जाने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 27.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		16.06.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई है। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
28	मे. कुसुम तुलस्यान स्टोन कशर, बड़ांजी	05.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 07.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।

		24.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 31.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		09.02.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
29	मे. आदिवासी स्टोन क़शर, सहकारी समिति मर्यादित, बड़ाजी	05.01.2011	उद्योग में उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 728 दिनांक 06.01.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
30	मे लखमू मेटल्स, ग्राम- बड़ाजी	24.01.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
31	मे. नेहा स्टोन क़शर, ग्राम - बड़ाजी	05.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 07.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		24.01.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया।	दिनांक 27.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		04.04.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
32	मे. पंकज मेटल्स, ग्राम- धुरागांव	17.03.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
33	मे. गायत्री स्टोन क़शर ग्राम-धुरागांव जिला-बस्तर	17.03.2011	उद्योग में उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
34	मे. दुर्गा मेटल्स, ग्राम - छिन्दगांव	17.03.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		04.04.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
35	मे. किशोर क़शर, ग्राम- छिन्दगांव	17.03.2011	उद्योग में उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
36	मे. मित्तल स्टोन क़शर ग्राम-लोहाण्डीगुड़ा जिला-बस्तर	17.03.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।

		04.04.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	—
37	मे. तीजन स्टोन क़शर ग्राम—कोडेबेड़ा, लोहाण्डीगुड़ा	20.01.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	—
<b>विकासखण्ड—तोकापाल</b>				
38	मे. यू के स्टोन क़शर, ग्राम— राजूर	29.06.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	— —
39	मे. पंकज स्टोन क़शर, ग्राम—राजूर,	29.06.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	— —
40	मे. बाफना मेटल्स, ग्राम— राजूर,	29.06.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	— —
41	मे. नागवंशी माइन्स एण्ड क़सिंग ग्राम—छापरभानपुरी	05.01.2011 24.01.2011 04.04.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई।	दिनांक 06.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई। दिनांक 27.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया। —
42	मे. भारत क़शर ग्राम छापरभानपुरी जिला—बस्तर	05.01.2011 04.04.2011	उद्योग में उत्सर्जन होना पाया गया। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र क्रमांक 729 दिनांक 06.01.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया। —
43	मे. बाजपेयी मेटल्स, छापरभानपुरी	05.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 07.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।

		24.01.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया।	दिनांक 27.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		09.02.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	-
44	मे. प्रदीप गोयल, स्टोन कशर ग्राम - छापरभानपुरी	05.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 07.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		24.01.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया।	दिनांक 27.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		09.02.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	-
45	मे. संतोष मेटल्स ग्राम छापरभानपुरी जिला बस्तर	05.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 07.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		24.01.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया।	दिनांक 27.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		27.12.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	-
46	मे. कनकधारा मिनरल्स रिसोर्सेस ग्राम-छापरभानपुरी	05.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 06.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।

		24.01.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया।	दिनांक 27.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		14.10.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	-
47	मे. जयजलाराम मेटल्स, ग्राम -सिरिसगुड़ा जिला-बस्तर	05.01.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 07.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		24.01.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया।	दिनांक 27.01.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		18.02.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
48	मे. प्रीति स्टोन कशर ग्राम-झीठकागुड़ा राजूर	05.05.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
		30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
49	में. वेंकटेश एनर्जी एण्ड मेटल्स आयरन ओर कशर मौलीभांटा	15.07.2011	निरीक्षण के दौरान उद्योग बंद पाया गया।	-
50	मे. रॉयल आयरन ओर इण्डस्ट्रीज यूनिट-2 ग्राम-भड़िसगांव जिला-बस्तर	01.04.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान धूल कणों का उत्सर्जन होना पाया गया।	उद्योग को पत्र क्रमांक 12 दिनांक 01.04.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
		15.07.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई	उद्योग को पत्र क्रमांक 689 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
		30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
51	मे. बलदेव एलोयज प्रा.लि. आयरन ओर कशिंग ग्राम-रायकोट, जिला-बस्तर	15.07.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई	उद्योग को पत्र क्रमांक 696 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।
		30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
<b>विकासखण्ड-दरभा</b>				
52	मे. रेखचंद जैन स्टोन कशर, ग्राम -छोटे कड़मा	05.05.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-

	जिला-बस्तर	30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
53	मे. श्रीराम स्टोन ग्राम-छोटेकड़मा जिला-बस्तर	05.05.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	- -
54	मे. आकाश स्टोन कशर, ग्राम- छोटेकड़मा	05.05.2011 16.06.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	- - -
55	मे. संदीप मेटल्स, ग्राम - छोटेकड़मा,	05.05.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	- -
56	मे. पद्मावती स्टोन कशर, ग्राम- छोटेकड़मा	05.05.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	- -
57	मे. सन स्टोन कशर ग्राम-छोटेकड़मा जिला-बस्तर	05.05.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	- -
58	मे. संतोष जैन स्टोन कशर ग्राम-छोटेकड़मा जिला-बस्तर	05.05.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	- -
59	मे. श्री विनायक स्टोन कशर ग्राम-छोटेकड़मा जिला-बस्तर	05.05.2011 30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	- -
	<b>विकासखण्ड-जगदलपुर</b>			
60	मे. सत्या स्टोन कशर, ग्राम-कंगोली	08.02.2011 05.05.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिक उत्सर्जन होना पाया गया। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	दिनांक 10.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई। -
61	मे. आदिवासी खनिकर्म सहकारी समिति, ग्राम-कंगोली, जगदलपुर	08.02.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिक उत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 10.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।

		17.03.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		27.12.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	-
62	मे. आर.आर.मेटल, ग्राम-कंगोली, जगदलपुर	08.02.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 10.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		17.03.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
		05.05.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	-
63	मे. आदर्श मेटल्स, ग्राम - कंगोली, जगदलपुर	08.02.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 11.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		05.05.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	-
64	मे. मिथिला मेटल्स, ग्राम-सरगीपाल, जगदलपुर	17.03.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		13.07.2011	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	-
65	मे. माँ दंतेश्वरी मेटल्स, ग्राम-सरगीपाल, जगदलपुर	17.03.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया।	दिनांक 17.03.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।
		13.07.2011	निरीक्षण दिवस उद्योग बंद पाया गया।	-

66	मे. मून मेटल्स, ग्राम-अघनपुर, जगदलपुर	30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
67	मे. बालाजी कशर वर्क्स, ग्राम- अघनपुर, कंगोली जगदलपुर	08.02.2011  05.05.2011	उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण अधिकउत्सर्जन होना पाया गया। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर लिये जाने के कारण स्थिति सामान्य पाई गई।	दिनांक 11.02.2011 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी की गई।  -
68	मे. अरिहंत कशर ग्राम-तितिरगांव जिला-बस्तर	05.05.2011  30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-  -
69	मे. के.एस. स्टोन ग्राम कोरपाल जिला-बस्तर	15.07.2011  30.08.2011	उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था कमी पाये जाने के कारण उत्सर्जन होना पाया गया। उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र क्रमांक 695 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।  -
70	मे. गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमि0 आयरन ओर कशिंग यूनिट, ग्राम-पण्डरीपानी	01.04.2011  15.07.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र क्रमांक 16 दिनांक 01.04.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।  -
71	मे. जीत मिनरल्स आयरन ओर कशर, नयानार	02.07.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया।	-
72	मे. बस्तर मिनरल्स आयरन ओर कशर पंडरीपानी, जगदलपुर आयरन ओर कशर	01.04.2011  15.07.2011  30.08.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र क्रमांक 10 दिनांक 01.04.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग को पत्र क्रमांक 690 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।  -
73	मे. देशलहरा मिनरल्स, ग्राम- जाटम	02.07.2011  25.07.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को दिनांक 05.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।  -
74	मे. अग्रवाल आयरन एण्ड इण्डस्ट्रीज, ग्राम- बिल्लोरी	02.07.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
75	मे. माँ दंतेश्वरी कशिंग इण्डस्ट्रीज ग्राम-तुसेल	02.07.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई	उद्योग को पत्र क्रमांक 673 दिनांक 05.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया।

		30.08.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
76	मे. मारुति मिनिरल्स ग्राम जाटम जिला-बस्तर	07.05.2011	उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	-
77	मे. विकास मेटालिक्स एंड एनर्जी ग्राम-तुसेल जिला-बस्तर	02.07.2011 30.08.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र क्रमांक 674 दिनांक 05.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया। -
78	मे. बजरंग पावर इस्पात लि. आयरन ओर कशर ग्राम-जाटम जिला-बस्तर	02.07.2011 25.07.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र क्रमांक 672 दिनांक 05.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया। -
79	मे. सदगुरु मिनरल आयरन ओर कशर ग्राम-जाटम जिला-बस्तर	02.07.2011 25.07.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र क्रमांक 675 दिनांक 05.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया। -
80	मे. एस.के.एस. इस्पात एण्ड लिमिटेड आयरन ओर कशर, पण्डरीपानी जगदलपुर	01.04.2011 15.07.2011 30.08.2011	उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कमी पाई गई उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र क्रमांक 14 दिनांक 01.04.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग को पत्र क्रमांक 691 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से सुधार हेतु पत्र जारी किया गया। -

## परिशिष्ट "सात"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क. 529) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]  
प्रपत्र "अ"

## बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

विकासखण्ड का नाम – बेमेतरा				
क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम		संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	स्थान का नाम
1	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बेमेतरा	सह. विपणन समिति बेमेतरा	बेमेतरा
2	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बेमेतरा	सह. विपणन समिति बेमेतरा	बेमेतरा
3	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बेमेतरा	सह. विपणन समिति बेमेतरा	बेमेतरा
4	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बेमेतरा	सामुदायिक विकास समिति बेमेतरा	बेमेतरा
5	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बेमेतरा	राजेश्वरी महिला स्व. सहायता समूह	बेमेतरा
6	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बेमेतरा	ओम श्री महिला स्व. सहायता समूह	बेमेतरा
7	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बेमेतरा	मां शीतला दायनी महिला स्व. सहायता समूह बेमेतरा	बेमेतरा
8	शासकीय उचित मूल्य दुकान	कन्तेली	सेवा सहकारी समिति	कन्तेली
9	शासकीय उचित मूल्य दुकान	जेवरा	सेवा सहकारी समिति	जेवरा
10	शासकीय उचित मूल्य दुकान	खुडमुडी	सेवा सहकारी समिति कुसमी	खुडमुडी
11	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बीजाभाठा	सेवा सहकारी समिति बीजाभाठा	बीजाभाठा
12	शासकीय उचित मूल्य दुकान	अमोरा	दुर्गा काली महिला स्व सहायता समूह बेमेतरा	अमोरा
13	शासकीय उचित मूल्य दुकान	सिवारबांधा	संलग्न शा उ मू दुकान गांगपुर ब	सिवारबांधा
14	शासकीय उचित मूल्य दुकान	मोहतरा (बाबा)	सेवा सहकारी समिति बाबा मोहतरा	मोहतरा (बाबा)
15	शासकीय उचित मूल्य दुकान	पीपरभटठा	मां सिद्धी महिला स्व सहायता समूह सण्डी	पीपरभटठा
16	शासकीय उचित मूल्य दुकान	चोरभट्ठी	मां भद्रकाली महिला स्व सहायता समूह बेमेतरा	चोरभट्ठी
17	शासकीय उचित मूल्य दुकान	जेवरी	मातेश्वरी महिला स्व सहायता समूह	जेवरी
18	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बहेरा	सेवा सहकारी समिति कुसमी	बहेरा
19	शासकीय उचित मूल्य दुकान	पथरी	सितारा महिला स्वसहायता समूह बाराडेरा	पथरी
20	शासकीय उचित मूल्य दुकान	हथमुडी	संजीवनी महिला स्व सहायता समूह हथमुडी	हथमुडी
21	शासकीय उचित मूल्य दुकान	गांगपुर (बहेरा)	उपासना महिला स्व सहायता समूह गांगपुर	गांगपुर (बहेरा)
22	शासकीय उचित मूल्य दुकान	भोईनाभाठा	सेवा सह समिति मोहतरा	भोईनाभाठा
23	शासकीय उचित मूल्य दुकान	डूंडा	जय प्राथमिक उप. सह. भं. डूंडा	डूंडा
24	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बैजलपुर	जय प्रा. उप. सह.भं. बैजलपूरु	बैजलपुर
25	शासकीय उचित मूल्य दुकान	निनवा	जय प्रा. उप. सह. भं. निनवा	निनवा
26	शासकीय उचित मूल्य दुकान	खिलोरा	जय मौली माता स्व सहायता समूह खिलौरा	खिलोरा
27	शासकीय उचित मूल्य दुकान	कुसमी	आंचल सेवा संस्था बेमेतरा	कुसमी
28	शासकीय उचित मूल्य दुकान	फरी	जय लक्ष्मी माता महिला स्व सहायता समूह खिलोरा	फरी
29	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बसनी	सेवा सह समिति बीजाभाठा	बसनी
30	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बहेरा कारे	ग्राम पंचायत बहेरा, का	बहेरा कारे

क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	स्थान का नाम
31	शासकीय उचित मूल्य दुकान लोलेसरा	ग्राम पंचायत लोलेसरा	लोलेसरा
32	शासकीय उचित मूल्य दुकान रजकुडी	संलग्न शा उ मू दुकान फरी	रजकुडी
33	शासकीय उचित मूल्य दुकान मटका	संलग्न शा उ मू दुकान चोरभट्टी	मटका
34	शासकीय उचित मूल्य दुकान जिया	ग्राम पंचायत जिया	जिया
<b>विकासखण्ड का नाम – बेरला</b>			
35	शासकीय उचित मूल्य दुकान बेरला	दुर्ग जिला थोक सह. उप. भंडार	बेरला
36	शासकीय उचित मूल्य दुकान रेवे	सेवा सहकारी समिति बेरला सेलग्न	रेवे
37	शासकीय उचित मूल्य दुकान भरचट्टी	सेवा सहकारी समिति बेरला	भरचट्टी
38	शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंवार	सेवा सहकारी समिति बेरला सेलग्न	सिंवार
39	शासकीय उचित मूल्य दुकान करामाल	सेवा सहकारी समिति बेरला संलग्न	करामाल
40	शासकीय उचित मूल्य दुकान लावातरा	सेवा सह समिति टकसीवा	लावातरा
41	शासकीय उचित मूल्य दुकान भिलौरी	सरस्वती महिला स्व.सहायता समूह तारालिम	भिलौरी
42	शासकीय उचित मूल्य दुकान लेंजवारा	जागृति स्व. सहायता समूह लेंजवारा	लेंजवारा
43	शासकीय उचित मूल्य दुकान तारालिम	सरस्वती महिला स्व.सहायता समूह तारालिम	तारालिम
44	शासकीय उचित मूल्य दुकान भांड	मां शीतला ज्योति म.स्व.स. समूह भरदा	भांड
45	शासकीय उचित मूल्य दुकान खर्वा	सेवा सहकारी समिति कुसमी	खर्वा
46	शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी	श्री राम महिला स्व. सहा. समूह देवरी	देवरी
47	शासकीय उचित मूल्य दुकान बावनलाख	जय महामाया महिला मंडल भठगाँव	बावनलाख
48	शासकीय उचित मूल्य दुकान अतरागढी	मां भगवती महिला स्व. सहायता समूह अतरागढी	अतरागढी
49	शासकीय उचित मूल्य दुकान जामगांव	सेवा सहकारी समिति सरदा सेलग्न	जामगांव
50	शासकीय उचित मूल्य दुकान कुरूद	साई बाबा प्रा. सह.उप.भंडार कठिया	कुरूद
51	शासकीय उचित मूल्य दुकान रांका	जूही महिला स्व. सहायता समूह रांका	रांका
52	शासकीय उचित मूल्य दुकान रवेली	साई बाबा प्रा. सह.उप.भंडार कठिया	रवेली
53	शासकीय उचित मूल्य दुकान कठिया	सेवा सहकारी समिति कठिया	कठिया
54	शासकीय उचित मूल्य दुकान खम्हरिया	साई बाबा प्रा.स. उप. भंडार कठिया	खम्हरिया
55	शासकीय उचित मूल्य दुकान किरीतपुर	साई बाबा प्रा. उप.भंडार कठिया	किरीतपुर
56	शासकीय उचित मूल्य दुकान अछोली	वासुदेव महिला स्व. सहायता समूह मुडपारकला (संलग्न)	अछोली
57	शासकीय उचित मूल्य दुकान पाहंदा	सेवा सहकारी समिति सरदा सेलग्न	पाहंदा
58	शासकीय उचित मूल्य दुकान बारगांव	वासुदेव महिला स्व. सहायता समूह मुडपारकला	बारगांव
59	शासकीय उचित मूल्य दुकान जमघट	नव ज्योति म.स्व सहायता समूह मुडपारकला	जमघट
60	शासकीय उचित मूल्य दुकान तेलगा	जय श्री कृष्ण महिला स्व. सहा. समूह मुडपारकला	तेलगा
61	शासकीय उचित मूल्य दुकान भरदा	गायत्री सरस्वती महिला स्व.सहायता समूह भरदा	भरदा

क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	स्थान का नाम
62	शासकीय उचित मूल्य दुकान कुसमी	सेवा सहकारी समिति कुसमी	कुसमी
63	शासकीय उचित मूल्य दुकान बहेरा	सेवा सह समिति बांसा	बहेरा
64	शासकीय उचित मूल्य दुकान बोरिया	सेवा सह समिति बांसा	बोरिया
65	शासकीय उचित मूल्य दुकान तिलई	श्यामा महिला स्व.सहायता समूह तिलई	तिलई
66	शासकीय उचित मूल्य दुकान सांकरा	ग्राम पंचायत सांकरा	सांकरा
67	शासकीय उचित मूल्य दुकान देवादा	सेवा सहकारी समिति हसदा	देवादा
68	शासकीय उचित मूल्य दुकान सुरहोली	सेवा सहकारी समिति बांसा	सुरहोली
69	शासकीय उचित मूल्य दुकान खुडमुडा	आम नमः शिवाय माहला स्व० सहा० समूह मुडपारकला	खुडमुडा
70	शासकीय उचित मूल्य दुकान ढाबा	सेवा सहकारी समिति सिलघट	ढाबा
71	शासकीय उचित मूल्य दुकान खुडमुडी	सेवा सहकारी समिति भिंभौरी सेलग्न	खुडमुडी
72	शासकीय उचित मूल्य दुकान भिंभौरी	सेवा सहकारी समिति भिंभौरी सेलग्न	भिंभौरी
73	शासकीय उचित मूल्य दुकान अकोली	सेवा सहकारी समिति सिलघट	अकोली
74	शासकीय उचित मूल्य दुकान गोडगिरी	सेवा सहकारी समिति गुधेली	गोडगिरी
75	शासकीय उचित मूल्य दुकान गाडामोर	सेवा सहकारी समिति गुधेली	गाडामोर
76	शासकीय उचित मूल्य दुकान उफरा	सेवा सहकारी समिति गुधेली	उफरा
77	शासकीय उचित मूल्य दुकान पिरदा	सेवा सहकारी समिति भिंभौरी	पिरदा
78	शासकीय उचित मूल्य दुकान हरदी	सेवा सहकारी समिति भिंभौरी	हरदी
79	शासकीय उचित मूल्य दुकान बोरसी	ज्योति महिला स्व.सहायता समूह बोरसी	बोरसी
80	शासकीय उचित मूल्य दुकान कंडरका	सेवा सह समिति भिंभौरी	कंडरका
81	शासकीय उचित मूल्य दुकान बेरलाकला	ममत्व स्व० सहा० समूह कुसमी	बेरलाकला
82	शासकीय उचित मूल्य दुकान भालेसर	सेवा सह समिति भिंभौरी संलग्न	भालेसर
83	शासकीय उचित मूल्य दुकान पतौरा	सोतारिन महिला स्व.सहायता समूह पाहंदा	पतौरा
84	शासकीय उचित मूल्य दुकान ताकम	सेवा सह समिति टकसीवा	ताकम
85	शासकीय उचित मूल्य दुकान नेवनारा	ओम नमः शिवाय स्व. सहायता समूह मुडपारकला	नेवनारा
86	शासकीय उचित मूल्य दुकान चिखला	ग्राम पंचायत माटरा संलग्न	चिखला
87	शासकीय उचित मूल्य दुकान केशडबरी	जय महा लक्ष्मी स्वा सह उप भंडार केशडबरी	केशडबरी
88	शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरबीजा	ग्राम पंचायत देवरबीजा	देवरबीजा
89	शासकीय उचित मूल्य दुकान घोटमर्रा	सेवा सह समिति देवरबीजा	घोटमर्रा
90	शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंघौरी	सेवा सह समिति देवरबीजा	सिंघौरी
91	शासकीय उचित मूल्य दुकान भेइनी	जय महा लक्ष्मी स्वा सह उपभोक्ता भंडार केशडबरी	भेइनी
92	शासकीय उचित मूल्य दुकान सण्डी	सेवा सह समिति देवरबीजा	सण्डी
93	शासकीय उचित मूल्य दुकान बहिंगा	जय सिद्धीमाता महिला स्व० सहा० समूह बहिंगा	बहिंगा
94	शासकीय उचित मूल्य दुकान डंगनिया (ब)	ग्राम पंचायत डंगनिया	डंगनिया (ब)

क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	स्थान का नाम
95	शासकीय उचित मूल्य दुकान सलधा	चन्द्रज स्वायत्त प्रा. सह. उप. भंडार	सलधा
96	शासकीय उचित मूल्य दुकान मनियारी	सेवा सह समिति मोहभटठा	मनियारी
97	शासकीय उचित मूल्य दुकान मोहाभाठा	सेवा सह समिति मोहभटठा	मोहाभाठा
98	शासकीय उचित मूल्य दुकान कोदवा	सेवा सह समिति मोहभटठा	कोदवा
99	शासकीय उचित मूल्य दुकान खिसोरा	सेवा सहकारी समिति मोहभटठा	खिसोरा
100	शासकीय उचित मूल्य दुकान चोंगीखपरी	ग्राम पंचायत खपरी	चोंगीखपरी
101	शासकीय उचित मूल्य दुकान कुम्हीगुडा	सेवा सह समिति मोहभटठा	कुम्हीगुडा
102	शासकीय उचित मूल्य दुकान डंगनिया ख.	सेवा सहकारी समिति मोहभटठा	डंगनिया ख.
103	शासकीय उचित मूल्य दुकान परपोड़ा	सेवा सहकारी समिति मोहभटठा	परपोड़ा
104	शासकीय उचित मूल्य दुकान चण्डी	सेवा सह समिति बांसा	चण्डी
105	शासकीय उचित मूल्य दुकान घटियाकला	जय महामाता महिला स्व.सहायता समूह घटियाकला	घटियाकला
106	शासकीय उचित मूल्य दुकान कोहडिया	सेवा सहकारी समिति गुधेली	कोहडिया
107	शासकीय उचित मूल्य दुकान गुधेली	शिवशक्ति महिला स्व. सह. समूह	गुधेली
108	शासकीय उचित मूल्य दुकान सौंढ	सेवा सहकारी समिति बेरला	सौंढ
109	शासकीय उचित मूल्य दुकान टकसीवा	सेवा सहकारी समिति टकसीवा	टकसीवा
110	शासकीय उचित मूल्य दुकान सरदा	सेवा सहकारी समिति सरदा	सरदा
111	शासकीय उचित मूल्य दुकान आनंदगांव	जय श्री कृष्ण महिला स्व. सहायता समूह मडपारकला	आनंदगांव
112	शासकीय उचित मूल्य दुकान बांसा	सेवा सहकारी समिति बांसा	बांसा
113	शासकीय उचित मूल्य दुकान सिलघट	सेवा सहकारी समिति सिलघट	सिलघट
114	शासकीय उचित मूल्य दुकान हसदा	सेवा सहकारी समिति हसदा	हसदा

**विकासखण्ड का नाम – धमधा**

115	शासकीय उचित मूल्य दुकान	बिरोदा	जय लक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह	बिरोदा
116	शासकीय उचित मूल्य दुकान	गोता	विपणन सहकारी समिति धमधा	गोता
117	शासकीय उचित मूल्य दुकान	दारगांव	विपणन सहकारी समिति धमधा	दारगांव
118	शासकीय उचित मूल्य दुकान	मोहलई	जय लक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह	मोहलई
119	शासकीय उचित मूल्य दुकान	टेंगाभाठ	कृष्णा महिला स्व-सहायता समूह	टेंगाभाठ
120	शासकीय उचित मूल्य दुकान	तरकोरी	ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूह	तरकोरी
121	शासकीय उचित मूल्य दुकान	मोहरेंगा	जय महिला स्व-सहायता समूह	मोहरेंगा
122	शासकीय उचित मूल्य दुकान	खजरी	श्री गणेशाय नमः महिला स्व-सहायता समूह	खजरी
123	शासकीय उचित मूल्य दुकान	पेंडीतराई	विपणन सहकारी समिति धमधा	पेंडीतराई
124	शासकीय उचित मूल्य दुकान	माटरा	जय मौली माता स्व-सहायता समूह	माटरा

## बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल राशनकार्डों की संख्या

विकासखण्ड – बेमेतरा		
क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	बीपीएल राशनकार्डों की संख्या
1	बेमेतरा	624
2	बेमेतरा	500
3	बेमेतरा	802
4	बेमेतरा	304
5	बेमेतरा	686
6	बेमेतरा	902
7	बेमेतरा	348
8	कन्तेली	375
9	जेवरा	221
10	खुडमुडी	172
11	बीजाभाठा	311
12	अमोरा	295
13	सिवारबांधा	62
14	मोहतरा (बाबा)	327
15	पीपरभटठा	270
16	चोरभट्ठी	292
17	जेवरी	213
18	बहेरा	156
19	पथर्रा	293
20	हथमुडी	332
21	गांगपुर (बहेरा)	217
22	भोईनाभाठा	223
23	डूंडा	247
24	बैजलपुर	254
25	निनवा	207
26	खिलोरा	166
27	कुसमी	275
28	फरी	253
29	बसनी	157
30	बहेरा कारे	178

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	बीपीएल राशनकार्डों की संख्या
31	लोलेसरा	326
32	रजकुड़ी	197
33	मटका	195
34	जिया	122
विकासखण्ड – बेरला		
35	बेरला	856
36	रेवे	241
37	भरचट्टी	268
38	सिंवार	309
39	करामाल	294
40	लावातरा	229
41	भिलौरी	180
42	लैजवारा	352
43	तारालिम	282
44	भांड	229
45	खर्ी	517
46	देवरी	225
47	बावनलाख	256
48	अतरागढी	492
49	जामगांव	167
50	कुरुद	247
51	रांका	524
52	रवेली	263
53	कठिया	450
54	खम्हरिया	251
55	किरीतपुर	157
56	अछोली	253
57	पाहंदा	339
58	बारगांव	495
59	जमघट	296
60	तेलगा	191
61	भरदा	218
62	कुसमी	585

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	बीपीएल राशनकार्डों की संख्या
63	बहेरा	374
64	बोरिया	260
65	तिलई	184
66	सांकरा	283
67	देवादा	251
68	सुरहोली	204
69	खुडमुडा	367
70	ढाबा	221
71	खुडमुडी	240
72	भिभौरी	456
73	अकोली	181
74	गोड़गिरी	259
75	गाडामोर	185
76	उफरा	152
77	पिरदा	220
78	हरदी	201
79	बोरसी	149
80	कंडरका	149
81	बेरलाकला	113
82	भालेसर	146
83	पतौरा	283
84	ताकम	201
85	नेवनारा	145
86	चिखला	255
87	केशडबरी	270
88	देवरबीजा	382
89	घोटमर्ग	383
90	सिंघौरी	273
91	भेड़नी	243
92	सण्डी	182
93	बहिंगा	133
94	डगनिया (ब)	252
95	सलधा	216
96	मनियारी	322

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	बीपीएल राशनकार्डों की संख्या
97	मोहाभाठा	369
98	कोदवा	378
99	खिसोरा	234
100	चोंगीखपरी	257
101	कुम्हीगुडा	284
102	डगनिया ख.	220
103	परपोड़ा	458
104	चण्डी	191
105	घटियाकला	212
106	कोहडिया	176
107	गुधेली	286
108	सौंढ	480
109	टकसींवा	340
110	सरदा	526
111	आनंदगांव	326
112	बांसा	212
113	सिलघट	237
114	हसदा	333
<b>विकासखण्ड – धमधा</b>		
115	बिरौदा	210
116	गोता	162
117	दारगांव	314
118	मोहलई	229
119	ठेंगाभाठ	157
120	तरकोरी	344
121	मोहरेंगा	300
122	खजरी	344
123	पेंडीतराई	227
124	माटरा	275

## प्रपत्र "स"

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी	शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1	शासकीय उचित मूल्य दुकान हथमुड़ी, बेमेतरा	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन ।
2	शासकीय उचित मूल्य दुकान बैजलपुर, बेमेतरा	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन ।
3	शासकीय उचित मूल्य दुकान कन्तेली, बेमेतरा	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन ।
4	शासकीय उचित मूल्य दुकान डूडा, बेमेतरा	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन ।
5	शासकीय उचित मूल्य दुकान, चोंगीखपरी	शिकायत सही नहीं पाई गयी ।
6	शासकीय उचित मूल्य दुकान, सिंघौरी	शिकायत सही नहीं पाई गयी ।
7	शासकीय उचित मूल्य दुकान, गुधेली	अंतिम चेतावनी देते हुए जुर्माना किया गया ।
8	शासकीय उचित मूल्य दुकान, मनियारी	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन ।
9	शासकीय उचित मूल्य दुकान, अतरागाड़ी	शिकायत सही नहीं पाई गयी ।

## परिशिष्ट “आठ”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क. 512) के भाग (क) की जानकारी ]

ग्राम रायखेड़ा, जिला रायपुर में मेसर्स जी. एम. आर. छत्तीसगढ़ एनर्जी लि. को घास मद में दर्ज शासकीय भूमि आवंटन की जानकारी

क्रमांक (1)	खसरा नम्बर (2)	रकबा (हेक्टेयर में) (3)
1.	69/1	4.176
2.	154	0.409
3.	180	1.145
4.	207	0.210
5.	271	2.833
6.	273/1	8.049
7.	342	1.040
8.	376	1.100
9.	385	0.049
10.	390	0.081
11.	411	0.035
12.	417	0.105
13.	436	0.383
14.	438	1.173
15.	454/1	25.042
16.	176	125.25
	<b>योग</b>	<b>171.08</b>

## परिशिष्ट “नौ”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 637) के भाग (क) की जानकारी ]

**छ. ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या., रायपुर**  
**धान उपार्जन वर्ष 2011-12 में समितियों एवं विपणन संघ के मध्य अंतिम लेखा मिलान अनुसार उपार्जन केन्द्रों में**  
**धान शार्टेज की जानकारी दिनांक 11-07-2012 की स्थिति पर**

क्र.	जिले का नाम	उपार्जन केन्द्र	मिलान हो चुके उपार्जन केन्द्र	कुल धान उपार्जन	समिति स्तर पर शार्टेज धान की मात्रा	धान परिवहन में कमी की मात्रा	मात्रा क्विंटल में	
							कुल धान शार्टेज	मिलान होना शेष उपार्जन केन्द्र की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	कवर्धा	75	75	152764.14	3347.69	6124.31	9472.00	0
2.	कांकेर	110	91	126923.7	697.55	3422.78	4120.33	19
3.	कोरबा	36	33	92201.72	4406.40	580.45	4986.85	3
4.	कोरिया	18	10	51094.86	993.60	0.00	993.60	8
5.	जशपुर	22	22	44883.02	0.00	0.00	0.00	0
6.	जांजगीर-चांपा	203	129	780140.04	17654.18	86825.07	104479.25	74
7.	देतेवाड़ा	10	10	4244.39	0.00	127.78	127.78	0
8.	दुर्ग	74	72	307592.61	1639.49	4496.21	6135.70	2
9.	धमतरी	80	80	350249.56	7713.43	0.00	7713.43	0
10.	बस्तर	58	58	62396.54	340.34	0.77	341.11	0
11.	बिलासपुर	127	99	352692.86	14078.14	12979.26	27057.40	28
12.	महासमुंद	115	105	511750.46	29878.60	7628.48	37507.08	10
13.	राजनांदगांव	110	105	393167.53	197.14	5867.13	6064.27	5
14.	रायगढ़	119	80	430282.51	4943.77	7002.28	11946.05	39
15.	रायपुर	120	120	464513.13	4151.83	19623.21	23775.04	0
16.	सरगुजा	28	21	121103.56	26540.86	770.38	27311.24	7
17.	नारायणपुर	6	6	2554.13	3.00	0.00	3.00	0
18.	बीजापुर	13	11	6608.71	0.67	241.29	241.96	2
19.	गरियाबंद	59	59	180965.82	1561.87	9458.03	11019.90	0
20.	बलौदाबाजार	132	131	405895.86	4119.45	13374.19	17493.64	1
21.	मुंगेली	74	35	201471.13	1262.81	11490.85	12753.66	39
22.	बालोद	104	82	379522.64	2720.26	4702.79	7423.05	22
23.	बेमेतरा	78	73	327088.44	7384.58	7917.76	15302.34	5
24.	सूरजपुर	29	25	102835.16	6996.38	1872.05	8868.43	4
25.	बलरामपुर	33	23	94368.33	655.63	2413.35	3068.98	10
26.	सुकमा	13	6	7465.44	0.27	0.00	0.27	7
27.	कोंडागांव	42	42	18179.97	9.14	0.00	9.14	0
<b>योग -</b>		<b>1888</b>	<b>1603</b>	<b>5972956.26</b>	<b>141297.08</b>	<b>206918.42</b>	<b>348215.50</b>	<b>285</b>

**टीप -** 285 उपार्जन केन्द्रों के धान उपार्जन का हिसाब मिलान होना शेष है. अतः इन केन्द्रों में हुई शार्टेज की वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं होने के कारण शामिल नहीं किया गया है.

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "दस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क. 236) के भाग (ग) की जानकारी ]

जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में तालपत्री, केप कव्हर आदि की खरीदी हेतु व्यय राशि की जानकारी

(राशि रूपए में)

क्रमांक	धान खरीदी केन्द्र का नाम	व्यय राशि
1	सरखों	36194
2	महंत	12440
3	ममुंद	8136
4	सिवनी	22465
5	धुरकोट	9460
6	गौद	3000
7	खोखरा	22624
8	जांजगीर	15120
9	नैला	14904
10	पहरिया	12130
11	बोडसरा	14600
12	बनारी	9000
13	कुटरा	13878
14	घुठिया	43880
15	अमोदा	10800
16	कर्रा	13680
17	भैसदा	29716
18	सलखन	38400
19	तुलसी	28320
20	किरित	23280
21	सेमरा	28320
22	खिसोरा	28320
23	सिउड़	33360
24	धारासीव	23280
25	नवागढ़	18240

क्रमांक	धान खरीदी केन्द्र का नाम	व्यय राशि
26	बरगांव	18240
27	तनौद	21020
28	खोरसी	21020
29	केरा	21020
30	मिसदा	21020
31	लोहर्सी	21020
32	खरौद	21020
33	शिवरीनारायण	21020
34	गोधना	21020
35	नगुरडीह	21020
36	कटौद	21020
37	पकरिया	15155
38	जेवरा	15155
39	भिलौनी	15155
40	डोंगाकोहरौद	15155
41	मेउ	15155
42	राहौद	15155
43	मेहदी	15155
44	कोसला	15155
45	ससहा	15155
46	कोसा	15155
47	रसौटा	15155
48	पकरिया	15155
49	भैसो	15155
50	लगरा	15155
51	कोडाभाट	15155
52	मुलमूला	15155
53	पामगढ़	15155
54	कोटमी	32520
55	सांकर	26555
56	अकलतरी	29595

क्रमांक	धान खरीदी केन्द्र का नाम	व्यय राशि
57	करूमहू	25820
58	पकरिया	22820
59	केरारी	25195
60	कोटगढ़	28120
61	पोड़ी	52870
62	तरौद	20120
63	अमोरा	22920
64	अकलतरा	15120
65	नरियरा	38120
66	कापन	37870
67	बरगवां	22920
68	तिलई	38020
69	कपरीडीह	53305
70	चोरभट्टी	25995
71	खैजा	30240
72	खिसोरा	30240
73	बक्सरा	30240
74	गतवा	56500
75	कोरबी	30240
76	बलौदा	0
77	महुदा	44040
78	चारपारा	56500
79	जर्वे	30240
80	जावलपुर	44040
81	भैसतरा	30240
82	हरदी	56500
83	पिसौद	30240
84	सिवनी	30240
85	सोठी	30240
86	चोरिया	30240
87	चाम्पा	30240

क्रमांक	धान खरीदी केन्द्र का नाम	व्यय राशि
88	कुम्हारीकला	30240
89	अमरूवा	30240
90	दारंग	30240
91	सारागांव	30240
92	कमरीद	30240
93	कोसमंदा	30240
94	मड़वा	30240
95	उच्चभट्टी	30240
96	करनौद	30240
97	लखाली	30240
98	पोड़ीशंकर	30240
99	बंसूला	30240
100	बम्हनीनडीह	30240
101	अफरीद	30240
102	झर्रा	30240
103	सरहर	22120
104	डुमरपारा	22120
105	लवसरा	38240
106	गिधौरी	33260
107	बाराद्वार	16120
108	बस्तीबाराद्वार	22120
109	कड़ारी	29120
110	ठठारी	22120
111	भोयिया	37240
112	डोंगिया	33260
113	दर्राभाटा	32200
114	अकलसरा	22120
115	आमगांव	15120
116	दतौद	41380
117	काशीगढ़	15120
118	जैजेपुर	15120

क्रमांक	धान खरीदी केन्द्र का नाम	व्यय राशि
119	तालदेवरी	45360
120	डभराखुर्द	45360
121	ओडेकेरा	15120
122	तुषार	15120
123	नंदेली	41380
124	देवरघटा	30240
125	भावमाहूल	15120
126	घिवरा	15120
127	किकिरदा	15120
128	मुक्ता	30240
129	सेंदरी	30786
130	अरसिया	15120
131	बिरा	15120
132	सिलादेही	15120
133	हसौद	15120
134	चिस्ता	41380
135	खजुरानी	15120
136	भोथिडीह	15120
137	कैथा	15120
138	कचंदा	30240
139	पिहरीद	42000
140	बड़ेरबेली	62000
141	पोता	58000
142	करीगांव	56000
143	सुलौनी	56000
144	चरौदा	53000
145	बड़ैपंडरमुड़ा	62000
146	सिंघरा	72000
147	बेलहाडीह	87000
148	नरियरा	48000
149	देवगांव	52000

क्रमांक	धान खरीदी केन्द्र का नाम	व्यय राशि
150	मालखरौदा	62000
151	मुक्ता	46000
152	छपोरा	48000
153	आमनदुला	82000
154	भठोरा	59000
155	घोघरी	42000
156	बड़ेसिपत	53000
157	पिरदा	46000
158	सकरेली	40320
159	डोडकी	40320
160	सोठी	40320
161	कनेटी	40320
162	किरारी	40320
163	खैरा	40320
164	पोरथा	40320
165	असौदा	40320
166	झालरौदा	40320
167	चिखलरौदा	40320
168	रायपुरा	40320
169	अड़भार	40320
170	बुंदेली	40320
171	बरपाली	40320
172	नगरदा	40320
173	पतेरापाली	40320
174	देवरमाल	40320
175	रंगजा	40320
176	मसनियाखुर्द	40320
177	जर्वे	40320
178	सकर्रा	40320
179	मोहंदीकला	40320
180	सक्ती	40320

क्रमांक	धान खरीदी केन्द्र का नाम	व्यय राशि
181	सिरियागढ़	32520
182	देवरघटा	26555
183	बरतुगा	26260
184	फरसवानी	25820
185	बघौद	22620
186	दर्री	26260
187	सपोस	25195
188	बारापीपर	26260
189	अमलडीहा	28120
190	चंद्रपुर	32240
191	डभरा	15120
192	छोटेकोनी	26260
193	धुरकोट	22920
194	कवली	26260
195	किरारी	26555
196	रेड़ा	26260
197	कोटमी	26555
198	बड़ेकटेकोनी	26555
199	कासा	26260
200	पुटीडीह	29555
201	जवाली	26260
202	फगुरम	33855
203	भाटा	26260

परिशिष्ट “ग्यारह”

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 257) के भाग (ख) की जानकारी ]

**वर्ष 2010 में भू-अर्जन से प्रभावितों के लिए मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है.**

- भू-प्रभावितों को मार्च 2010 में संशोधित छ. ग. शासन की पुनर्वास नीति के अनुसार निर्धारित मुआवजा राशि प्रदान करना एवं अतिरिक्त रु. 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से प्रत्येक खातेदार को मुआवजा के अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान करना.
- छ. ग. शासन पुनर्वास नीति 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार रोजगार के लिए जो प्रावधान हैं, उसे वर्ष 2010 में अधिग्रहण की गई भूमि के लिए एनएमडीसी द्वारा मान्य किया गया है.
- भू-प्रभावितों में रोजगार के लिए पात्र व्यक्ति यदि रोजगार का इच्छुक न हो तो उसे 2.00 लाख एक मुश्त राशि दिए जाने का प्रावधान है.
- भू-प्रभावितों में जो रोजगार के लिए हकदार है परंतु जो रोजगार के लिये पात्र नहीं है इन्हें एनएमडीसी द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है. तत्पश्चात् उसे रोजगार प्रदान किया जायेगा.
- भू-प्रभावितों को एनएमडीसी परियोजना अस्पताल नगरनार में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
- भू-प्रभावितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है. ग्राम धनपुंजी में एनएमडीसी डी. ए. व्ही. स्कूल में प्रभावितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं एनएमडीसी डी. ए. व्ही. आईटीआई प्रशिक्षण केन्द्र में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है.

## परिशिष्ट "बारह"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क. 258) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]  
प्रपत्र "अ"

## जिला बस्तर की बुनकर सहकारी समितियों की सूची

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम	समिति का नाम
1	2	3	4
1	बस्तर	बस्तर	महात्मा गांधी बुन.सह.समि.मर्या. बस्तर
2	बकावण्ड	जैतगिरी	धावड़ावीर बुन.सह.समि.मर्या. जैतगिरी
3		छोटेदेवड़ा	महामाया बुन.सह.समि.मर्या. छोटेदेवड़ा
4		बजावण्ड	कंकालीन बुन.सह.समि.मर्या. बजावण्ड
5		दामागुड़ा	कलाधारिणी बुन.सह.समि.मर्या. दामागुड़ा
6		पाहुरवेल	हिंगलाजीन बुन.सह.समि.मर्या. पाहुरवेल
7		बकावण्ड	रावधारणी बुन.सह.समि.मर्या. बकावण्ड
8	जगदलपुर	नगरनार	बुनकर सह. समि. मर्या. नगरनार
9		कलचा	आदिवासी महिला बुन.सह.समि.मर्या. कलचा
10		सिरमुड़	बुन. सह. समि. मर्या. सिरमुड़
11		जगदलपुर	दंतेश्वरी बुन.सह.समि.मर्या. जगदलपुर
12		बामनी	राहुल बुन. सह. समि. मर्या. बामनी
13		जगदलपुर	कोसाकताई बुन.सह.समि.मर्या. जगदलपुर
14	तोकापाल	तोकापाल	कबीर बुन. सह. समि. मर्या. तोकापाल
15		राजूर	बुढ़ादेव बुन. सह. समि. मर्या. राजूर

## प्रपत्र "ब"

बुनकर सहकारी समितिवार कपड़ा बुनाई तथा बुनाई पारिश्रमिक भुगतान की सूची

जिला :- बस्तर

क्र.	समिति का नाम	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		योग	
		कपड़ा बुनाई मीटर में	बुनाई मजदूरी	कपड़ा बुनाई मीटर	बुनाई मजदूरी	कपड़ा बुनाई मीटर	बुनाई मजदूरी	कपड़ा बुनाई मीटर	बुनाई मजदूरी
1	महात्मा गांधी बुन.सह.समि.मर्या. बस्तर	31870.50	476464.50	29814.65	445729.00	48234.60	867063.00	109919.75	1789256.50
2	धावड़ावीर बुन.सह.समि.मर्या. जैतगिरी	1991.50	29773.75		-	4966.95	89285.00	6958.45	119058.75
3	महामाया बुन.सह.समि.मर्या. छोटेदेवड़ा	4512.50	67463.00	653.00	9763.00	3841.35	69052.00	9006.85	146278.00
4	कंकालीन बुन.सह.समि.मर्या. बजावण्ड	1475.75	22062.82	9214.50	137757.00	15565.90	279812.00	26256.15	439631.82
5	कलाधारिणी बुन.सह.समि.मर्या. दामागुड़ा	2201.70	32915.87	3849.70	57553.00	17990.20	323391.00	24041.60	413859.87
6	बुनकर सह. समि. मर्या. नगरनार	3860.20	57710.50	8018.85	119881.85	5382.25	96751.40	17261.30	274343.75
7	आदिवासी महिला बुन.सह.समि.मर्या. कलचा	2493.65	37280.00	5970.60	89260.45	3440.50	61847.00	11904.75	188387.45
8	बुन. सह. समि. मर्या. सिरमुड़	4187.65	62605.50	7529.70	112569.00	11019.00	198077.00	22736.35	373251.50
9	दंतेश्वरी बुन.सह.समि.मर्या. जगदलपुर	5485.65	82010.25	6406.20	95772.85	10503.60	188811.92	22395.45	366595.02
	<b>योग</b>	<b>58079.10</b>	<b>868286.19</b>	<b>71457.20</b>	<b>1068286.15</b>	<b>120944.35</b>	<b>2174090.32</b>	<b>250480.65</b>	<b>4110662.66</b>

## प्रपत्र "स"

राज्य में हाथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन एवं रोजगार देने के लिए संचालित योजनाएं निम्नानुसार हैं -

1. उन्नत उपकरण/सहायक उपकरण क्रय हेतु सहायता ।
2. सहकारी समिति के सदस्य बनने हेतु अंशपूंजी अनुदान ।
3. सहकारी समितियों के अंश क्रय करने हेतु अंशपूंजी ऋण ।
4. सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी में शासकीय भागीदारी (धनवेष्टन)
5. नवीन बुनाई प्रशिक्षण ।
6. रिवाल्विंग फण्ड योजना ।
7. स्व. श्री बिसाहू दास महंत पुरस्कार योजना ।
8. कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना ।
9. विकास अनुसंधान योजना ।
10. बाजार अध्ययन एवं प्रदर्शनी ।
11. प्रदेश के बुनकर सदस्यों के प्रतिभावान पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) को प्रोत्साहन पुरस्कार ।
12. श्रेष्ठ बुनकर सम्मान ।
13. बुनकर स्वास्थ्य बीमा ।
14. महात्मा गांधी बुनकर बीमा ।
15. एकीकृत हाथकरघा विकास योजना ।

## प्रपत्र "द"

योजनाओं के तहत बुनकर समितियों को दिये गये ऋण/अनुदान लाभ की जानकारी

जिला :- बस्तर

क्र	समिति का नाम	योजना का नाम	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12	
			ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1	महात्मा गांधी बुन.सह.समि.मर्या. बस्तर	रिवाल्विंग फण्ड	150000	—	—	—	—	—
		सहायक उपकरण	—	—	45000	45000	—	—
		बुनाई प्रशिक्षण	—	—	—	54000	—	—
2	बुनकर सह. समि. मर्या. नगरनार	सहायक उपकरण	—	—	150000	—	—	—
		रिवाल्विंग फण्ड	—	—	45000	45000	—	—
3	कलाधारिणी बुन.सह.समि.मर्या. दामागुड़ा	रिवाल्विंग फण्ड	150000	—	—	—	—	—
4	बुन. सह. समि. मर्या. सिरमुड़	रिवाल्विंग फण्ड	—	—	150000	—	—	—
		सहायक उपकरण	—	—	45000	45000	—	—
योग			300000	—	435000	189000	—	—

## परिशिष्ट "तेरह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 308) के भाग (क) की जानकारी ]

## जिलेवार शार्टेज धान की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	शार्टेज धान की मात्रा टन में	शार्टेज धान का मूल्य (करोड़ रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	2377.50	2.59
2.	बलौदाबाजार	1749.36	1.92
3.	गरियाबंद	1101.99	1.21
4.	धमतरी	771.34	0.84
5.	महासमुंद	3786.84	4.16
6.	दुर्ग	613.57	0.68
7.	बालोद	951.68	1.04
8.	बेमेतरा	1530.23	1.66
9.	राजनांदगांव	606.43	0.67
10.	कवर्धा	947.20	1.03
11.	बिलासपुर	2708.95	2.97
12.	मुंगेली	1275.37	1.39
13.	जांजगीर-चांपा	10447.93	11.38
14.	कोरबा	498.69	0.54
15.	रायगढ़	1194.61	1.30
16.	सरगुजा	2731.12	3.04
17.	सूरजपुर	886.84	0.98
18.	बलरामपुर	306.90	0.35
19.	कोरिया	99.36	0.11
20.	जशपुर	0.00	0.00
21.	बस्तर	34.11	0.04
22.	कोंडागांव	0.91	0.00
23.	नारायणपुर (बस्तर)	0.30	0.00
24.	कांकेर	412.03	0.46
25.	दन्तेवाड़ा	12.78	0.01
26.	सुकमा	0.03	0.00
27.	बीजापुर (दन्तेवाड़ा)	24.20	0.03

## परिशिष्ट “चौदह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 309) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

**जिला रायगढ़ में उद्योगों को ठोस अपशिष्ट/राखड़ के भण्डारण/भू-भरण/खदान भराव हेतु प्रदान  
अनुमति संबंधी जानकारी**

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	अनुमति तिथि	स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, गेरवानी, जिला - रायगढ़.	18-01-2010 23-04-2010 29-06-2010	ग्राम-टिमरलगा ग्राम-बगबुड़ा ग्राम-लाखा
2.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, नहरपाली, जिला - रायगढ़.	02-06-2010 19-07-2010	ग्राम-कुरूभांठा ग्राम-नौरंगपुर
3.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, जिला - रायगढ़.	19-07-2010	ग्राम-जामडभरी

## प्रपत्र "ब"

## जिला रायगढ़ में राखड़ से ईट बनाने की स्थापित ईट निर्माण संयंत्रों की जानकारी

क्रमांक (1)	इकाई का नाम एवं पता (2)	राखड़ आधारित ईट निर्माण संयंत्र का स्थल (3)
1.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - तराईमाल, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
2.	मेसर्स इण्ड. पॉवर लिमिटेड, ग्राम - महापल्ली, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
3.	मेसर्स सालासर स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - गेरवानी, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
4.	मेसर्स ओ. पी. जिंदल थर्मल पॉवर प्लांट ग्राम - तमनार, जिला - रायगढ़.	ग्राम - तमनार
5.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, ग्राम - नहरपाली, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
6.	मेसर्स एम. एस. पी. स्पंज आयरन लिमिटेड, ग्राम - मनुआपाली, जिला - रायगढ़.	ग्राम - जामगांव
7.	मेसर्स अंजनी स्टील्स लिमिटेड, ग्राम - उज्जवलपुर, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
8.	मेसर्स सिंघल इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - तराईमाल, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
9.	मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम - भेंगारी, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
10.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - सराईपाली, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
11.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम - पतरापाली, जिला - रायगढ़.	ग्राम - खैरपुर
12.	मेसर्स आर. आर. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - गढ़उमरिया, जिला - रायगढ़.	उद्योग परिसर में
13.	मेसर्स अम्बे फ्लाइ एश ब्रिक्स उद्योग ग्राम - पूंजीपथरा, जिला - रायगढ़.	ग्राम - पूंजीपथरा
14.	मेसर्स आर. के. ब्रिक्स ग्राम - बिंजकोट, जिला - रायगढ़.	ग्राम - बिंजकोट

(1)	(2)	(3)
15.	मेसर्स श्री कृष्णा फ्लाइ एश प्रोडक्ट्स, ग्राम - कोडातराई, जिला - रायगढ़.	ग्राम - कोडातराई
16.	मेसर्स पटेल इण्डस्ट्रीज फ्लाइ एश ब्रिक्स, ग्राम - मीलूपारा, जिला - रायगढ़.	ग्राम - मीलूपारा
17.	मेसर्स मंगल ब्रिक्स, ग्राम - बानीपाथर, जिला - रायगढ़.	ग्राम - बानीपाथर
18.	मेसर्स बालाजी फ्लाइ एश ब्रिक्स, ग्राम - खरीबड़े, जिला - रायगढ़.	ग्राम - खरीबड़े
19.	मेसर्स गुलशन फ्लाइ एश ब्रिक्स, ग्राम - दाहीडांड, तह. - धरमजयगढ़, जिला - रायगढ़.	ग्राम - दाहीडांड
20.	मेसर्स बालाजी ब्रिक्स, ग्राम - जोरापाली, जिला - रायगढ़.	ग्राम - जोरापाली
21.	मेसर्स श्री श्याम फ्लाइ एश ब्रिक्स, ग्राम - नावापारा, तह. - धरमजयगढ़, जिला - रायगढ़.	ग्राम - नावापारा
22.	मेसर्स श्री श्याम जी ब्रिक्स, ग्राम - भालूनारा, जिला - रायगढ़.	ग्राम - भालूनारा
23.	मेसर्स नरेश कुमार अग्रवाल ग्राम - नावापारा, तह. - घरघोड़ा, जिला - रायगढ़.	ग्राम - नावापारा
24.	मेसर्स के. डी. बिल्डर्स एण्ड कन्सट्रक्शन ग्राम - बानीपाथर, तह. - खरसिया, जिला - रायगढ़.	ग्राम - बानीपाथर

## परिशिष्ट “पंद्रह”

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 321) के भाग (क) की जानकारी ]

## सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के महिला स्व. सहा. समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की सूची

क्रमांक	महिला समूह का नाम	कितने दुकानें चला रही है	कहां-कहां संचालित किया जा रहा है	संलग्न दुकानें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शुभद्रा ज्योति महिला स्व. सहा. समूह पासीद	1	पासीद	--
2.	फुलमत महिला स्व. सहा. समूह मल्दा अ	1	मल्दा अ	--
3.	सिद्धी महिला स्व. सहा. समूह दहिदा	1	दहिदा	--
4.	जागृति महिला स्व. सहा. समूह जशपुर	1	जशपुर	--
5.	सरिता महिला स्व. सहा. समूह अमलीपाली अ	1	अमलीपाली अ	--
6.	जय वैभव लक्ष्मी महिला स्व. सहा. समूह कलमी	1	कलमी	--
7.	मीरा महिला स्व. सहा. समूह मुड़वाभांठा	1	मुड़वाभांठा	--
8.	मां समलाई महिला स्व. सहा. समूह दानसरा	1	दानसरा	--
9.	मां नागीन दाई महिला स्व. सहा. समूह खजरी	1	खजरी	--
10.	मिनीमाता महिला स्व. सहा. समूह खुसी	1	भिखमपुरा	--
11.	विमला महिला स्व. सहा. समूह छर्ना	1	छर्ना	--
12.	भवानी महिला स्व. सहा. समूह खैरा छोटे	1	खैरा छोटे	--
13.	पूजा महिला स्व. सहा. समूह नौरंगपुर	1	नौरंगपुर	--
14.	राधा महिला स्व. सहा. समूह भिखमपुरा	1	भिखमपुरा	--
15.	जय मां नाथलदाई महिला स्व. सहा. समूह टिमरलगा	1	टिमरलगा	--
16.	जय साईं महिला स्व. सहा. समूह ग्वालिनडीह	1	ग्वालिनडीह	--
17.	जननी मां महिला स्व. सहा. समूह उलखर	1	उलखर	--
18.	लक्ष्मी महिला स्व. सहा. समूह केड़ार	1	केड़ार	--
19.	अमृता महिला स्व. सहा. समूह भदरा	1	भदरा	--
20.	अम्बेडकर महिला स्व. सहा. समूह हिरी	1	हिरी	--
21.	आरती महिला स्व. सहा. समूह गोड़ा	1	गोड़ा	--
22.	उर्मिला महिला स्व. सहा. समूह बासीनबहरा	1	बासीनबहरा	--
23.	कलेश्वर महिला स्व. सहा. समूह घौठला बड़े	1	घौठला बड़े	--
24.	गंगा महिला स्व. सहा. समूह परसकोल	1	परसकोल	--
25.	ग्रामीण कला महिला स्व. सहा. समूह गोड़म	1	गोड़म	--
26.	जय महामाया महिला स्व. सहा. समूह भोथली	1	भोथली	--
27.	जानकी महिला स्व. सहा. समूह मुड़पार छोटे	1	मुड़पार छोटे	--
28.	दिव्या महिला स्व. सहा. समूह गुड़ेली	1	गुड़ेली	--
29.	दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह साल्हे	1	साल्हे	--
30.	दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह कौवाताल	1	कौवाताल	--
31.	दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह कपिस्ता अ	1	कपिस्ता अ	--
32.	नवा गौरी महिला स्व. सहा. समूह कुम्हारी	1	कुम्हारी	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	पदमावती महिला स्व. सहा. समूह खरवाड़ी बड़े	1	खरवानी बड़े	--
34.	पार्वती महिला स्व. सहा. समूह मुड़पार बड़े	1	मुड़पार बड़े	--
35.	पिंगला महिला स्व. सहा. समूह चन्दाई	1	चन्दाई	--
36.	पूजा महिला स्व. सहा. समूह सहसपुर	1	सहसपुर	--
37.	बद्रिका महिला स्व. सहा. समूह पचपेढी	1	पचपेढी	--
38.	महानदी महिला स्व. सहा. समूह हिच्छा	1	हिच्छा	--
39.	महिला स्व. सहा. समूह बरदुला	1	बरदुला	--
40.	उमा महिला स्व. सहा. समूह गन्तुली बड़े	1	गन्तुली बड़े	--
41.	मां गायत्री महिला स्व. सहा. समूह छीन्द	1	छीन्द	--
42.	मां जेवरा बाई महिला स्व. सहा. समूह छुहीपाली	1	छुहीपाली	--
43.	शुभद्रा महिला स्व. सहा. समूह रेड़ा	1	रेड़ा	--
44.	भवानी महिला स्व. सहा. समूह मुड़ियाडीह	0	निलंबित	रेड़ा
45.	मां सहकाली महिला स्व. सहा. समूह माधोपाली	1	माधोपाली	--
46.	माता रूकमणी महिला स्व. सहा. समूह धौराभांठा	1	धौराभांठा	--
47.	मुनी महिला स्व. सहा. समूह कटेली	1	कटेली	--
48.	मोहन महिला स्व. सहा. समूह लीमगांव	1	लीमगांव	--
49.	रागिनी महिला स्व. सहा. समूह रींवापार	1	रींवापार	--
50.	लक्ष्मी महिला स्व. सहा. समूह गाताडीह	1	गाताडीह	--
51.	ललीता महिला स्व. सहा. समूह पीण्डरी	1	पीण्डरी	--
52.	लेलहर महिला स्व. सहा. समूह गन्तुली छोटे	1	गन्तुली छोटे	--
53.	विकास महिला स्व. सहा. समूह उच्चभिट्टी	1	उच्चभिट्टी	--
54.	सारदा महिला स्व. सहा. समूह लेन्धरा	1	लेन्धरा	--
55.	संजीवनी महिला स्व. सहा. समूह बटाऊपाली अ	1	बटाऊपाली अ	--
56.	संतोषी महिला स्व. सहा. समूह अमलीडीपा	1	अमलीडीपा	--
57.	संतोषी महिला स्व. सहा. समूह डडाईडीह	1	आश्रित ग्राम-मधूबन	--
58.	संतोषी महिला स्व. सहा. समूह जेवरा	1	जेवरा	--
59.	सदाबहार महिला स्व. सहा. समूह गोड़ीहारी	1	गोड़ीहारी	--
60.	सम्लाई महिला स्व. सहा. समूह घटुला छोटे	1	घटुला छोटे	--
61.	सरस महिला स्व. सहा. समूह कोसीर	1	कोसीर	--
62.	सहयोग आरती महिला स्व. सहा. समूह बुदेली	1	बुदेली	--
63.	सुलोचना महिला स्व. सहा. समूह जसरा	1	जसरा	--
64.	सुलोचना महिला स्व. सहा. समूह सिंघनपुर	1	सिंघनपुर	--
65.	हराबाई महिला स्व. सहा. समूह अमलीपाली ब	1	अमलीपाली ब	--
66.	दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह रांपागुला	1	रांपागुला	--
67.	सारदा महिला स्व. सहा. समूह मारोदरहा	1	मारोदरहा	--
68.	सारदा महिला स्व. सहा. समूह सुखापाली	1	सुखापाली	--
69.	कामधेनु महिला स्व. सहा. समूह गोबरसिंघा	1	गोबरसिंघा	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70.	सरस्वती महिला स्व. सहा. समूह कान्दुरपाली	1	कान्दुरपाली	--
71.	भारती महिला स्व. सहा. समूह कंचनपुर	1	कंचनपुर	--
72.	भारती महिला स्व. सहा. समूह तरेकेला	1	तरेकेला	--
73.	आरती महिला स्व. सहा. समूह देवगांव	1	देवगांव	--
74.	रामवती महिला स्व. सहा. समूह अमेरी	1	अमेरी	--
75.	हेमा महिला स्व. सहा. समूह बोरे	1	बोरे	--
76.	दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह खोरीगांव	1	खोरीगांव	--
77.	दानलक्ष्मी महिला स्व. सहा. समूह हिरी	1	हिरी	--
78.	लक्ष्मी महिला स्व. सहा. समूह तौंसीर	1	तौंसीर	--
79.	मां भारती महिला स्व. सहा. समूह सेमीकोट	1	सेमीकोट	--
80.	समलेश्वरी महिला स्व. सहा. समूह बैगिनडीह	1	बैगिनडीह	--
81.	मधूमूस्कान महिला स्व. सहा. समूह हट्टापाली	1	हट्टापाली	--
82.	बुढ़ीमाई महिला स्व. सहा. समूह जोगनीपाली	1	जोगनीपाली	--
83.	पार्वती महिला स्व. सहा. समूह बिरनीपाली	1	बिरनीपाली	--
84.	सारंग महिला स्व. सहा. समूह सारंगढ़	1	सारंगढ़	--
85.	भाग्य लक्ष्मी महिला स्व. सहा. समूह सारंगढ़	1	सारंगढ़	--
86.	शलू महिला स्व. सहा. समूह सारंगढ़	1	सारंगढ़	--
<b>योग :-</b>		<b>85</b>		

## परिशिष्ट “सोलह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क. 322) के भाग (क) की जानकारी ]

**दिनांक 01-04-2010 से 31-03-2012 की अवधि में सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उसना राईस मिलों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण संबंधी जानकारी**

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम एवं पता (2)	निरीक्षण दिनांक (3)
1.	मेसर्स किसान राईस मिल, ग्राम-बरमकेला, जिला-रायगढ़	10-10-2011
2.	मेसर्स मां सम्लेश्वरी राईस मिल, ग्राम-रानीसागर, जिला-रायगढ़	19-10-2011
3.	मेसर्स विजय परबॉयलिंग यूनिट, ग्राम-बरमकेला, जिला-रायगढ़	10-10-2011
4.	मेसर्स गणेश राईस मिल, सारंगढ़, जिला-रायगढ़	19-10-2011
5.	मेसर्स किसान राईस मिल, सारंगढ़, जिला-रायगढ़	19-10-2011

## परिशिष्ट “सत्रह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 356) के भाग (ख) की जानकारी ]

## चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	उचित मूल्य दुकान का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दरभा	छिन्दावाड़ा	महिला स्व. सहायता समूह छिन्दावाड़ा.	उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को हटाने के संबंध में.	उचित मूल्य दुकान निरस्त किया गया.
		केलाउर	सहकारी समिति केलाउर.	चावल वितरण में अनियमितता.	उचित मूल्य दुकान निलंबित की गई है.
		इड़जेपाल	ग्राम पंचायत इड़जेपाल.	राशन वितरण में अनियमितता.	उचित मूल्य दुकान संचालक को अर्थदण्ड 500/- आरोपित.
		ढोडरेपाल	ग्राम पंचायत ढोडरेपाल.	कॉल सेन्टर में प्राप्त शिकायत 300 ग्राम शक्कर कम देने के संबंध में.	शिकायत सही नहीं पाया गया.
2.	बास्तानार	साडराबोदेनार	ग्राम पंचायत साडराबोदेनार.	राशन वितरण में अनियमितता.	शिकायत सही नहीं पाया गया.
		छोटेकिलेपाल	ग्राम पंचायत छोटेकिलेपाल.	राशन वितरण में अनियमितता.	शिकायत सही नहीं पाया गया.
		इरपा	प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार इरपा.	राशन वितरण में अनियमितता.	शिकायत सही नहीं पाया गया.
		कोड़ेनार	ग्राम पंचायत कोड़ेनार.	कॉल सेन्टर में प्राप्त शिकायत राशन वितरण में अनियमितता.	शिकायत सही नहीं पाया गया.

## परिशिष्ट “अटूठारह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 438) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## रायगढ़ जिले में संचालित दाल-भात केन्द्रों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्थान	प्रारंभ होने की अवधि	संस्था का नाम	15-06-2012 की स्थिति में बंद है या चालू	प्रतिदिन औसतन भोजन करने वालों की संख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायगढ़	जिला चिकित्सालय, रायगढ़.	फरवरी 2004 से	रेडक्रास सोसायटी, रायगढ़.	चालू	50-60	-
2.	पुसौर	बस स्टैण्ड, पुसौर	फरवरी 2004 से	हीरालाल गुप्ता	चालू	30-40	-
3.	पुसौर	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, पुसौर.	फरवरी 2004 से	रोगी कल्याण समिति	चालू	170-180	-
4.	सारंगढ़	बस स्टैण्ड, सारंगढ़	फरवरी 2004 से	दुर्गा महिला स्व. सहा. समूह	चालू	70-80	-
5.	सारंगढ़	तहसील कार्यालय, सारंगढ़.	फरवरी 2004 से	मानव संस्था सेवा सारंगढ़	चालू	45-55	-
6.	खरसिया	मदनपुर	फरवरी 2004 से	दिव्या महिला स्व. सहा. समूह	चालू	70-80	-
7.	घरघोड़ा	जनपद कार्यालय, घरघोड़ा.	फरवरी 2004 से	महिला स्व. सहा. समूह	चालू	80-90	-
8.	लैलूंगा	लैलूंगा	फरवरी 2004 से	गजेन्द्र सिंह	अगस्त 2007 से बंद.	-	-
9.	धरमजयगढ़	बस स्टैण्ड, धरमजयगढ़.	फरवरी 2004 से	महिला एकता स्व. सहा. समूह	नवम्बर 2009 से बंद.	-	-
10.	रायगढ़	बस स्टैण्ड, रायगढ़	फरवरी 2004 से	जय दुर्गा महिला मण्डल	नवम्बर 2009 से बंद.	-	-
11.	बरमकेला	बरमकेला	फरवरी 2004 से	रोगी कल्याण समिति	जुलाई 2010 से बंद.	-	-
12.	रायगढ़	कलेक्टोरेट रायगढ़	फरवरी 2004 से	सर्वभोग दालभात केन्द्र	अप्रैल 2010 से बंद.	-	-
13.	रायगढ़	पंचमुखी हनुमान मंदिर, बूजीभवन के सामने रायगढ़.	अक्टूबर 2009 से	पंचमुखी हनुमान सेवा मंदिर	चालू	75-100	नवीन केन्द्र

## परिशिष्ट "उन्नीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 439) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## दिनांक 04-07-2012 की स्थिति में

(मात्रा टन में)

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2011-12 में धान खरीदी की मात्रा	संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिल्लों का प्रदाय धान	दिनांक 15-06-2012 स्थिति में संग्रहण केन्द्र में शेष धान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	464513	444964	33136
2.	बलौदाबाजार	405896	122717	42454
3.	गरियाबंद	180966	0	0
4.	धमतरी	350250	107062	6313
5.	महासमुंद	511750	105287	2546
6.	दुर्ग	307593	214761	25591
7.	बालोद	379523	144825	12983
8.	बेमेतरा	327088	38458	16435
9.	राजनांदगांव	393168	208769	89097
10.	कवर्धा	152764	28342	452
11.	बिलासपुर	352693	105733	142459
12.	मुंगेली	201471	24884	53897
13.	चांपा	780140	136346	184761
14.	कोरबा	92202	19925	26815
15.	रायगढ़	430283	83483	61361
16.	सरगुजा	121104	22796	67611
17.	सूरजपुर	102835	16816	24021
18.	बलरामपुर	94368	0	0
19.	कोरिया	51095	0	0
20.	जशपुर	44883	18650	16372
21.	बस्तर	62397	3664	57
22.	कोण्डागांव	18180	0	0
23.	नारायणपुर	2554	0	0
24.	कांकेर	126924	64222	1225
25.	दंतेवाड़ा	4244	4158	68
26.	सुकमा	7465	0	0
27.	बीजापुर	6609	0	0

## परिशिष्ट "बीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 494) के भाग (ख) की जानकारी ]

## दुर्ग जिले में उचित मूल्य दुकानों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुर्ग	03	149
2.	धमधा	15	24
3.	पाटन	20	61

## परिशिष्ट “इक्कीस”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क. 624) के भाग (ख) की जानकारी ]

क.	माह	जिला	राशन सामग्री (मात्रा टन/किलोलीटर में)				मिट्टी तेल (समस्त कार्डधारियों हेतु)
			खाद्यान्न			एपीएल खाद्यान्न सफेद कार्डधारियों हेतु	
			अन्त्योदय चावल	बीपीएल खाद्यान्न	एपीएल खाद्यान्न एमकेएसवाई हेतु		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अप्रैल, 2012	रायपुर	1046.78	2153.85	2160.00	0.00	888.00
		बलौदाबाजार	819.42	2387.33	1810.00	0.00	780.00
		कवर्धा	899.19	1587.45	1050.00	0.00	492.00
2.	मई, 2012	रायपुर	1059.87	2159.85	2263.42	0.00	900.00
		बलौदाबाजार	819.46	2387.33	1698.53	0.00	780.00
		कवर्धा	900.17	1587.45	896.50	0.00	492.00
3.	जून, 2012	रायपुर	1103.34	2495.92	2820.74	1628.00	888.00
		बलौदाबाजार	856.42	2387.33	1898.21	981.00	828.00
		कवर्धा	1025.15	1587.45	1426.56	239.00	516.00

## परिशिष्ट “बाईस”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 633) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## कलैण्डर वर्ष 2011-12 की धान खरीदी, मिलिंग एवं शेष की जानकारी

(मात्रा मे. टन में)

क्र.	जिला	कलैण्डर वर्ष 2011 में धान खरीदी की मात्रा (1 जनवरी 2011-31 दिसंबर 2011 तक)	कलैण्डर वर्ष 2012 में धान खरीदी की मात्रा (1 जनवरी 2012-30 जून 2012 तक)	कलैण्डर वर्ष 2011 में कस्टम मिलिंग की मात्रा (1 जनवरी 2011-31 दिसंबर 2011 तक)	कलैण्डर वर्ष 2012 में कस्टम मिलिंग की मात्रा (1 जनवरी 2012-20 जून 2012 तक)	कलैण्डर वर्ष 2011 में शेष धान की मात्रा (1 जनवरी 2011-31 दिसंबर 2011 तक)	कलैण्डर वर्ष 2012 में शेष धान की मात्रा (1 जनवरी 2012-20 जून 2012 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कवर्धा	141582	72585	49189	64035	0	452
2.	कांकेर	146135	37152	108836	104094	0	1249
3.	कोरबा	92846	51563	103113	72027	0	25493
4.	कोरिया	39868	29364	31955	36367	0	0
5.	जशपुर	43087	22861	65687	47006	0	14885
6.	जांजगीर	782932	474364	577288	398990	0	178540
7.	दंतेवाड़ा	24440	8789	23202	14237	0	68
8.	बीजापुर	978	5631	527	0	0	0
9.	दुर्ग	1134306	306332	600673	634450	0	45782
10.	धमतरी	443419	45763	314828	273238	0	5443
11.	बस्तर	113250	55033	124635	63341	0	57
12.	नारायणपुर	930	1624	3348	2127	0	0
13.	बिलासपुर	519550	302755	465725	393843	0	191392
14.	महासमुंद	634409	103601	409228	279858	0	2546
15.	राजनांदगांव	428533	121798	290221	246675	0	79451
16.	रायगढ़	459855	187388	380265	301998	0	57683
17.	रायपुर	1291779	298730	922057	807783	0	64065
18.	सर्गुजा	255908	179883	172876	164356	0	88791
	<b>योग :-</b>	<b>6553806</b>	<b>2305215</b>	<b>4643651</b>	<b>3904426</b>	<b>0</b>	<b>755897</b>

## अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

## परिशिष्ट “तेईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 69) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

## प्रपत्र “अ”

## छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर

क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	कुल भवनों की संख्या	योजना की राशि (लाख रु. में)
1.	रायपुर	1.	न. पं. आरंग	935	1402.5
2.	महासमुन्द	2.	न. पं. सराईपाली	224	273.28
		3.	न. पं. बसना	262	408.72
3.	बेमेतरा	4.	न. पा. बेमेतरा	270	135.00
4.	दुर्ग	5.	न. नि. दुर्ग	129	64.5
		6.	न. पं. पाटन	235	117.5
5.	राजनांदगांव	7.	न. नि. राजनांदगांव	395	407.64
6.	जांजगीर-चांपा	8.	न. पा. जांजगीर	100	110.00
7.	रायगढ़	9.	न. पं. पुसौर	127	139.70
		10.	न. पं. घरघोड़ा	179	196.90
		11.	न. पं. धरमजयगढ़	127	139.70
8.	जशपुर	12.	न. पा. बगीचा	50	55.00
9.	बस्तर	13.	न. नि. जगदलपुर	33	36.30
10.	कोंडागांव	14.	न. पा. कोंडागांव	17	18.70
कुल				3083	3505.44

नगरीय निकायों में अटल आवास योजना के तहत गरीबों के लिये आवास निर्माण कार्य की स्वीकृति की जानकारी जिलेवार निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	नगरीय निकाय का नाम	स्वीकृत आवास संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	रायपुर	न. नि. रायपुर	500	300.00
2.		न. पा. तिलदानेवरा	100	60.00
3.		न. पा. बीरगांव	100	60.00
4.	रायगढ़	न. नि. रायगढ़	100	60.00
5.		न. पा. खरसिया	100	60.00
6.	दुर्ग	न. नि. दुर्ग	300	180.00
7.		न. नि. भिलाई	300	180.00
8.		न. पा. भिलाईचरौदा	100	60.00
9.		न. पा. जामुल	100	60.00
10.		न. पा. कुम्हारी	100	60.00
11.	बिलासपुर	न. नि. बिलासपुर	400	240.00
12.	सरगुजा	न. नि. अंबिकापुर	100	60.00
13.	कोरबा	न. नि. कोरबा	400	240.00
14.	कोरिया	न. नि. चिरमिरी	100	60.00
15.		न. पा. मनेन्द्रगढ़	100	60.00
16.	बस्तर	न. नि. जगदलपुर	100	60.00
17.	राजनांदगांव	न. नि. राजनांदगांव	200	120.00
18.		न. पा. डोंगरगढ़	100	60.00
19.		न. पं. डोंगरगांव	100	60.00
20.	धमतरी	न. पा. धमतरी	100	60.00
21.		न. पं. कुरूद	100	60.00
22.	बलौदाबाजार	न. पा. बलौदाबाजार	100	60.00
23.		न. पा. भाटापारा	100	60.00
24.	मुंगेली	न. पा. मुंगेली	33	19.80
25.	जशपुर	न. पा. जशपुर	100	60.00
26.	कबीरधाम	न. पा. कवर्धा	100	60.00
27.	कांकेर	न. पा. कांकेर	100	60.00
28.	जांजगीर-चांपा	न. पा. जांजगीर	100	60.00
29.	कोंडागांव	न. पा. कोंडागांव	100	60.00

## प्रपत्र “ब”

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृत आवास संख्या	उपलब्ध कराये गये आवासों की संख्या
1.	रायपुर	3038	2103
2.	महासमुंद	486	486
3.	बेमेतरा	270	270
4.	दुर्ग	364	364
5.	राजनंदगांव	1390	238
6.	कबीरधाम	101	0
7.	बिलासपुर	729	707
8.	मुंगेली	320	295
9.	कोरिया	94	89
10.	कोरबा	125	124
11.	जांजगीर-चांपा	100	97
12.	रायगढ़	685	685
13.	जशपुर	70	70
14.	बस्तर	33	27
15.	कांकेर	192	157
16.	नारायणपुर	200	200
17.	दंतेवाड़ा	140	136
18.	बीजापुर	200	125
19.	कोंडगांव	17	17
	कुल	8,554	6,190

प्रदेश के नगरीय निकायों में आवासहीन गरीब परिवारों को अटल आवास योजना के तहत उपलब्ध कराये गये आवासों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	नगरीय निकाय का नाम	स्वीकृत आवास संख्या	उपलब्ध कराये गये आवासों की संख्या
1.	रायपुर	न. नि. रायपुर	500	0
2.		न. पा. तिल्दानेवरा	100	0
3.		न. पा. बीरगांव	100	0
4.	रायगढ़	न. नि. रायगढ़	100	75
5.		न. पा. खरसिया	100	59
6.	दुर्ग	न. नि. दुर्ग	300	155
7.		न. नि. भिलाई	300	256
8.		न. पा. भिलाईचरौदा	100	89
9.		न. पा. जामुल	100	0
10.		न. पा. कुम्हारी	100	99
11.	बिलासपुर	न. नि. बिलासपुर	400	399
12.	सरगुजा	न. नि. अंबिकापुर	100	96
13.	कोरबा	न. नि. कोरबा	400	400
14.	कोरिया	न. नि. चिरमिरी	100	06
15.		न. पा. मनेन्द्रगढ़	100	85
16.	बस्तर	न. नि. जगदलपुर	100	100
17.	राजनांदगांव	न. नि. राजनांदगांव	200	199
18.		न. पा. डोंगरगढ़	100	34
19.		न. पं. डोंगरगांव	100	86
20.	धमतरी	न. पा. धमतरी	100	157
21.		न. पं. कुरूद	100	100
22.	बलीदाबाजार	न. पा. बलीदाबाजार	100	70
23.		न. पा. भाटापारा	100	48
24.	मुंगेली	न. पा. मुंगेली	33	0
25.	जशपुर	न. पा. जशपुर	100	50
26.	कबीरधाम	न. पा. कवर्धा	100	100
27.	कांकेर	न. पा. कांकेर	100	77
28.	जांजगीर-चांपा	न. पा. जांजगीर	100	100
29.	कौंडागांव	न. पा. कौंडागांव	100	100
<b>योग</b>			<b>4333</b>	<b>2940</b>

परिशिष्ट “चौबीस”  
[अतारंकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 70) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

## प्रपत्र “अ”

मात्रा टन में

क्रमांक	जिले का नाम	उपार्जित धान की मात्रा
1.	रायपुर	149
2.	बलौदा बाजार	0
3.	गरियाबंद	0
4.	धमतरी	389
5.	महासमुंद	314
6.	दुर्ग	60
7.	बालोद	111
8.	बेमेतरा	0
9.	राजनांदगांव	0
10.	कवर्धा	0
11.	बिलासपुर	476
12.	मुंगेली	10
13.	जांजगीर-चांपा	257
14.	कोरबा	4
15.	रायगढ़	182
16.	सरगुजा	0
17.	सुरजपूर	0
18.	बलरामपुर	0
19.	कोरिया	0
20.	जशपुर	0
21.	बस्तर	309
22.	कोंडागांव	0
23.	नारायणपुर (बस्तर)	0
24.	कांकेर	44
25.	दन्तेवाड़ा	0
26.	सुकमा	0
27.	बीजापुर (दन्तेवाड़ा)	0
	कुल योग	2305

## प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	दिनांक 30-06-2012 की स्थिति में संग्रहण केन्द्र में शेष धान की मात्रा (टनमें)
1.	रायपुर	13079
2.	बलौदा बाजार	24442
3.	धमतरी	320
4.	दुर्ग	4020
5.	बालोद	2160
6.	बेमेतरा	14760
7.	राजनांदगांव	49312
8.	बिलासपुर	129040
9.	मुंगेली	38803
10.	जांजगीर-चांपा	169028
11.	कोरबा	23272
12.	रायगढ़	76618
13.	सरगुजा	51054
14.	जशपुर	12924
	कुल योग	608832

## परिशिष्ट “पच्चीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 142) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

## प्रपत्र “अ”

क्रमांक	जिला	केप कव्हर की संख्या
1.	रायपुर	4000
2.	धमतरी	1498
3.	महासमुंद	1000
4.	दुर्ग	2200
5.	राजनांदगांव	1398
6.	कवर्धा	300
7.	बिलासपुर	1600
8.	जांजगीर	1500
9.	कोरबा	60
10.	रायगढ़	480
11.	जशपुर	60
12.	बस्तर	400
13.	कांकेर	400
14.	दन्तेवाड़ा	100
कुल योग		14996

## प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	दिनांक 30-06-2012 की स्थिति में संग्रहण केन्द्र में शेष धान की मात्रा (टनमें)
1.	रायपुर	13079
2.	बलौदा बाजार	24442
3.	धमतरी	320
4.	दुर्ग	4020
5.	बालोद	2160
6.	बेमेतरा	14760
7.	राजनांदगांव	49312
8.	बिलासपुर	129040
9.	मुंगेली	38803
10.	जांजगीर-चांपा	169028
11.	कोरबा	23272
12.	रायगढ़	76618
13.	सरगुजा	51054
14.	जशपुर	12924
	कुल योग	608832

## परिशिष्ट “छब्बीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 244) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

## प्रपत्र “अ”

## (1) जांच चौकी-

क्रमांक	परिवहन चेकपोस्ट (बैरियर)	जिले का नाम जहां स्थित है	राज्य की सीमा
1.	पाटेकोहरा	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र
2.	छोटा मानपुर	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़-मध्य-प्रदेश
3.	मानपुर	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र
4.	चिल्फी	कबीरधाम	छत्तीसगढ़-मध्य-प्रदेश
5.	खम्हारपाली	महासमुंद	छत्तीसगढ़-उडीसा
6.	बागबाहरा	महासमुंद	छत्तीसगढ़-उडीसा
7.	केंवची	बिलासपुर	छत्तीसगढ़-मध्य-प्रदेश
8.	धनवार (वाड्डूफनगर)	बलरामपुर	छत्तीसगढ़-मध्य-प्रदेश
9.	रामानुजगंज	बलरामपुर	छत्तीसगढ़-झारखण्ड
10.	घुटरीटोला	कोरिया	छत्तीसगढ़-मध्य-प्रदेश
11.	चांटी	कोरिया	छत्तीसगढ़-मध्य-प्रदेश
12.	रेंगारपाली	रायगढ़	छत्तीसगढ़-उडीसा
13.	शंख	जशपुर नगर	छत्तीसगढ़-झारखण्ड
14.	कोन्टा	सुकमा	छत्तीसगढ़-आन्ध्र-प्रदेश
15.	धनपूंजी	जगदलपुर	छत्तीसगढ़-उडीसा

## (2) उप जांच चौकी-

1. लवाकेरा उप जांच चौकी, (परिवहन चेकपोस्ट शंख के अधीन संचालित होता है).
2. कंटगपाली (बरमकेला) उप जांच चौकी, (परिवहन चेकपोस्ट रेंगारपाली के अधीन संचालित होता है).

## प्रपत्र "ब"

## चेक पोस्ट से प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी

क्रमांक	परिवहन चेकपोस्ट का नाम	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13 (31 मई, 2012 तक)
1.	पाटेकोहरा	24,64,68,536/-	28,30,92,326/-	34,38,55,777/-	6,55,27,792/-
2.	छोटा मानपुर	14,69,840/-	16,83,925/-	19,97,256/-	4,15,826/-
3.	मानपुर	42,83,960/-	97,80,775/-	1,26,85,396/-	16,76,622/-
4.	चित्फी	3,68,07,490/-	4,05,30,395/-	4,02,03,485/-	75,22,982/-
5.	खम्हारपाली	12,64,22,418/-	14,09,90,722/-	14,86,87,312/-	2,82,82,941/-
6.	बागबाहरा	53,12,725/-	62,24,575/-	88,03,042/-	14,57,243/-
7.	कैवची	81,16,237/-	94,03,648/-	1,00,41,280/-	19,13,336/-
8.	धनवार (वाड्डफनगर)	3,21,98,408/-	3,93,17,109/-	4,06,71,339/-	78,86,960/-
9.	रामानुजगंज	75,16,375/-	1,03,95,001/-	1,10,99,335/-	20,91,735/-
10.	घुट्टीटोला	26,33,895/-	29,35,750/-	26,50,200/-	5,13,648/-
11.	चांटी	5,34,157/-	6,80,169/-	7,07,019/-	1,52,272/-
12.	रेंगारपाली	1,76,09,471/-	1,83,25,554/-	2,05,42,660/-	49,05,875/-
13.	शंख	4,04,56,835/-	4,23,96,754/-	5,06,37,255/-	89,69,266/-
14.	कोन्टा	99,44,250/-	71,92,160/-	72,11,455/-	14,76,620/-
15.	धनपूंजी	89,85,686/-	1,00,27,491/-	1,53,27,870/-	32,98,316/-
16.	कटंगपाली (उप जांच चौकी)	17,56,614/-	18,46,130/-	23,44,740/-	3,92,710/-
17.	लवाकेरा (उप जांच चौकी)	28,38,808/-	35,13,754/-	33,71,750/-	5,11,320/-
	योग	55,33,55,705/-	62,83,36,238/-	72,08,37,171/-	13,69,95,464/-

## परिशिष्ट “सत्ताईस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 245) की जानकारी]

## जिला-जांजगीर-चांपा

क्र. (1)	उद्योग का नाम व पता (2)	स्थानीय निवासी (3)
1.	मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमि. ग्राम-गोपालपुर, तह.-अकलतरा	272
2.	मेसर्स मध्यभातर पेपर्स लिमि. ग्राम-बिरगहनी, वि.खं. बलौदा, पो. चांपा	387
3.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि. ग्राम-हथनेवरा, तह. चांपा	1322
4.	मेसर्स अरसामेटा कैप्टिव पावर कंपनी प्रा. लि., ग्राम-गांदाडीह पो. गोपालपुर, तह.-अकलतरा.	118
5.	मेसर्स के.व्ही. बायो एनर्जी पावर लिमि. ग्राम-अमरताल तह.-अकलतरा	07
6.	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमि., ग्राम-अमझर तह. चांपा	51
7.	मेसर्स श्री श्याम बेयर हाउसिंग एण्ड पावर प्रा. लिमि. ग्राम-बनारी, तह.-जांजगीर	60
		योग 2217

## जिला-कोरवा

क्र. (1)	उद्योग का नाम व पता (2)	स्थानीय निवासी (3)
1.	मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमि. बालको नगर, कोरवा	3615
2.	मेसर्स आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्रा. लिमि. चाकाबूड़ा	195
3.	मेसर्स लैको अमरकंटक पावर प्रा. लिमि. ग्राम पताड़ी	373
4.	मेसर्स के.जे.एस.एल. कोल एण्ड पावर प्रा.लिमि. ग्राम-धतुरापाली	65
5.	मेसर्स हिमाड्री केमिकल्स एण्ड एण्डस्ट्रीज लिमि.	16
		योग 4264

## जिला-रायगढ़

क्र. (1)	उद्योग का नाम व पता (2)	स्थानीय निवासी (3)
1.	नलवा स्टील एण्ड पावर लि. तरईमाल, रायगढ़	410
2.	जिंदल पावर लि. तमनार, रायगढ़	1307
3.	जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. डोगामहुआ, रायगढ़	2625

(1)	(2)	(3)
4.	शालासर स्पंज एण्ड पावर लि., गेरवानी, रायगढ़	78
5.	अंजनी स्टील्स लि. उज्वलपुर, रायगढ़	19
6.	गंगा स्पात, पूंजीपथरा, रायगढ़	17
7.	स्केनिया स्टील्स लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	59
8.	आलोक इस्पात प्रा. लि., पूंजीपथरा, रायगढ़	09
9.	श्रीराम हाईटेक प्रा. लि., पूंजीपथरा, रायगढ़	05
10.	मेको स्टील, सरायपाली, रायगढ़	109
11.	मां महामाया रोलिंग मिल प्रा. लि. देलारी, रायगढ़	34
12.	एन.आर. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, गौरमुड़ी, रायगढ़	40
13.	नव दुर्गा फ्यूल्स प्रा.लि. सरायपाली, रायगढ़	66
14.	सिंघल इंटरप्राइजेस प्रा.लि. तराईमाल, रायगढ़	360
15.	बी.एस. स्पंज प्रा.लि. तराईमाल, रायगढ़	58
16.	एपिक एलाईड स्टील प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	34
17.	मां बंजारी इस्पात प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	20
18.	श्रीनिर्मलानंद स्टी कास्टिंड प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	24
19.	अजय एंगट रोलिंग मिल प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	33
20.	हर्ष विनिमय प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	14
21.	जिओन स्टील्स प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	39
22.	श्रीबाला इस्पात, पूंजीपथरा, रायगढ़	33
23.	श्रीरूपनाधाम स्टील प्रा. लि. रायगढ़	20
24.	मां काली एलायड, चिरईपानी, रायगढ़	17
25.	श्याम इस्पात इंडिया प्रा.लि. तराईमाल, रायगढ़	65
26.	श्रीअंबिका इस्पात इंडिया प्रा.लि. तराईमाल, रायगढ़	86
27.	ओरियंट फेरा एलायज, पूंजीपथरा, रायगढ़	42
28.	बांके बिहारी इस्पात प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	18
29.	नर्मदा आयरन एंड स्टील प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	22
30.	सूर्योदय स्टील प्लांट प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	6
31.	श्री सांईराम स्टील प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	11
32.	ममता इलेक्ट्रो कास्टिंग प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	23
33.	व्ही.ए. पावर एंड स्टील प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	20
34.	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड नहरपाली, रायगढ़	1058
35.	एम.एस.पी. स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव, रायगढ़	155

(1)	(2)	(3)
36.	एम.एस.पी. स्पंजी आयरन लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	62
37.	तिरूमाला बालाजी एलायड प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	23
38.	रजत इस्पात प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	18
39.	जिंदल स्टील एंड प्रालि. यूनिट-1, 2 एवं 3 रायगढ़	5645
40.	मां शकांबरी स्टील प्रा.लि. संबलपुरी, रायगढ़	155
41.	जी.पी. ग्लोबल इंडस्ट्रीज प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	23
42.	रायगढ़ साल्वेंट एक्सटेंशन प्रा.लि. सहदेवपाली, रायगढ़	39
43.	श्री केमर्रेंजीस लिमिटेड, दरामुढ़ा, रायगढ़	26
44.	आर.आर. एनर्जी, गढ़ उमरिया, रायगढ़	131
45.	कृष्णा साल्वेंट छातामुढ़ा, रायगढ़	27
46.	शिक्षित स्टील प्रा.लि. चुनचुना, रायगढ़	56
47.	रायगढ़ इस्पात बेलारी, रायगढ़	86
48.	यूरिका स्टील्स प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	38
49.	सेलोनो स्टील्स प्रा.लि. तराईमाल, रायगढ़	60
50.	झारदा गैस, गेरवानी, रायगढ़	06
51.	रूखमणी पावर स्टील लि. कुनकुनी, रायगढ़	47
52.	महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन, भेंगारी, रायगढ़	71
53.	रामेश्वर स्टील एण्ड पावर लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	180
54.	आर.एस. इस्पात प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	46
55.	मे. जगदंबा स्पंजी प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	11
56.	मे. सतगुरू इस्पात प्रा.लि. पूंजीपथरा, रायगढ़	12
57.	रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज लि., पूंजीपथरा, रायगढ़	11
		13762

## परिशिष्ट “अट्‌डाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 282) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2011-12 में बनाए गए धान संग्रहण केन्द्रों की जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	संग्रहण केन्द्र का नाम (3)
1.	कवर्धा	बाजार चारभाठा
2.	कोंकेर	कोंकेर
3.		भानुप्रतापपुर (गोदाम)
4.		लखनपुरी
5.	कोंडागांव	कोंडागांव
6.	कोरबा	डोंगरीभाठा (उरगा)
7.	जशपुर	पत्थलगांव
8.	जांजगीर-चाम्पा	कृषि उपज मंडी प्रांगण, चाम्पा
9.		बोडासागर
10.		मंडी प्रांगण सक्ती
11.		मनोहरभांठा जांजगीर
12.		मिल प्रांगण जांजगीर
13.		शा. भूमि अकलतरा
14.		शा. भूमि डभरा
15.	दन्तेवाड़ा	गीदम
16.	दुर्ग	करंजा (भिलाई)
17.		कौडिया
18.		जेवरा-सिरसा
19.		सेलूद फड
20.	धमतरी	चिटौद
21.		नगरी सिहावा
22.		भखारा
23.		भाठागांव (कुरुद)
24.		भोयना
25.	बेमेतरा	बीजाभाठा ए+बी
26.	बलौदाबाजार	कसडोल
27.		बलौदा बाजार
28.		भटगांव
29.		भाटापारा
30.	बस्तर	जगदलपुर

(1)	(2)	(3)
31.	बालोद	जगतरा फड
32.		फुण्डाभाठा
33.		मालीघोरी
34.	बिलासपुर	पेन्द्रोरोड
35.		बिल्हा
36.		भरनीभाठा
37.		मस्तुरी
38.		मोपका
39.		सेमरताल
40.	मुंगेली	मुंगेली
41.		लोरमी
42.	महासमुंद	पिथौरा
43.		बसना
44.		बागबाहरा
45.		महासमुंद
46.		सरायपाली
47.	रजनांदगांव	ठेलकाडीह
48.		तिलई
49.		नागरकोहरा (तुमडीबोड़)
50.		बांधाबाजार
51.		मदुराकुही
52.		सिंघोला
53.	रायगढ़	खरसिया
54.		बरमकेला
55.		मेडिकल का ग्रा. लोहरसिंग
56.		हरदी
57.	रायपुर	अभनपुर
58.		खरोरा
59.		जौदा (राजिम)
60.		तिल्दा
61.		धरसीवा
62.		लखौली ए+बी
63.	सरगुजा	अम्बिकापुर
64.		सीतापुर
65.	सुरजपूर	सुरजपूर

## परिशिष्ट “उन्तीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 314) के भाग (क) की जानकारी]

मात्रा टन में

क्र.	जिला	दिनांक 22-06-2012 की स्थिति में कस्टम मिलिंग	दिनांक 22-06-2012 स्थिति में संग्रहण केन्द्र में शेष धान
1.	रायपुर	692201	23989
2.	बलौदा बाजार	291937	37068
3.	गरियाबंद	74551	0
4.	धमतरी	452873	5352
5.	महासमुंद	424513	2546
6.	दुर्ग	360662	17333
7.	बालोद	288907	9254
8.	बेमेतरा	133188	15718
9.	राजनांदगांव	297071	74102
10.	कवर्धा	75014	452
11.	बिलासपुर	389513	137298
12.	मुंगेली	141524	52712
13.	जांजगीर-चांपा	485287	175253
14.	कोरबा	100102	25216
15.	रायगढ़	401703	56756
16.	सरगुजा	98736	65003
17.	सुरजपूर	81356	21421
18.	बलरामपुर	24740	0
19.	कोरिया	47397	0
20.	जशपुर	60950	14577
21.	बस्तर	66001	57
22.	कोंडगांव	18144	0
23.	नारायणपुर	2554	0
24.	कांकेर	124924	1249
25.	दन्तेवाड़ा	7038	68
26.	सुकमा	7360	0
27.	बीजापुर	0	0

परिशिष्ट “तीस”  
[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 315) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	औद्योगिक संस्थान का नाम	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 एवं दिनांक 22-06-2012 तक कराये गये कार्यों पर व्यय की गयी राशि रुपये में
(1)	(2)	(3)
1.	मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड पतरापाली	747200000
2.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड तमनार	74875000
3.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड तमनार (कोल माईन्स)	99830000
4.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड नहरपाली	86843587
5.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड मिल्पारा	110287049
6.	मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, डूमरपाली (देवरी)	49166000
7.	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड	41302408
8.	मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड,	43000
9.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	5635000
10.	मेसर्स श्याम इस्पात प्रा.लि. तराईमाल	2590000
11.	मेसर्स सिंगल इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड तराईमाल	2695000
12.	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्रा. लिमिटेड	225000
13.	मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड	1567175
14.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. रायगढ़	10612000
15.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. छाल	
16.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लारा	3050349
17.	मेसर्स गोवा इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	32252359
18.	मेसर्स जे.एस. डब्ल्यू. इनर्जी लिमिटेड	1211549
19.	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिरिल्स लिमिटेड	21602099
20.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	47216500
21.	मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लिमिटेड ग्राम तराईमाल	2100000
22.	मेसर्स गोदावरी इनर्जी लिमिटेड ग्राम बोजिया	7730482
23.	मेसर्स जायसवाल निको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	32365046

(1)	(2)	(3)
24.	मेसर्स फतेहपुर ईस्ट कोल प्राइवेट लिमिटेड,	467000
25.	मे. नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड तराईमाल	5800116
26.	मेसर्स कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड	128300000
27.	मेसर्स आर.आर. इनर्जी लिमिटेड, ग्राम गढ़उमरिया	2600000
28.	मेसर्स स्काय एलायज एण्ड पावर प्रा. लिमिटेड टेमटेमा	6500000
29.	मेसर्स अंजनी स्टील प्रा. लिमिटेड ग्राम उज्जवलपुर	2824435
30.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड-ग्राम देलारी	2480000
31.	मेसर्स अंबिका इस्पात प्रा. लिमिटेड- ग्राम तराईमाल	1998000
32.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पावर लिमिटेड गेरवानी	8504200
33.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल्स प्रा. लिमिटेड- ग्राम सराईपाली	2750000
34.	मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पावर प्रा. लिमिटेड गैरमुड़ी	1200000
35.	मेसर्स सेलेनो स्टील्स लिमिटेड- ग्राम तराईमाल	626000
36.	मेसर्स रायगढ़ आयरन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पूंजीपथरा	2043000
37.	मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पावर लिमिटेड पूंजीपथरा	900000
कुल राशि :-		1547392354

## परिशिष्ट “ईक्तीस”

[अतारकित प्रस्न संख्या 15 (क्र. 341) के भाग (ख) की जानकारी]

विनांक 01-04-2007 से 21-06-2012 तक स्थापित उद्योगों में से जिन उद्योगों को प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.एस.आर. संबंधी शर्त निहित की गई है, उन उद्योगों द्वारा प्रस्ताधीन अवधि में किये गये सी.एस.आर. कार्यों में व्यय बाबत जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.एस.आर. संबंधी निर्दिष्ट राशि का विवरण	व्यय का वर्ष	किये गये प्रमुख कार्य	स्थल	किया गया व्यय (लाख रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	मेसर्स आमगांव ओपन कास्ट मार्इन, एस.ई.सी. एल. विश्रामपुर क्षेत्र	3 करोड़ रुपये वार्षिक अथवा नेटअर्निंग का 2.5 प्रतिशत, जो अधिक हो।	2007-08	पी.सी.सी. रोड का निर्माण कार्य, ग्राम-गेतरा में चारदिवारी का निर्माण कार्य, ग्राम-मानी (लाईनपारा) हैण्ड पंप का सुधार कार्य, रेहर-गायत्री परियोजना के आसपास।	गेतरा मानी - गंगीकोट, बलरामपुर करमपुर	5.13 1.99 0.24
		टीप:-मेसर्स एस.ई.सी.एल. द्वारा सी.एस.आर. गतिविधि हेतु प्रत्येक खदान के लिये पृथक-पृथक राशि व्यय न कर क्षेत्रवार राशि व्यय की जाती है।		हैण्ड पंप का सुधार कार्य	गंगीकोट, बलरामपुर	0.43
				10 नग हैण्ड पंप सुधार कार्य	करमपुर	0.43
				10 नग हैण्ड पंप सुधार कार्य, विश्रामपुर औसीएम के आसपास।	-	0.27
				03 नग हैण्ड पंप का कार्य, ग्राम-कुरूवा, गेतरा एवं मानी।	कुरूवा, गेतरा एवं मानी	1.64
				02 नग हैण्ड का कार्य गंगीकोट और बलरामपुर	गंगीकोट, बलरामपुर	1.25
				01 नग हैण्ड का कार्य, ग्राम-करमपुर	करमपुर	0.63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2007-08	मुक्तिधाम का निर्माण कार्य, ग्राम-कुम्हा	कुम्हा	1.34
				चारदिवारी का निर्माण कार्य, आदिवासी बालविकास विद्यामंदिर, कुम्हा.	कुम्हा	1.59
				गेतरा गांव का विद्युतीकरण	गेतरा	1.73
				स्कूल की चारदिवारी का निर्माण कार्य, ग्राम-डेडरी	डेडरी	1.25
				बोरहोल एवं सबमर्सिबल पंप के साथ, ग्राम-करमपुर	करमपुर	1.00
			2008-09	10 नग हैण्ड पंप सुधार कार्य	-	0.264
				डीप कोर होल सबमर्सिबल पंप के साथ करमपुर	करमपुर	3.40
				चारदिवारी का निर्माण कार्य, ग्राम-डेडरी स्कूल में	डेडरी	0.93
				चारदिवारी का निर्माण कार्य, प्राथमिकशाला ग्राम-मानी (लाईनपारा)	मानी	0.27
				आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य ग्राम-करमपुर	करमपुर	0.84
				सिंचाई कार्य के लिये पानी की व्यवस्था, ग्राम-गांगीकोट	गांगीकोट	0.83
				02 नग हैण्ड पंप का कार्य, ग्राम-केतकी	केतकी	0.95
				प्रोटेक्शन दिवाल का निर्माण कार्य पुलिया के पास, कासलगिरी.	कासलगिरी	1.49
				डब्लू.बी.एम. रोड का निर्माण ग्राम-गुमगरा	गुमगरा	1.64
				03 नग हैण्डपंप का निर्माण कार्य, ग्राम-कसकेला	कसकेला	1.35
				स्कूल के चारदिवारी का बचा कार्य, ग्राम-मानी	मानी	2.69

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2008-09	पी.पी.सी. रोड का बचा कार्य, ग्राम-गेतरा मानी चौक का डेह्लपमेंट	गेतरा मानी	3.23 1.99
				ग्राम-कुरूवा में फुटबाल ग्राउंड का समतलीकरण	कुरूवा	0.41
		2009-10	03 नग हैण्ड पंप		-	1.26
			02 नग हैण्ड पंप		केतकी	0.31
			03 नग हैण्ड पंप		अमेरा	1.31
			डब्लू.बी.एम. रोड का निर्माण, ग्राम गुमगरा के पास		गुमगरा	1.85
			03 नग हैण्ड पंप और बोलवेल ड्रिलिंग, कसकेला		कसकेला	0.62
			पी.पी.सी. रोड का निर्माण, ग्राम-बलरामपुर में		बलरामपुर	5.10
			स्कूल के चारदिवारी का बचा कार्य, ग्राम-मानी		मानी	0.14
			ग्राम-गेतरा में पी.पी.सी. रोड का बचा कार्य		गेतरा	0.87
			मानी चौक का डेह्लपमेंट		मानी	0.53
			ग्राम-कुरूवा में फुटबाल ग्राउंड का समतलीकरण		कुरूवा	0.18
			03 नग हैण्डपंप प्रभावित क्षेत्र में		-	0.08
			02 नग हैण्डपंप ग्राम - कसकेला		कसकेला	1.35
			02 नग हैण्डपंप ग्राम - वीरपुर		वीरपुर	1.33
			अतिरिक्त कर्मरा एवं चारदिवारी का निर्माण, प्राथमिकशाला कसकेला.		कसकेला	3.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2009-10	पानी टंकी एवं पानी मिश्रण का कार्य, ग्राम-बलरामपुर तुरी मंदिर में घाट का निर्माण ग्राम-बलरामपुर में ह्यूम पाईप पुलिया का निर्माण स्टेज का निर्माण शेड के साथ ग्राम-डेडरी स्कूल के चारदिवारी का बचा कार्य, ग्राम-मानी में ग्राम-गेतरा में पी.सी.सी. का बचा कार्य 02 नग बोर सबमर्सिबल पंप के साथ ग्राम-केतकी तालाब में घाट का निर्माण, ग्राम-साह्वी 02 नग प्रयोगशाला कमरा, ग्राम-साह्वी पीने के पानी का वितरण, कुम्हा सहक्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र.	बलरामपुर कुम्हा बलरामपुर डेडरी मानी गेतरा केतकी साह्वी साह्वी कुम्हा, कुम्हा बस्ती बलरामपुर, कासलगिरी, करमपुर, गंगीकोट	2.53 1.86 0.86 0.97 1.51 1.92 0.93 0.64 3.08 10.39
			2010-11	प्राथमिक विद्यालय, ग्राम-कसकेला में एक अतिरिक्त कमरा और चारदिवारी का निर्माण. ग्राम-मानी में स्कूल के चारदिवारी का बाकी काम पक्का घाट का निर्माण, ग्राम-साह्वी, अमरा ओसीएम के पास. 02 नग लेबोरेटरी रूम ग्राम-साह्वी में अमगांव के पास गोशाला भवन का निर्माण राधाकृष्ण समिति, ग्राम- मानी (सलका)	कसकेला मानी साह्वी साह्वी मानी, सलका	1.67 0.06 1.80 11.19 10.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2010-11	पाने का पानी की व्यवस्था, कुम्हा सहक्षेत्र के चारों ओर.	कुम्हा, कुम्हा बस्ती बलरामपुर, कासलगिरी, करमपुर, गोंगीकोट	16.90
			2011-12	ग्राम-केतका के शा.उ.वि. में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	केतका	2.05
				उ.मा.वि. ग्राम-जयनगर बिश्रामपुर में खेल के मैदान का समतलीकरण.	जयनगर	3.49
				शा.उ.वि. ग्राम-केतका में दो कमरों का निर्माण	केतका	3.69
				हाईस्कूल साल्ही में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, आमगांव ओसीपी के पास.	साल्ही	6.43
				ग्राम-मानी के विद्यालय में खेल के मैदान का जीर्णोद्धार	मानी	1.75
				ग्राम-जयनगर बिश्रामपुर के विभिन्न स्थानों पर 04 हैण्डपंप की खुदाई एवं स्थापना	-	2.74
				कुम्हा सहक्षेत्र के समीप ग्राम-कसकैला में तालाब घाट का निर्माण.	कसकैला	1.95
				शिवनंदनपुर (बिश्रामपुर) में सामुदायिक हॉल का निर्माण	शिवनंदनपुर	0.12
				कुम्हा कालोनी में तुरी मंदिर के पास छठ घाट तक पहुंच मार्ग.	कुम्हा	2.49
				आमगांव, रेहर और केतकी के आसपास के गांवों में पानी की व्यवस्था.	-	16.25
				अमरा ओसीपी के समीप ग्राम-पीपरखार में 05 बोर्डोल की खुदाई एवं हैण्डपंप की स्थापना.	पीपरखार	2.06
				अमरा ओसीपी के समीप ग्राम-साल्ही (मुनवरपारा) में विद्यालय भवन के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण.	साल्ही	2.48
				आमगांव के समीप ग्राम-साल्ही में 02 लेबोरेटरी कमरे	आमगांव	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
02	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम केसरा, तहसील-सीतापुर, जिला-सर्गुजा (बाक्सार्ड्ट खदान)	रायल्टी की 5 प्रतिशत राशि एवं इसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि.	2007-08	शिक्षा, जागरूकता अभियान के तहत वाल पेंटिंग शाला भवन बरिमा एवं शिशु संरक्षण केन्द्र का मरम्मत ग्रामीण स्वास्थ्य कैम्प एवं गणवेश वितरण आदि मैनपाट में नेत्र कैम्प का आयोजन बरिमा एवं नर्मदापुर में 02 नग हैण्ड पंप ग्राम सड़क निर्माण यात्री प्रतीक्षालय	बरिमा, नर्मदापुर, केसरा एवं उरंगा	0.50 1.00 1.40 1.10 2.20 4.50 0.65
03	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम केसरा, तहसील-सीतापुर, जिला-सर्गुजा (बाक्सार्ड्ट खदान)	रायल्टी की 5 प्रतिशत राशि एवं इसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि.	2008-09	शाला विकास कार्यों में टेबल, व्हाइट बोर्ड एवं खेल सामग्री लाइब्रेरी एवं शिशु संरक्षण केन्द्र ग्रामीण स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता अभियान वेईंग मशीन, दरी, खिलौने एवं गणवेश वितरण ग्राम नर्मदापुर, कमलेश्वरपुर, केसरा में 03 नग हैण्डपंप ग्राम सड़क निर्माण खेल सामग्री का वितरण	बरिमा, नर्मदापुर, केसरा एवं उरंगा	1.10 0.90 1.00 1.50 1.0 3.20 5.60 0.40
05	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम- बरिमा, तहसील-सीतापुर, जिला-सर्गुजा (बाक्सार्ड्ट खदान)	सी.एस.आर. गतिविधि करने की शर्त निर्धारित की गई है. राशि का निर्धारण नहीं किया गया है.	2009-10	शिक्षा, जागरूकता अभियान के तहत वाल पेंटिंग एवं शिशु संरक्षण केन्द्र. शालेय लायब्रेरी का विस्तार एवं शिशु संरक्षण केन्द्र, खेल सामग्री, टेबल, व्हाइट बोर्ड एवं स्कूल की पेंटिंग आदि.	बरिमा, नर्मदापुर, केसरा एवं उरंगा	0.75 9.70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
06	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कापरिशन लिमिटेड, ग्राम बिसारपानी, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा (बाक्सार्ट खदान)	सी.एस.आर. गतिविधि करने की शर्त निर्धारित की गई है. राशि का निर्धारण नहीं किया गया है. टीप :- मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कापरिशन लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर. गतिविधि हेतु प्रत्येक खदान के लिये पृथक-पृथक राशि व्यय न कर क्षेत्रवार राशि व्यय की जाती है.	2010-11	आंगनबाड़ी केन्द्र का सुदृढीकरण, गणवेश वितरण, दरी, बेईग मशीन, खिलौने एवं आंगबाड़ी केन्द्र का मरम्मत कार्य. ग्राम में स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन अंबिकापुर में नेत्र कैम्प का आयोजन विकलांगों के लिये जयपुर फुट कैम्प पेयजल हेतु वाटर टैंक एवं 03 हैण्डपंप ग्रामीणों को बीज वितरण स्व सहायता समूह का गठन एवं सहायता स्व सहायता समूह के क्रियाकलापों पर व्यय फलदार पौधों के बगानों पर व्यय मोबिल रिपेयरिंग एवं ड्रिइविंग कैम्प	बरिमा, नर्मदापुर, केसरा एवं उरंगा	1.93 2.00 2.50 2.00 2.90 0.90 8.75 1.62 2.00 1.00
				शाला विकास कार्य के अन्तर्गत सहायक शिक्षा केन्द्र ग्राम में स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन बृहद् स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प (सभी विशेषज्ञ) विकलांगों के लिये जयपुर फुट कैम्प नेत्र कैम्प का आयोजन पशुपालन कैम्प नकद फ.सल को बढ़ावा देने के लिये कैम्प	बरिमा, नर्मदापुर, केसरा एवं उरंगा	1.25 0.65 0.45 0.75 2.50 3.00 0.40 0.60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				कृषि कार्य हेतु बोरवेल		0.90
				मिनीवाटर शेड/बाड़ी का निर्माण कार्य		1.25
				सड़क निर्माण	बरिमा,	10.50
				खेल सामग्री का वितरण	नर्मदापुर,	0.80
				सामुदायिक भवन निर्माण	केसरा एवं	7.00
				ग्रामवासियों के लिये हैण्डपंप 01 नग	उरंगा	1.00
				यात्री प्रतीक्षालय		1.30
				फलदार पौधों के बगानों पर व्यय		1.60
			2011-12	शाला विकास कार्य के अन्तर्गत		2.25
				सहायक शिक्षा केन्द्र		1.15
				ग्राम में स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प (सभी विशेषज्ञ)		1.25
				ग्राम में स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प	बरिमा,	1.45
				विकलांगों के लिये जयपुर फुट कैम्प	नर्मदापुर,	3.00
				नेत्र कैम्प का आयोजन	केसरा एवं	3.50
				पशुपालन कैम्प	उरंगा	0.40
				नकद फसल को बढ़ावा देने के लिये कैम्प		1.10
				कृषि कार्य हेतु बोरवेल		1.40
				मिनीवाटर शेड/बाड़ी का निर्माण कार्य		1.25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)8
	सड़क निर्माण					12.00
	खेल सामग्री का वितरण					1.80
	सामुदायिक भवन निर्माण				बरिमा, नर्मदापुर, केसरा एवं उरंगा	9.00
	ग्रामवासियों के लिये हैण्डपंप 01 नग					2.00
	यात्री प्रतीक्षालय					1.70
	व्यवसायिक प्रशिक्षण					0.50
	वृक्षरोपण					0.50

## परिशिष्ट “बत्तीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 378) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला बलौदाबाजार के सहकारी समिति द्वारा धान खरीदी केन्द्रों को प्रदाय तालपत्री एवं पॉलीथिन की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	समिति का नाम	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12	
			तालपत्री मात्रा नग में	पॉलीथिन मात्रा किलो में	तालपत्री मात्रा नग में	पॉलीथिन मात्रा किलो में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बलौदाबाजार	रिसदा	0	100	5	180
2.		खम्हरिया	0	100	3	100
3.		भरसेला	0	100	3	0
4.		सेमराडीह	0	100	3	0
5.		करमदा	0	100	5	72
6.		रसेडा	0	100	4	31
7.		डमरू	0	100	4	0
8.		बलौदाबाजार	0	300	5	15
9.		लाहौद	0	100	5	30
10.		तिल्दा	0	47	3	34
11.		बरदा	0	162	2	55
12.		खैरा	0	71	2	59
13.		सिरयाडीह	0	114	4	60
14.		कोहरौद	0	70	2	28
15.		सरखोर	0	35	1	64
16.		लवन	0	97	4	165
1.	कसडोल	छेछर	3	30	0	20
2.		हसुवा	5	80	0	200
3.		कुसुमसरा	3	100	0	35
4.		बोरसी	6	23	0	40
5.		हटौद	4	20	0	35
6.		मटिया	3	80	0	40
7.		पिसिद	6	50	0	30
8.		टुण्डा	0	187	0	22
9.		कटगी	4	30	0	40
10.		गिरौद	6	20	0	20
11.		कसडोल	3	27	0	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.		दवरीनगेडी	0	120	0	22
13.		थरगांव	0	80	0	20
14.		बया	0	55	0	30
1.	बिलाईगढ़	सलौनीकला	0	380	0	840
2.		टुण्डी	6	95	0	790
3.		बिलाईगढ़	2	181	0	680
4.		पिरदा	0	350	0	825
5.		भटगांव	0	154	0	810
6.		सरसीवा	18	44	4	36
7.		गाताडीह	18	0	18	100
8.		सोहागपुर	4	0	18	15
1.	पलारी	कुस्मी	0	135	1	35
2.		सैहा	0	135	1	30
3.		बलौदी	0	115	1	45
4.		पलारी	0	205	2	45
5.		सीतापार	8	124	0	94
6.		कोनारी	6	88	0	40
7.		रोहांसी	4	86	0	50
8.		दतरेंगी	6	89	0	90
9.		सरसेनी	0	132	0	50
10.		छेरकापुर	0	66	2	50
11.		अमेरा	0	66	0	0
12.		कोसमंदी	0	60	0	56
13.		रेंगाडीह	6	95	10	145
14.		कोदवा	6	20	2	20
15.		गाडाभाटा	6	40	2	40
16.		देवसुन्द्रा	6	60	4	50
17.		गिरा	6	20	2	30
18.		भवानीपुर	6	65	6	200
19.		खरतौरा	6	30	2	25
20.		जर्वे	6	60	5	300
21.		तेलासी	6	60	5	110

22.	बटगन	12	80	8	200	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	भाटापारा	अर्जुनी	0	200	2	967
2.		मल्दी	0	101	2	400
3.		खोखली	0	87	5	670
4.		गुरा	0	104	7	360
5.		टेहका	0	125	3	1800
6.		भाटापारा	0	200	4	2400
7.		खैरा	0	140	28	0
8.		निपनिया	0	160	13	0
9.		लेवई	0	160	8	161
10.		केसला	10	0	5	47
1.	सिमगा	रोहरा	0	50	1	70
2.		दामाखेडा	0	95	3	120
3.		चौरंगा	0	80	4	700
4.		विश्रामपुर	0	67	6	104
5.		सिमगा	0	50	2	86
6.		पौंसरी	0	55	0	500
7.		जांगड़ा	0	15	0	161
8.		खिलौरा	0	152	0	3400
9.		बिटकुली	6	30	0	200
10.		फरहदा	0	45	0	500
11.		हथबंद	0	30	0	200
12.		रावन	3	60	2	200
13.		शिकारीकेसली	7	0	0	100
14.		मोहरा	4	30	0	160
15.		सुहेला	8	120	0	150
16.		सकलौर	4	50	0	110

**परिशिष्ट “तैतीस”**  
[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 409) के भाग (क) की जानकारी]

जिला-रायपुर

क्र.	अपराध क्रमांक	धारा	नाम आरोपी	वाहन मालिक	चालान क्रमांक	पेश चालान	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	423/11 आमानाका	420 भा.द.वि.	श्री सुबोध सिंह राजपूत, पिता-श्री बालेश्वर सिंह, निवासी-भारतमाता स्कूल के पीछे थाना आमानाका.	श्री तरणजीत सिंह, पिता- हर्बवश सिंह, निवासी-शैलेन्द्रनगर.	220/11 21-10-2011	739/11 21-10-2011	दिनांक घटना समय को आरोपी ने आटो क्रमांक सीजी-04-टी/6225 का फर्जी नम्बर लगाकर चलाते मिला.
2.	510/11 आमानाका	510/11	चालक श्री सिकन्दर सिंह पिता-श्री दारासिंह, हीरापुर गुरुद्वारे के पास, म.नं. 389, आमानाका, रायपुर.	श्री ह्यानन्द प्रताप सिंह, पिता-श्री बहादुर सिंह, एम.आई.जी.-01/291, कबीर नगर, रायपुर.	132/12 06-05-2012	355/12 07-05-2012	आरोपी प्रार्थी के ट्रक क्रमांक सीजी-04-जे/7150 को अपने ट्रक से लगाकर चलाते मिला.
3.	196/12 आमानाका	420, 467, 468 भा.द.वि.	श्री रसपाल सिंह, पिता- श्री चरण सिंह, गुरुदासपुर पंजाब हाल टाटीबंध, रायपुर	शासन की ओर से स.उ.नि. श्री एस.एस. ठाकुर, पिता- श्री लखन सिंह, आमानाका, रायपुर.	-	-	आरोपी फायरिंग कम्पनी का एंव टेक्स बचाने के लिए धोखाधड़ी कर नम्बर प्लेट सीजी-04-एचए/4475 को दूसरे ट्रक में लगाकर चलाते मिला.
4.	332/11 सिविल लाईस	420, 467, 468 भा.द.वि.	श्री रजवंतपाल सिंह उर्फ काकू धाई, पिता- स्व. श्री इकबाल सिंह, गुजरती पाण, रायगढ़	शासन की ओर से प्र.आ. अश्वरी कुर्रे, 410 क्राईम ब्रांच, रायपुर.	228/11 30-11-2011	3307/11 03-10-2011	आरोपी वाहन टाटा सफारी को रंग सफेद क्रमांक एमएल-07-ए/7958 के चेचिंग नम्बर 403066 इआरजेडएम 09546 को दस्तावेज में चेचिंग नम्बर 408066 इआरजेडएन 09596 बताकर मूल दस्तावेज को छल कर बेईमानी से कूटरचित दस्तावेज तैयार किया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	54/12 देवेन्द्र नगर	420 भा.द.वि.	श्री संजीव जाधवानी पिता- श्री गोपीचंद, ए-1, हॉटेल के पीछे विशाल नगर.	श्री खिलेश्वर वर्मा पिता-श्री थानसिंग आरक्षक थाना-यातायात.	87/12 28-06-2012	-	दो अलग-अलग कार विस्टा, इंजिनों कार एक ही नंबर और द्वारा उपयोग करना पाया गया.
<b>जिला-दुर्ग</b>							
1.	405/11	420, 467, 468 भा.द.वि.	श्री शमशेर उर्फ शैरा, पिता- जनरैला सिंह, हाडसिंग बोर्ड एमआईसी-2599 जामुल	शासन की ओर से टी.एस. राजपूत स.उ.नि. थाना-जामुल, भिलाई.	491/11 12-11-2011	1331/11 16-11-2011	सीजी-07-जेडसी/3230, ट्रक 06 चक्का का प्लेट लगा हुआ व एनाएल-02-जी/9257, जिसका चेचिस नम्बर 373344 केटीजेड 749374, इंजिन नम्बर 69 जब 55 जेडटीजेड 14404 छत्तीसगढ़ व नागालैंड का दस्तावेज छल पूर्वक कूट रचित दस्तावेज बनाकर अपराधिक षड्यंत्र कर शासन को क्षति पहुंचाया.

**जिला-बिलासपुर**

क्र.	नाम एवं पता जिससे वाहन जप्त किया गया	वाहन का फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन मालिक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री बनी फर्नांडीस आत्मज-श्री टोनी फर्नांडीस बोधघाट, जगदलपुर.	टाटा सूमो विस्टा क्रमांक सीजी-17-डी/0407	-	-
2.	श्री बनी फर्नांडीस आत्मज-श्री टोनी फर्नांडीस बोधघाट, जगदलपुर.	स्कार्पियो सीजी-17-डीए/8100	-	सन्नी फर्नांडीस, बोधघाट, जगदलपुर.
3.	श्री अखिल नाथडू, आत्मज-श्री पी.पी. नाथडू, बोधघाट, हाडसिंग बोर्ड कॉलोनी, जगदलपुर	-	एक ट्रेलर 18 चक्का टाटा कम्पनी का सीजी-04-डीबी/7011	अमर बहादूर सिंह, टाटीबिंध, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	श्री विजय कुमार, आत्मज-श्री मदनलाल गुप्ता, जगदलपुर.	एक टाटा एस मॉडल आर.जे-02-जीए/3162	-	-
5.	श्री रामलाल बाघमार, आत्मज- प्रेमराज, लोकपाल नौकापारा, दन्तेवाड़ा.	एक टाटा वाहन 407 ओआर-10-ए/1147	-	प्रकाश बाघमार आत्मज- श्री प्रेमराज, बोधिघाट, जगदलपुर.
6.	लवारिस हालत में	एक ट्रक 2515, क्रमांक सीजी-17-डीए/1608	-	चन्द्रपाल यादव, जगदलपुर
7.	श्री कौशल कुमार आत्मज- श्री के.के. झा, साकीन बोधिघाट, जगदलपुर.	एक सफारी क्रमांक सीजी-17-डीए/7200	-	विमल अमोस, विंदावन कॉलोनी, जगदलपुर.
8.	मोहम्मद सिकन्दर, आत्मज-अब्दुल सकूर, मस्जिद पारा, केसकाल.	एक महेंद्रा पीकप सीजी-17-डीए/1254	-	गितेश कुमार डहरिया
9.	श्री नरेश साहू, आत्मज- स्व. श्री रामदयाल, माकडी दिहारीपारा.	एक टाटा 207, सीजी-17-डी/1083,	-	-

## परिशिष्ट “चौतीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 446) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

## प्रपत्र “अ”

लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

## विकासखण्ड लैलुंगा

क्र.	उचित मूल्य दुकान का स्थान	संचालनकर्ता एजेंसी	संचालन का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भेड़ीमुड़ा-ब	मधु महिला स्व-सहायता समूह	8-6-2005
2.	पोतरा	महिला स्व-सहायता समूह	13-6-2005
3.	किलकिला	महिला स्व-सहायता समूह	22-11-2006
4.	खम्हार	प्रगति महिला स्व-सहायता समूह	13-4-2005
5.	गुडबहाल	संतोषी महिला स्व-सहायता समूह	15-6-2005
6.	खेड़आमा	अन्नपूर्णा महिला स्व-सहायता समूह	19-4-2005
7.	गेरूपानी	दुर्गा महिला स्व-सहायता समूह	20-9-2005
8.	जामबहार	अ.वि. महिला स्व-सहायता समूह	13-4-2005
9.	गहनाझरिया-1	गायत्री महिला स्व-सहायता समूह	4-6-2005
10.	बांसडांड	गायत्री महिला स्व-सहायता समूह	6-12-2010
11.	तारागढ़	अ. माँ मरियम महिला स्व-सहायता समूह	28-3-2005
12.	बहामा	सचिव ग्राम पंचायत	4-6-2005
13.	रूपड़ेगा	सचिव ग्राम पंचायत	8-6-2005
14.	मुद्दागांव	सचिव ग्राम पंचायत	15-9-2005
15.	घटगांव	सचिव ग्राम पंचायत	14-3-2005
16.	कोडासियां	सचिव ग्राम पंचायत	2-6-2005
17.	कूपाकानी	सचिव ग्राम पंचायत	6-3-2005
18.	झारआमा	सचिव ग्राम पंचायत	7-6-2005
19.	कटकलिया	सचिव ग्राम पंचायत	3-6-2005
20.	भुईयापानी	सचिव ग्राम पंचायत	13-9-2005
21.	कमरगा	सचिव ग्राम पंचायत	16-9-2005
22.	करवारजोर	सचिव ग्राम पंचायत	21-3-2005
23.	चिराईखार	सचिव ग्राम पंचायत	7-6-2005
24.	मुकड़ेगा	सचिव ग्राम पंचायत	23-2-2011
25.	बैसकीमुड़ा	सचिव ग्राम पंचायत	23-2-2011
26.	कुंजारा	सचिव ग्राम पंचायत	28-4-2011

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	रेगड़ी	सचिव ग्राम पंचायत	23-11-2004
28.	खार	सचिव ग्राम पंचायत	21-6-2005
29.	सुबरा	सचिव ग्राम पंचायत	16-9-2005
30.	टटकेला	सचिव ग्राम पंचायत	3-6-2005
31.	लिबरा	सचिव ग्राम पंचायत	16-5-2007
32.	कोडकेल	सचिव ग्राम पंचायत	26-4-2005
33.	नारायणपुर	सचिव ग्राम पंचायत	23-11-2004
34.	बंसतपुर	सचिव ग्राम पंचायत	23-11-2004
35.	दुरदुरा	सचिव ग्राम पंचायत	15-9-2005
36.	धौराडॉड	सचिव ग्राम पंचायत	28-5-2005
37.	आमापाली	सचिव ग्राम पंचायत	8-3-2006
38.	भेड़ीमुड़ा-अ	सचिव ग्राम पंचायत	3-5-2005
39.	बगुड़ेगा	सचिव ग्राम पंचायत	6-6-2005
40.	सलखिया	सचिव ग्राम पंचायत	15-6-2005
41.	घियारमुड़ा	सचिव ग्राम पंचायत	6-5-2005
42.	झरन	सचिव ग्राम पंचायत	9-6-2005
43.	पाकरगांव	सचिव ग्राम पंचायत	13-6-2005
44.	बीरसिंघा	सचिव ग्राम पंचायत	10-6-2005
45.	द्वोरोबीजा	सचिव ग्राम पंचायत	4-3-2006
46.	जतरा	सचिव ग्राम पंचायत	3-6-2005
47.	सोनाजोरी	सचिव ग्राम पंचायत	3-11-2004
48.	तोलमा	सचिव ग्राम पंचायत	28-3-2006
49.	चंवरपुर	सचिव ग्राम पंचायत	30-11-2004
50.	राजगांव	सचिव ग्राम पंचायत	16-8-2004
51.	कुरा	सचिव ग्राम पंचायत	25-8-2004
52.	राजपुर	सचिव ग्राम पंचायत	31-8-2005
53.	ढाप	सचिव ग्राम पंचायत	16-6-2005
54.	लारीपानी	सचिव ग्राम पंचायत	26-9-2005
55.	गुनू	सचिव ग्राम पंचायत	13-11-2006
56.	फुलीकुण्डा	सचिव ग्राम पंचायत	6-9-2005
57.	मोहनपुर	सचिव ग्राम पंचायत	26-8-2009
58.	केराबहार	सचिव ग्राम पंचायत	5-1-2008
59.	दियागढ़	सचिव ग्राम पंचायत	12-1-2006
60.	गंजपुर	सचिव ग्राम पंचायत	27-5-2005

(1)	(2)	(3)	(4)
61.	भकुरा	सचिव ग्राम पंचायत	6-12-2005
62.	लमड़ांड	सचिव ग्राम पंचायत	4-4-2005
63.	बरडीह	सचिव ग्राम पंचायत	16-3-2005
64.	तोलगे	सचिव ग्राम पंचायत	31-5-2005
65.	गहनाझरिया-2	सचिव ग्राम पंचायत	13-6-2005
66.	चौरंगा	सीता महिला स्व-सहायता समूह	3-11-2005
67.	रूडकेला	अनन्या महिला स्व-सहायता समूह	4-2-2012
68.	झगरपुर	लक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह	3-12-2005
69.	केशला	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	29-9-2010
70.	गमेकेला	अ. वन सुरक्षा समिति	29-7-2005
71.	बैगिनझरिया	वन सुरक्षा समिति	25-7-2006
<b>नगर पंचायत लैलूंगा</b>			
72.	लैलूंगा-1	महिला स्व-सहायता समूह	20-10-2005
73.	लैलूंगा-2	महिला सहभागिता समूह	27-1-2012
<b>विकासखण्ड तमनार</b>			
74.	गदगांव	महिला साखर समूह	15-9-2005
75.	सारसमाल	सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह	8-5-2007
76.	राबो	सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह	15-9-2005
77.	सलिहाभांडा	नव दुर्गा महिला स्व-सहायता समूह	1-7-2005
78.	बासनपाली	अध्यक्ष महिला स्व-सहायता समूह	21-3-2005
79.	गौरबहरी	अ. श्रीराम महिला स्व-सहायता समूह	23-11-2004
80.	चितवाही	अ. सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह	13-4-2005
81.	केशरचुंवा	अ. सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह	31-5-2005
82.	पेलमा	सचिव ग्राम पंचायत	21-10-2005
83.	उरबा	सचिव ग्राम पंचायत	4-10-2005
84.	लालपुर	सचिव ग्राम पंचायत	30-9-2005
85.	हिन्दर	सचिव ग्राम पंचायत	30-10-2005
86.	नूनदरहा	सचिव ग्राम पंचायत	13-4-2007
87.	बनाई	सचिव ग्राम पंचायत	4-10-2005
88.	बजरमुड़ा	सचिव ग्राम पंचायत	27-5-2005
89.	मिलूपारा	सचिव ग्राम पंचायत	1-12-2007
90.	बरकसपाली	सचिव ग्राम पंचायत	2-6-2005
91.	खम्हरिया	सचिव ग्राम पंचायत	8-7-2005

(1)	(2)	(3)	(4)
92.	बरपाली	सचिव ग्राम पंचायत	31-12-2010
93.	मौहापाली	सचिव ग्राम पंचायत	16-9-2005
94.	डोलेसरा	सचिव ग्राम पंचायत	28-4-2011
95.	पाता	सचिव ग्राम पंचायत	4-10-2005
96.	सराईटोला	सचिव ग्राम पंचायत	21-9-2005
97.	गारे	सचिव ग्राम पंचायत	27-9-2005
98.	कोड़केल	सचिव ग्राम पंचायत	7-5-2007
99.	देवगढ़	सचिव ग्राम पंचायत	22-9-2005
100.	कचकोबा	सचिव ग्राम पंचायत	25-4-2005
101.	जरेकेला	सचिव ग्राम पंचायत	4-10-2005
102.	कुजेमुरा	सचिव ग्राम पंचायत	24-10-2005
103.	झीकाबहाल	सचिव ग्राम पंचायत	17-10-2005
104.	लिबरा	सचिव ग्राम पंचायत	30-11-2004
105.	जांजगीर	सचिव ग्राम पंचायत	30-11-2004
106.	आमाघाट	सचिव ग्राम पंचायत	6-4-2011
107.	गोढ़ी	सचिव ग्राम पंचायत	24-11-2011
108.	तमनार	सचिव ग्राम पंचायत	20-1-2006
109.	बुड़िया	सचिव ग्राम पंचायत	16-6-2005
110.	धौराभांठा	सचिव ग्राम पंचायत	3-12-2005
111.	आमगांव	सचिव ग्राम पंचायत	30-11-2004
112.	टांगरघाट	सचिव ग्राम पंचायत	24-12-2006
113.	तराईमाल	सचिव ग्राम पंचायत	3-11-2011
114.	कसडोल	सचिव ग्राम पंचायत	20-9-2005
115.	महलोई	सचिव ग्राम पंचायत	24-11-2011
116.	बिजना	सचिव ग्राम पंचायत	21-6-2005
117.	खुरूसलेंगा	सचिव ग्राम पंचायत	24-10-2005
118.	डारआमा	सचिव ग्राम पंचायत	21-6-2005
119.	जिवरी	सचिव ग्राम पंचायत	21-6-2005
120.	भुईखुरी	सचिव ग्राम पंचायत	20-9-2004
121.	सराईपाली	सचिव ग्राम पंचायत	13-4-2005
122.	देवगांव	सचिव ग्राम पंचायत	11-7-2005
123.	बड़गांव	सचिव ग्राम पंचायत	19-4-2005
124.	हमीरपुर	सचिव ग्राम पंचायत	4-10-2005
125.	भगोरा	सचिव ग्राम पंचायत	6-10-2005

(1)	(2)	(3)	(4)
126.	झरना	जय बूढ़ी मां स्व-सहायता समूह	23-7-2011
127.	रोड़ोपाली	जगन्नाथ स्व-सहायता समूह	15-3-2011
128.	जोबरो	लक्ष्मी स्व-सहायता समूह	13-12-2010
129.	समकेरा	लक्ष्मीनारायण स्व-सहायता समूह	3-1-2011
130.	पड़ीगांव	मंगला स्व-सहायता समूह	17-3-2005
विकासखण्ड रायगढ़			
131.	गेरवानी	ग्राम पंचायत	25-05-2007
132.	देलारी	ग्राम पंचायत	11-03-2005
133.	बंगुरसिया	ग्राम पंचायत	06-08-2005
134.	नवागांव	ग्राम पंचायत	16-01-2009
135.	बरलिया	ग्राम पंचायत	04-05-2008
136.	झारगुड़ा	ग्राम पंचायत	06-08-2005
137.	खैरपुर	ग्राम पंचायत	06-09-2005
138.	चिराईपानी	ग्राम पंचायत	15-03-2007
139.	सराईपाली	ग्राम पंचायत	28-09-2005
140.	गोरखा	ग्राम पंचायत	06-11-2009
141.	विजयपुर	ग्राम पंचायत	13-10-2005
142.	भगोरा	ग्राम पंचायत	16-09-2005
143.	कलमी	ग्राम पंचायत	07-12-2007
144.	पतरापाली-पूर्व	ग्राम पंचायत	08-06-2008
145.	गोपालपुर	ग्राम पंचायत	30-09-2005
146.	कोटमार	ग्राम पंचायत	01-10-2011
147.	मनुवापाली	ग्राम पंचायत	30-09-2005
148.	पण्डरीपानी-पूर्व	ग्राम पंचायत	23-07-2007
149.	पतरापाली-पश्चिम	ग्राम पंचायत	30-09-2005
150.	लखा	शिवशंकर महिला स्व सहायता समूह	11-07-2005
151.	भेलवाटिकरा	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह	12-05-2007
152.	सम्बलपुरी	मॉ जय जगदम्बा महिला स्व सहायता समूह	20-02-2007
153.	तिलगा	शारदा बनोपज महिला स्व सहायता समूह	05-03-2007
154.	उर्दना	गायत्री महिला स्व सहायता समूह	31-05-2005
155.	भगवानपुर	ज्योति महिला स्व सहायता समूह	06-01-2005
156.	टारपाली	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह	18-08-2005
157.	रेगड़ा	मीनाक्षी महिला स्व सहायता समूह	18-11-2009
158.	सपनई	ग्राम वन समिति	11-07-2005

## प्रपत्र "ब"

लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध अनियमितता/कालाबाजारी के शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उचित मूल्य दुकान का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बहमा	राशन दुकान मनमाने ढंग से संचालन किये जाने के संबंध में.	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन.
2.	गुडुबहाल	शक्कर निर्धारित मात्रा से कम दिये जाने बाबत्	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन.
3.	गहनाझरिया	राशन वितरण में अनियमितता एवं गाली गलौज करने बाबत्	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन.
4.	रूडुकेला	चावल कम दिये जाने बाबत्	उचित मूल्य दुकान नवम्बर 2011 में निरस्त किया गया.
5.	घटगांव	केरोसिन चावल वितरण में अनियमितता.	आबंटित उचित मूल्य दुकान नवम्बर 2011 में निरस्त किया गया.
6.	तोलगे	केरोसिन वितरण में अनियमितता	उचित मूल्य फरवरी 2011 को दुकान निर्लंबित किया गया.
7.	तारागढ़	केरोसिन कम दिये जाने बाबत्	शिकायत सही नहीं पाया गया
8.	महलोई	खाद्यान्न वितरण में अनियमितता	उचित मूल्य दुकान दिसम्बर 2011 में निरस्त किया गया.

## परिशिष्ट “पैंतीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 508) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

## प्रपत्र “अ”

धमतरी जिले में बीपीएल एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सत्यापन पश्चात् राशनकार्ड की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	सत्यापन पश्चात् सही पाये गये राशनकार्डों की संख्या	निस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धमतरी	29848	2240
2.	कुरुद	22400	1819
3.	मगरलौड	16165	790
4.	नगरी	29350	1290

## प्रपत्र "ब"

धमतरी जिले में बीपीएल एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सत्यापन पश्चात् राशन सामग्री आबंटन की जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	सत्यापन के बाद आबंटन की मात्रा				सत्यापन के बाद खाद्यान्न में की गई कटौती की मात्रा				नमक (10)
		चावल (3)	गेहूं (4)	शक्कर (5)	नमक (6)	चावल (7)	गेहूं (8)	शक्कर (9)	नमक (10)	
1.	धमतरी	7584.19	2512.96	381.08	586.34	560.41	212.54	66.28	45.94	
2.	कुरुद	10152.66	3152.24	503.83	775.20	727.81	211.44	118.05	59.22	
3.	मगरलोड	3860.85	1141.30	187.65	288.70	192	65.30	4031	15.20	
4.	नगरी	14608.50	4136.40	698.34	1074.44	553.90	183.60	139.46	42.72	

## परिशिष्ट “छत्तीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 590) के भाग (क) की जानकारी]

परिशिष्ट 'अ'

क्र.	संग्रहण केन्द्र का नाम	दिनांक 25-06-2012 की स्थिति में उपलब्ध धान की मात्रा
(1)	(2)	(3)
1.	ढेलकाडीह	23085
2.	तिलई	19512
3.	नागरकोहरा	20629
4.	बांधाबाजार	1804
5.	मदुराकुही	2377
6.	सिंघोला	3610
<b>योग</b>		<b>71017</b>

## परिशिष्ट “सैंतीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 598) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

## प्रपत्र “अ”

जशपुर एवं जांजगीर चांपा जिले में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में संचालित दालभात केन्द्रों की जानकारी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	स्थान जहां दालभात केन्द्र संचालित है (3)
1.	जशपुर	1. बस स्टैण्ड, जशपुर 2. तहसील परिसर, जशपुर 3. साप्ताहिक बाजार अस्ता (मनोरा) 4. तहसील परिसर पत्थलगांव 5. जनपद पंचायत कार्यालय के पास खूंटीटोली, दुलदुला
2.	जांजगीर-चांपा	1. संगम सेवा सहकारी (भड़ेसर), जांजगीर 2. सेठी नगर समिति, शिवरीनारायण 3. मारवाड़ी युवा मंच, चांपा 4. केसरवानी जलपान गृह, चंद्रपुर 5. रामदयाल चंद्रा अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र, डभरा 6. गुल्लक कुमार अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र, अकलतरा 7. श्री सीताराम शर्मा अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र सक्ती

टीप :-जिला जशपुर में जनपद पंचायत कार्यालय के पास खूंटीटोली, दुलदुला का अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र अक्टूबर, 2010 से बंद है.

## प्रपत्र "ब"

जशपुर एवं जांजगीर चांपा जिले में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में संचालित दालभात केन्द्रों को आबंटित चावल की जानकारी

(मात्रा क्विंटल में)

क्रमांक	जिले का नाम	स्थान जहां दालभात केन्द्र संचालित है	प्रतिमाह आबंटित चावल की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जशपुर	बस स्टैण्ड, जशपुर	08
		तहसील परिसर, जशपुर	08
		साप्ताहिक बाजार आस्ता (मनोरा)	02
		तहसील परिसर पत्थलगांव	08
		जनपद पंचायत कार्यालय के पास खूटीटोली, दुलदुला	अक्टूबर, 2010 से बंद है
2.	जांजगीर-चांपा	संगम सेवा सहकारी (भड़ेसर), जांजगीर	28.20
		सेठी नगर समिति, शिवरीनारायण	15
		मारवाड़ी युवा मंच, चांपा	18.85
		केसरवानी जलपान गृह, चंद्रपुर	18.85
		रामदयाल चंद्रा अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र, डभरा	18.85
		गुल्लक कुमार अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र, अकलतरा	3.60
		श्री सीताराम शर्मा अन्नपूर्णा दालभात केन्द्र सक्ती	18.85

## परिशिष्ट “अडतीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 636) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

## उद्योग स्थापित करने हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची

क्र.	इकाई का नाम	आवेदन दिनांक	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग स्थापना हेतु दी गई अनुमति का दिनांक	आवेदित शासकीय भूमि	
				ग्राम का नाम	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## स्टील उद्योग हेतु प्राप्त आवेदन

1.	मेसर्स राशीस्टील प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	19-02-2010	-	ग्राम पाराघाट, बेलटुकरा व परसदा, तह. मस्तूरी, जिला बिलासपुर	16.812 हेक्टेयर
2.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता.	22-03-2010	-	-	-
3.	मेसर्स श्री लक्ष्मी पावर लिमिटेड, बिलासपुर.	22-04-2010	-	-	-
4.	मेसर्स वेलस्पन मैक्सस्टील लिमिटेड, इंदौर.	30-04-2010	-	-	-
5.	मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, रायपुर.	13-05-2010	-	ग्राम बैगाटोला, नवागांव, काकरेल, तह. व जिला राजनांदगांव.	41.787 हेक्टेयर
6.	मेसर्स काइजेन स्टील एंड इनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर.	14-05-2010	-	-	-
7.	मेसर्स एस्सेल माइनिंग एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड.	17-05-2010	-	-	-
8.	मेसर्स कालिन्दी इस्पात प्रायवेट लिमिटेड, बिलासपुर.	27-07-2010	-	-	-
9.	मेसर्स इमामी नेचुरल रिसोर्सेस प्रा. लि., कोलकाता.	05-08-2010	-	-	-
10.	मेसर्स श्री भावा स्टील एण्ड पावर लि., हैदराबाद.	40672	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	07-06-2011	02-07-2012		
12.	मेसर्स ज्योतिशिखा गुड्स प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता.	25-08-2011	-	-	-
13.	मेसर्स डायना पावर प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता.	25-08-2011	-	-	-
14.	मेसर्स अभिजीत नेचुरल रिसोर्सेस प्रा. लि., नागपुर.	15-11-2011	-	-	-

## अन्य उद्योगों के प्रस्ताव

1.	मेसर्स गॉटरमन पाइप्स इंडिया लिमिटेड, वेस्ट बंगाल.	30-06-2010	-	-	-
2.	मेसर्स प्राकजर इंडिया प्रा. लि., भिलाई	13-07-2010	29-05-2012	-	-
3.	मेसर्स सेल एंड मॉडल फेरो एलायज प्रा. लि., भिलाई.	16-07-2010	-	-	-

## सीमेंट उद्योग हेतु प्राप्त प्रस्ताव

1.	मे. वीसा कॉमट्रेड लिमिटेड, कोलकाता	06-03-2010	-	-	-
2.	मे. कस्तुरी सीमेंट लिमिटेड, रायपुर	06-04-2010	-	-	-
3.	मे. बंदना इनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर.	25-05-2010	-	-	-
4.	मे. जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, सिरोही, राजस्थान.	10-06-2010	04-06-2011	ग्रामखासाडीह मलपुरीखुर्द, धिकुड़िया, घिरोला, तह. धम्मधा, जिला दुर्ग.	17.430 हेक्टेयर
5.	मे. राशि स्ट्रीप्स प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	12-11-2010	22-10-2010	-	-
6.	मे. सुष्टि सीमेंट लिमिटेड, कोलकाता	30-08-2010	-	-	-
7.	मे. डालमिया भारत इन्टरप्राइजेस लि., नई दिल्ली.	09-12-2010	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	मे. अभिजीत नेचुरल रिसोर्सेस प्रायवेट लिमिटेड, नागपुर.	09-03-2011	-	-	-
9.	मे. शिवायंस सीमेन्टेशन प्रा.लि., नवी मुम्बई.	28-04-2011	-	-	-
10.	मे. ओरियंट सीमेंट	10-05-2011	-	-	-
11.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मुम्बई	28-07-2011	-	-	-
12.	मे. के.पी. सीमेंट मेन्युफेक्चरिंग कंपनी प्रा.लि. दुर्ग.	04-08-2011	-	-	-
13.	मे. शिवायंस सीमेंट कंपनी प्रा.लि. नवी मुम्बई.	14-11-2011	-	-	-